Trans.
25-1-64

तृतीय माला, खण्ड २३—अंक १६

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३

१८ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित *प्रश्न संख्या ४४४ से ४४७ और ४५० से ४५४	१८५८–८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४४८, ४४९ और ४५५ से ४७३	१८८१–९१
अतारांकित प्रश्न संख्या १२६९ से १३३६	१८९१–१९१९
स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	१९१९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१९१९–३१, १९७१—७८
(१) तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों पर लाठी चलाना	
(२) काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा की स्थिति	
(३) पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय गांव पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने की कथित घटना ।	
ध्यान दिलानें वाली सूचना सम्बन्धी उत्तर के बारे में .	१९२८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१९३१
राज्य सभा से सन्देश .	१९३१
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९३२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	१९३२
तीसवां प्रतिवेदन	
समवाय (संशोधन) विधेयक .	१९३२
(१) प्रवर समति का प्रतिवेदन ; और	
(२) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	
गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) (संशोधन) विधयक	१९३२
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३

१८ अग्रहयण १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लंका में भारतीय व्यक्ति

+

†*४४४. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लंका श्रमिक संघ के सभापति द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि लंका के भारतीय लोगों का मामला एक घरेलू मामला है तथा "भारत सरकार के हस्तक्षेप ने, चाहे वह कितनी भी अच्छी नीयत से किया गया हो, समस्या का समाधान करना तो दूर मनोवैज्ञानिक रूकावटें पैदा कर दी हैं" ; और

(ख) यदि हां, तो उस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) सरकार को लंका श्रमिक संघ के सभापति द्वारा दिये गये वक्तव्य की जानकारी है । भारत सरकार यह मानती है कि लंका में रहने वाले राज्यहीन व्यक्तियों की जिम्मेदारी मूल रूप से लंका की

†मूल अंग्रजी में

1823 (Ai) L.S.—1.

सरकार की है परन्तु वह लंका की सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिये सदैव तत्पर रही है ताकि वहां की सरकार के लिये समस्या का कोई संतोषजनक हल निकालना संभव हो सके ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या गवर्नमेंट को इस बात का संतोष है कि सीलोन में रहने वाले भारतीयों के अधिकार सुरक्षित हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार इस बारे में संतुष्ट नहीं है परन्तु उसके लिये इस सम्बन्ध में कुछ अधिक करना संभव नहीं है ।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी पिछले दिनों समाचारपत्रों में यह छपा था कि वहां पर भारतीयों ने यहां के डिफेंस फण्ड के लिए जो चन्दा इकट्ठा किया था, उसके यहां आने में रुकावटें पैदा की गई थीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार का उसके प्रति क्या रुख है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : लंका की सरकार एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न सरकार है तथा विदेशों को भेजे जाने वाले धन के बारे में वह स्वेच्छानुसार कुछ भी कर सकती है । हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री रंगा** : इस हेतु कि हमारे श्रमिकों की दशा में सुधार किया जा सके, क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की सेवाओं को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है बशर्ते लंका की प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार की आंच न आये तथा भारत और उसके राजनैतिक सम्बन्धों में खिंचाव पैदा न हो ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की है ।

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरा ऐसा विचार नहीं है कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से ऐसी कोई प्रार्थना की है । जहां तक मुझे पता है, वहां रहने की दशाओं का प्रश्न नहीं है । वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भारतीय व्यक्तियों को वहां रहने दिया जाय अथवा उनको वापिस भेज दिया जाय तथा लंका की सरकार का इस के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या होगा ।

†**श्री बड़े** : क्या सरकार के पास मनोवैज्ञानिक रुकावटों के बारे में लंका श्रमिक संघ की ओर से कोई शिकायत आई है ? शिकायत यह है कि समस्या का समाधान करना तो दूर रहा, हमारी सरकार ने मनोवैज्ञानिक रुकावटें पैदा कर दी हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि किनके बीच मनोवैज्ञानिक रुकावटें पैदा की गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लंका श्रमिक संघ के सभापति द्वारा इस आशय का एक वक्तव्य दिया गया था कि समस्या का समाधान करना तो दूर रहा, भारत सरकार ने मनोवैज्ञानिक रुकावटें उत्पन्न कर दी हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि उनका क्या अभिप्राय था । मेरा अनुमान है कि उनका मतलब यह था कि इस समस्या को पूर्णतया उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा हमें बीच में नहीं आना चाहिये। अर्थात्, भारत सरकार के बीच में पड़ने का एक प्रकार से अर्थ होगा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की इस समस्या के समाधान में कोई आवाज़ न रह जाना। यही, मेरे विचार से, उनका आशय है। यदि लंका की सरकार तथा वहां के श्रमिक संगठन की आपसी बातचीत से ही इस मामले का निबटारा हो जाये, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमारी बीच में पड़ने की इच्छा नहीं है। परन्तु जैसा कि सभा को भली भांति मालूम है, हमारी इस मामले में रुचि है। इस मामले के पीछे लम्बा इतिहास है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से भी पहिले से तथा उसके बाद से, हम उनकी सहायता करने की कोशिश करते आ रहे हैं। जो भी कदम उठाये जाने हैं, उनमें हमारी दिलचस्पी है। हम किसी प्रकार की बाधायें उत्पन्न करना नहीं चाहते।

†**श्री कछवाय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने लंका सरकार को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और इस बारे में लंका सरकार ने क्या सोचा है और क्या यह समस्या बातचीत करने से हल हो सकती है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसे तो कई पत्र उन्हें जा चुके हैं। कई महीने हुए एक पत्र गया था। लंका के प्रधान मंत्री की तरफ़ से उस का जवाब आया था। उसका जवाब हम ने दिया और हम ने यह भी लिखा कि अगर वह तक्लीफ़ कर के यहां आये, तो उन से बातचीत हो। यहां तक बात हुई है। उन के यहां आने की कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं हुई है।

†**श्री दाजी** : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि लंका के प्रधान मंत्री भारत आने वाले हैं। उसके बाद दूसरा समाचार यह आया कि उन्होंने आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आकर विषय पर बातचीत करना उनके लिये संभव नहीं है। इस सबको देखते हुए, क्या सरकार ने बहुत काल से लम्बित इस समस्या को हल करने के लिये कोई नया कदम उठाया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं नहीं जानता कि इन समाचारों में कहां तक सत्यता है। हमने लंका के प्रधान मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया है तथा मुझे आशा है कि अपनी सुविधा के अनुसार वे यहां आयेंगी। इसके लिये कोई तारीख नहीं निश्चित की गई थी। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य और किस प्रकार के नये प्रस्तावों की हमसे आशा करते हैं। हमने सीधा उन्हीं से पत्र व्यवहार किया है और मामलों को सुगमतापूर्वक सुलझाने के हेतु हमने सुझाव दिया है कि हम मिलकर इसके बारे में बातचीत करें। मुझे आशा है कि उनके लिये आना संभव हो सकेगा। कदाचित् वे निकट भविष्य में न आ सकें और कुछ समय बाद आयें।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार का यह आशा करना औचित्यपूर्ण है कि लंका की सरकार द्वारा निकट भविष्य में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को पूर्ण नागरिक का दर्जा प्रदान किये जाने की संभावना है? यदि नहीं, तो जहां तक इन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनकी शोचनीय दशा में सुधार करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि हम इस प्रकार की कोई आशा कर सकते हैं। परन्तु, बहुत समय पहिले जब मैं लंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री सेनानायक, से मिला था, उस समय यह सुझाव दिया गया था कि दोनों सरकारों को एक दूसरे देश की राष्ट्रीयता की प्राप्ति को सुगम बनाना चाहिये अर्थात् लंका की सरकार भी इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करे तथा भारत सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

भी। परन्तु उससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीयता के लिये उस समय लंका की सरकार को प्रार्थनापत्र भेजे, उनमें से अधिकांश के प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये गये। जिन व्यक्तियों ने हमें प्रार्थनापत्र भेजे, उनमें से कुछ के प्रार्थनापत्र हमारे द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतर लोगों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। अब यही स्थिति है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या फडरेल तामिल दल तथा ऐसे ही लंका के और संगठनों का भी, जिनमें लंका में रहने वाले भारतीय व्यक्ति हैं, यही विचार है? क्या उनके सभापतियों तथा सचिवों ने कुछ ऐसा कहा है जिससे इसकी पुष्टि होती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य किस संगठन का उल्लेख कर रहे हैं? वहां भारतीय बाग़ मज़दूरों के दो मुख्य मज़दूर संघ हैं। कुछ गैर-मज़दूर संघ भी शायद वहां होंगे, जिनके बारे में मुझे पता नहीं है।

सैनिक गुप्तवार्ता निदेशालय

*४४५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक गुप्तवार्ता निदेशालय को पहले से और अधिक सक्रिय बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या नेफा और लद्दाख की असफलताओं के लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है अथवा अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ग) क्या भारतीय सैनिकों को विदेशी भाषायें विशेषकर चीनी और रूसी भाषा पढ़ाने के लिए कोई अन्य नई व्यवस्था की गई है?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह निश्चित करने के विचार से, कि आसूचना बहतर ढंग से समाकलित की जा सके, और उसके महत्व का अच्छे ढंग से आंकन किया जा सके, सैनिक आसूचना निदेशालय को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पग उठाये गये हैं। निदेशालय के अफसरों में लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि की गई है।

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र तथा लद्दाख में कार्यनिष्पादन के लिए न तो किसी अफसर को सेना से अलग किया गया है, न ही तब्दील किया गया है। तदपि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए एक अफसर को ब्रिगेडियर से ले० कर्नल पदावनत कर दिया गया है।

(ग) विदेशी भाषाएं सिखाने के लिए नई दिल्ली के, विदेशी भाषाओं के स्कूल में प्राप्य, वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त, सैनिक शिक्षा स्कूल पचमढ़ी में एक भाषा-पक्ष की वृद्धि की गई है तथा सेवाओं के कई अफसरों को चीनी भाषा सिखाने के लिए बाहर भेजा गया है। रूसी भाषा सिखाने के लिए कोई नये प्रबन्ध नहीं किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : नेफा जांच की रिपोर्ट में रक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य पीछे संसद् में दिया था ,उसके पांच पैराग्राफ थे जिनमें वर्णन था कि मिलिट्री इंटेलीजेंस ने कहां और किस तरह से कमजोरी दिखाई। परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी इस मिलिट्री इंटलीजेंस डायरेक्टोरेट के जो सब से बड़े अधिकारी हैं, उनको क्या प्रोमोशन दिया गया है? यदि हां तो यह बात कहां तक उचित थी, इस रिपोर्ट के आने के बाद?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य शायद चर्चा कर रहे है उसकी मैं रक्षा मंत्री ने नेफा के मामले में कहा था आम तौर से उनका जो इंटेलीजेंस होता है वह हिन्दुस्तान के बाहर कुछ काम नही करता है शान्ति के जमाने में। लड़ाई के जमाने में जो कुछ कर सके, करे। दिक्कत होती है वैसा करने में। मुझे यह नहीं मालूम जो आपने कहा कि एक अफसर की तरक्की हुई है। मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा सीधा सा प्रश्न यह था कि जब गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करती है कि मिलिट्री इंटेलीजेंस फेल रहा नेफा में इस लड़ाई के समय में, तो मिलिट्री इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे, क्या यह सही है कि उनको ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया गया?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब तो दे दिया है कि उनको इसका इल्म नहीं है कि किसी अफसर को तरक्की दी गई है।

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादनमन्त्री (श्री [रघुरामैया)** : वह ब्रिगेडियर जिसको पदावनत कर दिया गया है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह नहीं। वह कहते हैं कि उस पदाधिकारी को जो उसके इंचार्ज थे और जो उन सब असफलताओं के लिये उत्तरदायी थे, उनको पदोन्नत कर दिया गया है।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : हमें इस समय इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष में चीनी भाषा सिखाने के लिए कितने स्कूल हैं और उन में कितने चीनी अध्यापक काम कर रहे हैं? उनको हटा कर उनके स्थान पर भारतीयों को जो चीनी भाषा के जानकार हैं, रखने की क्या कोई व्यवस्था की जा रही है?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने अभी जवाब में कह दिया है कि एक स्कूल है दिल्ली में फारेन लैंगुएजिज़ स्कूल। उसके अलावा एक लैंगुएज़ विंग ओपन किया है पंचमढ़ी में और उस में तिब्बतन और चीनी लैंगुएज़िज़ सिखाने के लिए बन्दोबस्त किया गया है। कई अफसरों को बाहर भेजा गया है कुछ कंट्रीज़ में चीनी लैंगुएज सीखने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यहां जो चीनी उस्ताद काम कर रहे हैं, उनको हटा कर उनकी जगह हिन्दुस्तानी उस्तादों को रखने का कोई खयाल है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : महज़ चीनी होने पर तो किसी को निकाला नहीं जाता जब तक कोई और इत्तिला न हो कि व कोई गलत काम कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कितने ऐसे लोग चीनी सीखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं । यह दरियाफ्त करने की बात है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सब से बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के द्वारा उनकी नियुक्ति हुई है, उसका एक लड़का, चीनी आर्मी में बहुत बड़ा अफसर है। फिर उसके द्वारा जो नियुक्ति होगी, वे लोग यहां फिफ्थ कालमिस्ट का काम नहीं करेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

†**श्री हरि विष्णुकामत :** क्या यह सच है कि गत वर्ष जो निन्दनीय असफलता का मुंह देखना पड़ा था, उसके जो मुख्य कारण थे उनमें एक कारण यह भी था कि गत वर्षों से सैनिक गुप्तवार्ता निदेशालय, बल्कि एक मामूली सी गुप्तचर सेवा कहिए, कुछ अस्त व्यस्त सा था और इसके अन्दर साम्यवाद समर्थकों, विशेष रूप से चीन-समर्थक तत्व के होने से इसके कार्य में बहुत अधिक बाधा पड़ी तथा चीन समर्थक कुछ ऊंचे पदाधिकारियों द्वारा स्वयं निदेशालय को ही गलत मार्ग सुझाया गया ? यदि हां, तो क्या ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्वों को निकाल दिया गया है ? क्या सरकार इस सभा को यह विश्वास दिलाने को स्थिति में है कि अब गुप्तवार्ता निदेशालय के अन्दर चीन अथवा पाकिस्तान समर्थक तत्व विद्यमान नहीं हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें माननीय सदस्य द्वारा बताये गये मामले की कोई जानकारी नहीं है। हम गुप्तवार्ता विभाग में किसी राष्ट्रविरोधी व्यक्ति को नहीं नियुक्त करते हैं चाहे वह कोई भी हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आपकी नीयत अच्छी हो सकती है . . . .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है, तो वह कृपा करके उसको मुझ भेजें।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रत्येक विभाग में चीन समर्थक लोग हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि हमारे होम डिपार्टमेंट में एक मिसल ऐसी चल रही है कि शान्तिनिकेतन में चीनी लंगुएज पढ़ाने के लिए जो हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं, उनका बेटा चीन की फौज में ब्रिगेडियर है और वह यहां पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आते हैं ? अगर इस तरह की मिसाल चल रही है तो सरकार ने क्या ऐक्शन लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस के खिलाफ ऐकशन ? उनका बेटा जो चीन में है ?

श्री यशपाल सिंह : जो हेड आफ दी डिपार्टमेंट हैं शांति निकेतन में, उनके खिलाफ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : शांतिनिकेतन में जो चीनी भवन है, उसके जो डायरेक्टर हैं, वह बहुत बरसों से वहां हैं, कोई पन्द्रह बीस से और शायद उससे भी ज्यादा से। उनको हम बहुत इज्जत करते हैं और उन पर बहुत भरोसा है। मुझे मालूम नहीं है कि उनका बेटा वहां चीन में क्या है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : उनके खिलाफ जो फाइल चल रही है, वह भी बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर चल रही है ....

श्री कछवाय : फाइल है ही, उनके खिलाफ ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चीन सरकार से जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका अनुवाद केवल एक चीनी द्वारा किया जाता है जो विदेशी भाषाओं सम्बन्धी स्कूल में है तथा किसी भारतीय द्वारा अनुवाद कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं बता सकता कि किसके द्वारा क्या अनुवाद किया जाता है। मेरा विचार है कि हमारे पास वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में चीनी भाषा जानने वाले अनेक व्यक्ति हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि क्या चीन से प्राप्त होने वाले सब पत्रों का केवल कुछ चीनियों द्वारा ही अनुवाद किया जा रहा है, भारतीयों द्वारा नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं—

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह है। एक आरोप लगाया गया था कि चीन के पत्रों का चीनियों द्वारा अनुवाद किया जाता है और खबर सबसे पहिले चीन के दूतावास को पता चलती है। वे हमसे बहुत अधिक जानते हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : हमारे पास योग्य असाम्यवादी व्यक्ति नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि किसी अमुक पत्र का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। मुझे इतना पता है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अनेक ऐसे सुयोग्य भारतीय हैं जो चीनी भाषा जानते हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : ऐसा माना जाता है कि जम्मू तथा काश्मीर में स्थित गुप्तवार्ता विभाग असैनिक गुप्तचर सेवा के लिये नहीं है तथा यह कहा जाता है कि यह सैनिक गुप्तचर सेवा का कार्य कर रहा है यदि यह सत्य हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विभाग सेना के पीछे कार्य कर रहा है अथवा कहीं और ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कौन ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह विभाग जम्मू तथा काश्मीर में कार्य कर रहा है।

†**श्री त्यागी** : यह सूचना देना कि हमारा गुप्तवार्ता विभाग कहां कार्य कर रहा है, क्या लोक हित में है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह लोक हित में है या नहीं, इसका निश्चय करना मेरा काम है अथवा श्री त्यागी का ? कोई मंत्री महोदय ऐसा कह सकते हैं।

†**श्री त्यागी** : मंत्रियों को कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या मैं चीन के टिप्पणों के अनुवाद किये जाने के प्रश्न पर कुछ और कह सकता हूं ? आमतौर पर, चीन की सरकार से जब हमें कोई टिप्पण प्राप्त होता है, तो चीन की सरकार अथवा उसके दूतावास द्वारा उस टिप्पण के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न होता है। उस को हमारे मंत्रालय में देखा जाता है । उनका अनुवाद मौलिक होता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ, विभाग द्वारा एक पत्रिका निकाली जाने वाली है और यदि हां, तो यह किन किन भाषाओं में निकाली जायेगी ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** प्रतिरक्षा विभाग ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह प्रतिरक्षा विभाग से सम्बन्धित है ?

†**श्री स० चं० सामन्त :** जी, हां ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** हम अनेक भाषाओं में **सैनिक समाचार** प्रकाशित करते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** गत वर्ष नेफा कांड से जो हमें सबक मिला है उसको दृष्टि में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सैनिक गुप्तवार्ता निदेशालय को अब आगे गुप्तचर सेवा का कार्य करने वाले एक मुख्य अभिकरण का रूप प्रदान किया जायेगा अथवा गृह मंत्रालय के केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग पर ही पहिले की तरह निर्भर किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्रीमन्, मुझे कहना ही पड़ेगा कि माननीय सदस्य, श्री त्यागी, से मैं सहमत हूं । हम इस ब्योरे में नहीं जा सकते कि हमारा गुप्तवार्ता विभाग किस प्रकार कार्य करता है । गुप्तवार्ता का तो मूल अर्थ ही यह है कि यह गुप्त ही रहे ।

†**श्री स्वैल :** अपनी सैनिक गुप्तचार सेवा की प्रभावशालिता को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत कार्य करने वाले अनेक ठेकेदारों के ठेके हाल में ही इसलिये समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि वे जासूसों का काम करते पाये गये थे और क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले ठेकेदारों में जासूसी का काम करने वाले व्यक्तियों के होने सम्बन्धी इस विषय की सैनिक गुप्तवार्ता विभाग को जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है । परन्तु, यदि माननीय सदस्य के कहने के अनुसार यह सही भी हो, तो सैनिक गुप्तचर सेवा ने उन को हटा दिया होगा क्योंकि यह सेवा इस पर निगरानी रखती आ रही है ।

†**श्री बड़े :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है । मुख्य प्रश्न के भाग (क) में, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने पूछा है कि क्या . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उसके बाद तो लगभग आधा दर्जन प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

†**श्री बड़े :** मुख्य प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा विचार था कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसके बाद लगभग आधा दर्जन प्रश्न पूछे जा चुके हैं । अब मैं माननीय सदस्य को इस के बारे में पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री बड़े** : मुझे इस बारे में आपकी सहायता की आवश्यकता है क्योंकि सभा को अंधकार में रखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बल्कि, मुझे माननीय सदस्य की सहायता की आवश्यकता है कि वे कृपा करके बैठ जायें ।

†**श्री बड़े** : मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाय . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब किसी प्रकार की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है । उस प्रश्न के बाद, अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं । मैं अब अनुमति नहीं दे सकता ।

पटसन मजूरी बोर्ड

\+

†*४४६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री उमानाथ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री दोनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सभी पटसन मिलों द्वारा क्रियान्वित कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन मिलों की संख्या क्या है जिन्होंने इन्हें क्रियान्वित नहीं किया है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) और (ख). सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में प्रगति है, सम्बन्धित राज्य सरकारों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पटसन मिल ने अन्तरिम सहायता समेत मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है, और यदि हां, तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

†**श्री र० कि० मालवीय** : देश भर की सारी पटसन मिलों द्वारा अन्तरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिश के क्रियान्वित किये जाने की सूचना है, जहां तक अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तब हमें स्थिति का ज्ञान होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैंने प्रश्न केवल अपने राज्य के बारे में पूछा है न कि सारे देश के बारे में । क्या यह सच है . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा हो रही है । इसके प्राप्त होने पर सरकार को स्थिति का ज्ञान होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि मिल मालिकों द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं और न्हें और क्रियान्वित नहीं किया गया तो क्या सरकार इन्हें क्रियान्वित कराने के लिये विधान लाने की अपेक्षा करेगी ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : यह स्थिति अभी नहीं आई है । आवश्यकता पड़ने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह सच है कि इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अपने सब सदस्य मिलों को परिपत्र भेजे हैं ; और यदि हां तो इस एसोशियेशन के ऐसी सदस्य मिलें कौन-कोन हैं ।जिन्होंने अभी तक सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है, और क्या सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के लिये एसोसियेशन या मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी)** : मजूरी बोर्ड की सिफारिशें हाल में ही प्रकाशित की गई थीं, उन्होंने अपनी सिफारिशें २७ सितम्बर, १९६३ को दी थीं । केवल दो महीने पहले हमने इन्हें विभिन्न एजेंसियों को भेजा था । तब से अब तक अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिये अभी यह कहना कठिन है कि न्हें किसने क्रियान्वित किया है और किसने नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । इंडियन जूट मिल्स एसोशिदेशन के विषय में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है । संभरण मंत्री जी ने वही उत्तर दिया है जो उपमंत्री द्वारा पहले ही दिया जा चुका है । यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सीधा उत्तर दिया जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री जी के पास उत्तर देने के लिये पर्याप्त जानकारी नहीं है तो उन्हें बता देना चाहिये और जानकारी प्राप्त करने के लिये समय मांगना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यही औचित्य प्रश्न है ?

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से कार्मिक संघों ने राज्य में बहुत सी मिलों द्वारा पटसन मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्य-रूप न दिये जाने के विरुद्ध शिकायतें की हैं ।

†**श्री र० कि० मालवीय** : जी हां, नेशनल जूट वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । शिकायत पश्चिम बंगाल सरकार के पास की गई है और एक प्रतिलिपि हमें भेजी गई है । उन्होंने शिकायत की है कि शिफारिशों का अधिलाभांश वाला भाग क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि मजूरी बोर्ड की उक्त सिफारिशों को इन मिलों में कार्यान्वित करने की अनुमति किसने दी है ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : त्रिदलीय समझौते के अनुसरण में ही ऐसा किया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : कलकत्ते में जो मजदूर जा कर रहते हैं और बहुत दिनों तक भी मिलों में काम करते हैं तो भी उन का नाम परमनेन्ट मजदूरों की लिस्ट में नहीं रक्खा जाता है और उन को डेली कुली के रूप में पैसा दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वेज बोर्ड की तरफ से कोई इस तरह का इन्तजाम किया जा रहा है कि उन को परमनेन्ट ट्रीट किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री र० कि० मालवीय** : इस सवाल से यह सवाल पैदा नहीं होता । अगर स सम्बन्ध में अलग से सवाल किया जायेगा तो उस का जवाब दिया जायेगा ।

युद्ध-पोत

+

†*४४७. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २, सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्धपोतों के उत्पादन के सम्बन्ध में ब्रिटेन तथा स्वेडन को गए प्रतिनिधि मंडल के निवेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : सरकार इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने में इतना अधिक समय क्यों लेती है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह सच है कि सरकार को कुछ समय पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी । अस्थाई रूप से कुछ निर्णय किये गये हैं और एक विदेशी सरकार के साथ मामला तय किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय बातचीतों के आधार पर किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान जापान के सहयोग से सबमैरीन बनाने जा रहा है, इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमें इस बात का जब्ते से कोई इल्म नहीं है कि पाकिस्तान और जापान में इस बारे में कोई समझौता हुआ है, इस लिये मैं इस का जवाब नहीं दे सकता । रहा सवाल इस का कि हम क्या कदम उठायेंगे, तो बिलफैल हमारा सबमैरीन की किस्म की चीज बनाने का कोई इरादा नहीं है, आगे चाहे जो कुछ हो ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि जब नार्थ ईस्ट में चीन का हमला हुआ तो उधर मिलिटरी की तैयारी होने लगी और उधर बीस सालों में समुद्र में काम करने वाले हमारे वार शिप्स पुराने हो गये हैं और नये नहीं बनाये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जल्दी ही नये वार शिप्स बनाने के बारे में कोई निर्णय करने जा रही है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो पुराने हो गये हैं उन को नया कराने का हम पूरा इरादा रखते हैं, लेकिन मैं कोई तारीख नहीं बतला सकता ।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि इस डेलिगेशन में कौन कौन से मेम्बर्स हैं जो गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया :** प्रतिनिधि मंडल में डिप्टी चीफ आफ नेवल स्टाफ, भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव और मजगांव डॉक्स के प्रबन्धक संचालक थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चीन ने सोवियत संघ से अपने विवाद के पश्चात् सारे पश्चिमी देशों से सैनिक उपकरण और सामान की मांग की है और यदि हां, तो क्या सरकार सदन को यह आश्वासन दिलायेगी कि नौसेना, स्थल सेना और वायु-सेना को शक्तिशाली बनाने के लिये प्रयत्नों को सिद्धांतों तथा आदर्शों तक ही सीमित नहीं रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मुख्य प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है ।

आगरा के निकट विमान दुर्घटना

\+

*४५०. **श्री नि० रं लास्कर :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ जून, १९६३ को आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना की न्यायिक जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) तथा (ख) : दुर्घटना की कोई अदालती जांच नहीं कराई गई । विमान सेना नियमों के अधीन एक कोर्ट आव इन्क्वायरी के लिए आदेश दिया गया था । उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री नि० रं० लास्कर :** मेरा ख्याल है कि सरकार इस प्रकार की जांचों से कुछ लाभ उठाती है । इस जांच से सरकार को क्या लाभ होगा ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण:** जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच अदालत की सिफारिशों के अनुसार उपचार सम्बन्धी, उपाय किये जाते हैं ।

†**श्री रंगा :** दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा दुर्घटना के कारणों के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं है और उपमंत्री जी सिफारिशों तथा भविष्य में किये जाने वाले उपचारात्मक उपायों के बारे में बात कर रहे हैं ।

†**श्री दाजी :** एक औचित्य प्रश्न है । प्रश्न का भाग (ख) अत्यन्त स्पष्ट है जो इस प्रकार है :

"यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?"

इसकी न्यायिक जांच भले ही न हुई हो किन्तु जांच अदालत तो नियुक्त की ही गई थी । जांच का क्या परिणाम निकला । हमें कम से कम विवरण की जानकारी होनी ही चाहिये । नहीं तो, प्रश्न के भाग (ख) का क्या प्रयोजन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री जी ने कहा है कि जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री रंगा** : इस दुर्घटना का क्या कारण था ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जांच अदालत नियुक्त की गई है हम इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं कि वह इस बारे में क्या कहेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : प्रश्न का प्रथम भाग इस प्रकार है कि क्या जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो इसका विवरण क्या है । यदि यह रिपोर्ट के विवरण के बारे में है—जैसा पहले उत्तर देते समय मेरे माननीय मित्र ने समझा था तो रिपोर्ट आने पर ही सरकार इनको जान पायेगी । यदि माननीय सदस्य मृतकों की संख्या जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां ।

†**श्री रघुरामैया** : विमान में भारतीय वायुसेना के निम्नलिखित ५ अधिकारी सवार थे और दुर्घटना के परिणामस्वरूप मर गये :

फ्लाइंग लेफ्टिनेंट पी० डी० कौरा, पाइलट आफीसर गर्चा, पाइलट आफिसर एस० सेठ, विंग कमांडर पी० एन० मुकर्जी और सार्जेन्ट डी० सतपाल ।

†**श्री रंगा** : उन्होंने यह उड़ान क्यों की थी ? क्या यह आवश्यक थी ? ये बातें हैं जिनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिये थी । क्या उन्होंने इस उड़ान के लिये अनुमति प्राप्त की थी ? ये सब उच्च अधिकारी थे और मर गये जिन्हें देश ने खो दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह क्या चाहते हैं । यदि वह अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे तो मैं अनुमति दे चुका हूं । यदि दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री रंगा** : यह उड़ान किस सरकारी प्रयोजन के लिये की गई थी ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : मैं पहले बता चुका हूं कि यह जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जांच से यह पता लगेगा कि दुर्घटना कैसे हुई और किन कमियों के कारण हुई । किन्तु विमान की उड़ान का प्रयोजन तो सरकार को अवश्य मालूम होना चाहिये ।

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : रिपोर्ट आने पर ही यह पता चल सकेगा कि वे कैसे उड़े, उन्हें उड़ने की अनुमति किसने दी आदि । पूरी बातें ज्ञात होने से पहले उत्तर देना बहुत कठिन है ।

†**श्री शिव नारायण** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और जिन लोगों का नुक्सान हुआ है क्या उनकी फैमिलीज़ को कोई कम्पेन्सेशन दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए।

†**श्री शिव नारायण** : यह तो बता दें कि रिपोर्ट कब तक आएगी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे सहयोगी के पास कुछ विवरण है ।

†**श्री रघुरामैया** : दुर्घटना आगरा से ५० मील की दूरी पर हुई। विमान पहली उड़ान पर था।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने तक मृत व्यक्तियों के परिजनों को कोई अन्तरिम सहायता दी गई है?

†**श्री रंगा** : जब प्रधान मंत्री कुछ कहते हैं चाहे वह संतोषजनक हो या न हो, तो उससे आशा की जाती है कि हम उनसे और कोई प्रश्न न पूछें। उनसे उचित उत्तर पाने का यही तरीका है। उनके सहयोगी ने सूचना में कुछ और जोड़ा है जो हम नहीं समझ सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह कोई उत्तर नहीं समझ सके तो मैं उनसे दोबारा उत्तर देने के लिये कह सकता हूं।

†**श्री रंगा** : अन्यथा भी।

†**अध्यक्ष महोदय** : चाहे उससे उनकी सन्तुष्टि हो या न हो, इस विषय में मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता हूं।

†**श्री रंगा** : क्योंकि प्रधान मंत्री ने अस्पष्ट उत्तर दिया। आप इससे सन्तुष्ट हो गये और हमसे भी सन्तुष्ट होने की आशा की जाती है। इसके बाद वह स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं हुये और इसलिये उन्होंने अपने सहयोगी से अतिरिक्त उत्तर देने के लिये कहा। क्या सदन के साथ इस प्रकार बर्ताव किया जाता है?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आपे से बाहर क्यों होते हो?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक उत्तर किसी को सन्तुष्ट कर सकता है या नहीं मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

†**श्री रंगा** : क्या हम यह समझें कि जो भी उत्तर दिया जाए हमें उसी से सन्तुष्ट रहना पड़ेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : और भी इलाज हैं?

†**श्री रंगा** : और इलाज क्या हैं? हम जानते हैं जो कुछ होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या करूं?

†**श्री रंगा** : आप कह सकते हैं कि उत्तर अस्पष्ट है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं: मैं संख्या की पूर्ति कैसे कर सकता हूं? वह तो मैं नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य बिना किसी वजह के जोश में आ रहे हैं। मैंने जो कहा था.....

†**श्री रंगा** : आप उत्तर नहीं देते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैंने कहा कि पूरा जवाब तो जांच रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही दिया जा सकता है। तब मेरे सहयोगी ने मुझे याद दिलाया कि उनके पास कुछ तथ्य हैं, पूरा जवाब नहीं है। मैंने कहा "आपको उन्हें सदन के सामने रख देना चाहिये।" और उन्होंने ऐसा कर दिया है।

†**श्री रंगा**: इससे तो यही दिखाई देता है कि आप हमें पूरी जानकारी नहीं देते।

श्री शिव नारायण: मैं जानना चाहता था कि यह रिपोर्ट कब तक आएगी। क्या गवर्नमेंट यह एश्योरेंस देगी कि रिपोर्ट कब तक आएगी? और जो आदमी मरे हैं, क्या उनके परिवारों को फार दी टाइम बीइंग कोई सहायता दी गई है या नहीं।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : रिपोर्ट लगभग दो सप्ताह में मिल जाएगी।

जहां तक अन्तरिम प्रतिकर का सम्बन्ध है, जिन मामलों में पारिवारिक उपदान देय था वह दे दिया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : राज्य-मंत्री ने कुछ कहा है जो हम सुन नहीं पाये। वह उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उड़ान कैसी थी।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह पहली उड़ान थी।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : माननीय मंत्री कह रहे थे कि रिपोर्ट दो सप्ताह तक मिल जाएगी। दुर्घटना ६ महीने पहले हुई थी। यदि रिपोर्ट १५ दिनों में न आई तो क्या सरकार उन्हें याद दिलायेगी?

†**श्री दा० रा० चव्हाण**: सामान्यतः अदालती जांच लगभग दो महीनों में पूरी हो जाती है। परन्तु इस विशेष मामले में विलम्ब और भी कई कारणों से हुआ है क्योंकि ये सभी अधिकारी वायु अभ्यासों में व्यस्त थे। जांच न्यायालय के सदस्यों को अनेक स्थानों पर जाना पड़ा था। विलम्ब का यही कारण है।

युद्ध सेवा रियासतें

†*४५१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने अपने यहां युद्ध सेवा रियायतों की योजना कार्यान्वित की है?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: राज्य सरकारों ने वर्तमान आपातकाल के दौरान प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिये कई रियायतें मजूर की हैं। उन्होंने जो जानकारी भेजी है उस पर आधारित इन रियायतों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०५३/६४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूदान यज्ञ को इस बारे में लिखा है कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों को सहायता दी जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको भूदान यज्ञ की भूमि से सहायता दी गई?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : हमारे पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से ज्ञात होता है कि शिक्षा, भूमि देने तथा अन्य चीजों के संबंध में रियायतें प्रत्येक राज्य में अलग अलग हैं। क्या सरकार ने कोई एक रूप नीति बनाने का प्रयास किया है जिसे सभी राज्य अपना सकें?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : इन सभी रियायतों की विभिन्न राज्यों द्वारा घोषणा की गई है और ऐसी रियायतें भिन्न भिन्न राज्यों के ध्यान में लाई गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार ने इस आशय के लिये कुछ किया है कि ये सभी रियायतें सभी राज्यों में एक जैसी हों?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उदाहरणार्थ, भूदान उत्तर प्रदेश में है परन्तु पंजाब में नहीं है। ठीक है कि प्रत्येक राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं। परन्तु फिर भी पुस्तकें, अनुग्रहात अनुदान, भूमि, मुकदमेबाज़ी आदि भी सुविधायें देने में जो रियायतें दी जाती हैं उनमें एकरूपता लाने के लिये क्या किया गया है? अथवा यह राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है कि वे जो चाहें करें?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)**: इन मामलों में एकरूपता लाने के लिये सरकार जबकि निश्चय ही प्रयास करती है, सदन इस बात की सराहना करेगा कि प्रत्येक राज्य की अपनी निजी सुविधाओं तथा अन्य बातों के अनुसार अपनी निजी रियायतें हैं। परन्तु सरकार का प्रयत्न यही है कि एकरूप नीति निर्धारित की जाए।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार का विचार ऐसे जवानों को मुक्त कानूनी सहायता देने का है जिन्हें अदालतों में मुकदमे लड़ने पड़ते हैं?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : कुछ राज्यों ने ऐसा किया है।

†**श्री त्यागी** : केन्द्र ने राज्यों को युद्ध सेवा रियायतों की जो योजना भेजी है उसका ब्योरा क्या है? व रियायतें किस तरह की हैं जो केन्द्र चाहता है कि दी जायें?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : गृह-कार्य मत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक घोषणा की है जो सैनिक सेवा में आ गये हैं; उनकी वरिष्टता, वेतन तथा सेवा अधिकार परिरक्षित रखे गये हैं। केन्द्रीय सरकार ने उन आदेशों की प्रतियां विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी हैं और उनसे प्रार्थना की है कि वे ऐसी रियायतों की घोषणा करें।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिनके जवान बेटे नेफा में मारे गये हैं उनको भूमि और धन की सहायता तो क्या, उनके दरवाज़े पर आज तक एक तहसीलदार भी नहीं जा सका है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : मेरा यह सवाल जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : अब कौन कह सकता है कि कोई तहसीलदार गया है या नहीं ?

श्री यशपाल सिंह : मेरे जो लोग मारे गये हैं उनके मुताल्लिक़ पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने उन को यह इनफ़ारमेशन दे दी अब उनको चाहिए वह उस पर क़दम उठायें।

श्री यशपाल सिंह : वे यह कह दें कि उनके दरवाजे पर पहुंचेगा। कुछ तो कह दें।

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** यदि कोई विशेष उदाहरण हमारे ध्यान में लाया जाये तो हमें उसकी जांच करेंगे।

†**श्री इकबाल सिंह :** एक लाख एकड़ भूमि राजस्थान सरकार द्वारा तथा एक लाख मध्य प्रदेश द्वारा दी गई है। इस भूमि को बांटने में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** इस समय हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम राज :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्यों ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों को, उनके सेवा से लौटने पर, भूमि पुनःस्थापित करने के लिये आवश्यक विधान बनाया है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** यह सारा ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उपलब्ध है। यह लगभग ४४ पृष्ठों का लम्बा विवरण है।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** भूमि देने के अतिरिक्त क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अंगहीन सैनिकों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है ? उदाहरणार्थ, जो सैनिकों की भुजायें या टांग कट गई हैं उन्हें पुनः नौकरी में लगाया जा सकता है। क्या उन्हें पुनर्वासित करने का कोई प्रयास किया गया है ?

†**श्री रघुरामैया :** पुनर्वास निदेशालय के पास पहले ही पुनर्वास की कुछ योजनायें हैं और सरकार इस बात पर सतत ध्यान दे रही है और इसके लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है।

शक्तिमान 'ट्रक'

†*४५२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य सामग्री कारखानों द्वारा तैयार किये गये "शक्तिमान" ट्रकों में देशी पुर्जों की संख्या अभी हाल में बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) भारत में इन ट्रकों के निर्माण की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ग) भारतीय पुर्जों की उत्पादन लागत आयात किये गये पुर्जों की लागत से कम है या ज्यादा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां। सैन्य सामग्री कारखानों द्वारा तयार किये गये शक्तिमान ट्रकों में देशी पुर्जों की संख्या सितम्बर, १९६२ में ४८·८ प्रतिशत से अक्तूबर, १९६३ में ६१·९२ प्रतिशत तक बढ़ गई है।

(ख) सैन्य सामग्री कारखानों में इन ट्रकों की वर्तमान उत्पादन क्षमता १५०० प्रति वर्ष है।

(ग) इस समय देश में बनाये जाने वाले पुर्जों की लागत आयात किये गये पुर्जों से सामान्यतः अधिक है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस समय एक शक्तिमान ट्रक की कुल लागत क्या है और १९५९ में उत्पादन शुरू होने के बाद देशी पुर्जों के बढ़ जाने के कारण इस में कितनी कमी हुई है?

†**श्री रघुरामैया** : प्रश्न के अन्तिम भाग में मैंने कहा है कि देशी पुर्जों की लागत इस समय सामान्यतः ज्यादा है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वे लाभप्रद एकक नहीं हैं। इसके लिये एक अलग कारखाना खोलने का हमारा विचार है, तब हमें देशी लागत के कम होने की आशा है। हम जो शक्तिमान् ट्रक बनाते हैं उसका मूल्य ४३,००० रुपये है। यदि जर्मनी से कोई ट्रक आयात किया जाता है तो वह निश्चय ही सस्ता होगा परन्तु हम निर्माण के क्षेत्र को बढ़ा कर देशी लागत को कम करने की आशा करते हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस वर्ष इस ट्रक के उत्पादन का लक्ष्य क्या है और कब तक उन्हें आशा है कि व देशी ट्रकों से अपनी आवश्यकतायें पूरी कर लेंगे?

†**श्री रघुरामैया** : मैं ने बता दिया है कि उत्पादन क्षमता १५०० प्रति वर्ष है।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार का इरादा इन में से कुछ प्रतिशत ट्रक कृषि प्रयोजनों के लिये अलग रखने का है?

†**श्री रघुरामैया** : इस समय हम जितना उत्पादन कर रहे हैं वह सारा प्रतिरक्षा प्रयोजना के लिये चाहिये। परन्तु यदि कभी हम केवल मात्र इन्हीं ट्रकों के लिये एक नया कारखाना बनायेंगे और हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पायेंगे तो हम अवश्य इस पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : हमें बताया गया है कि शक्तिमान ट्रक का मूल्य ४३,००० रुपये है। मैं इस ट्रक में इस्तेमाल होने वाले विदेशी पुर्जों की कीमत जानना चाहता हूं।

†**श्री रघुरामैया** : उत्तर में दी गई देशी पुर्जों की प्रतिशतता मूल्य से सम्बन्धित है। जैसाकि मैंने कहा यह ४८·८ से बढ़ कर ६१·९२ प्रतिशत हो गई है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या पुर्जों की वृद्धि में कोई बड़े या अत्यावश्यक पुर्जे सम्मिलित हैं या केवल छोटी-मोटी वस्तुयें हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : इंजन के सम्बन्ध में भी हम देशी पुर्जों में धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शुरू शुरू में यह देखने का कोई ध्यान रखा जाता है कि निर्माण लाभ-प्रद मात्रा में हो क्योंकि बहुत बार हम ने देखा है कि कई तरह का निर्माण आरम्भ किया जाता है और प्रत्येक अलाभप्रद होता है ?

†**श्री रघुरामैया** : इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लाभप्रद बनाने के लिये इन ट्रकों को काफी संख्या में बनाया जाये। परन्तु आपातकाल के बाद इनके अतिरिक्त हम ने निशान १ टन (गश्ती ट्रक) तथा निशान जीपें भी बनानी आरम्भ कर दी हैं और इसलिये हम उतने ट्रक न बना सके जितने हम केवल इन्हीं ट्रकों का निर्माण करते रहने पर बना सकते थे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि ट्रक बचतपूर्ण दरों पर बनाये जाने हों तो उसके लिये कितने ट्रक बनाने पड़ेंगे और वह दर क्या होगी ?

†**श्री रघुरामैया** : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : पिछली बार माननीय मंत्री से ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने देशी पुर्जों की प्रतिशतता बताई थी परन्तु बाद में देखा गया कि उस प्रतिशतता में संयोजन की मजूरी भी सम्मिलित थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ६२ प्रतिशत लागत में संयोजन प्रभार भी सम्मिलित हैं।

†**श्री रघुरामैया** : निर्माण में मजूरी सम्मिलित होती है।

श्री काशी राम गुप्त : जो पुर्जे भारतवर्ष में बनाये जा रहे हैं उनकी किस्म विलायती पुर्जों के मुकाबले नें बराबर की है अथवा नहीं ?

†**श्री रघुरामैया** : उनके मुकाबले में बड़े अच्छे हैं।

†**श्री त्यागी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह शक्तिमान ट्रक्स जबलपुर में तैयार हो रहे हैं और उनके पुर्जे बम्बई में तैयार हो रहे हैं, तो क्या सरकार कोई एसी व्यवस्था करने जा रही है कि जहां पुर्जे तैयार होते हैं वहीं ट्रक्स भी तैयार की जांय ? दो स्थानों पर यह काम करने से क्या सरकार को अधिक मंहगा नहीं पड़ेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : इसे जबलपुर में बनाया जाता है। इंजन कानपुर में बनाया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि पुर्जे बम्बई में बनाये जाते हैं।

†**श्री रघुरामैया** : आपातकाल के बाद, उत्पादन की गति बढ़ाने के लिये हम कुछेक पुर्जे असैनिक क्षेत्र में देते रहे हैं। शायद माननीय सदस्य का संकेत उन्हीं पुर्जों की ओर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय कितने बेकार ऐसे ट्रक्स हैं जो कि सरकार के पास ताले के अन्दर बंद पड़े हैं और वह कितनी लागत के हैं ? क्या यह बात भी सही है कि उन के पुर्जे नए ट्रकों में काम में लाये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शक्तिमान ट्रकों में ?

श्री कछवाय : जी हां ।

†**श्री रघुरामैया** : मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य शक्तिमान की ओर संकेत कर रहे हैं । उनमें से किसी के बेकार पड़े रहने का मुझे ज्ञान नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि शक्तिमान का मूल्य जर्मनी में प्रचलित मूल्य से अधिक था । क्या यह सच है कि भारत में शक्तिमान का मूल्य प्रीमियर आटोमोबाइल्स तथा टेल्को द्वारा संभरित ट्रकों से कम है ?

†**श्री रघुरामैया** : ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । वर्तमान भाव मैंने बता दिये हैं ।

†**श्री त्यागी** : एक स्पष्टीकरण मांगा गया था । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें मैं एक और अवसर दूंगा परन्तु वह प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के बाद हस्तक्षेप न करें ।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा** : जिन कम्पनियों के अन्दर शक्तिमान ट्रक्स बनाये जा रहे हैं तो क्या वह कम्पनियां हमारी जरूरत पूरी कर सकेंगी या कोई और फैक्टरी लगाने का विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** । मैं पहले ही बता चुका हूं कि न केवल इन्हीं ट्रकों के बल्कि ट्रैक्टरों तथा निशान जीपों और निशान पेट्रोल के उत्पादन की गति को भी बढ़ाने के लिए एक स्वयंपूर्ण कारखाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री त्यागी** : मैं स्पष्टीकरण चाहता था कि क्या इस ६२ प्रतिशत में पुर्जों के निर्माण की मजूरी सम्मिलित है या संयोजन प्रभार भी इसमें गिने जाते हैं ।

†**श्री रघुरामैया** : यह तो स्वाभाविक है कि जब सारी चीज का मूल्यांकन होता है अथवा उसके किसी भाग का मूल्यांकन किया जाता है तो मजूरी में तथा संयोजन प्रभार श्रम प्रभारों में सम्मिलित होते हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या आप अलग अलग बतायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ६२ प्रतिशत में संयोजन प्रभार भी आते हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मेरी वर्तमान जानकारी यही है ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि इन ट्रकों की कीमत जर्मनी में बने कुछ ट्रकों की कीमत से ज्यादा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी लागत जर्मनी जितनी करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्पादन की गति बढ़ाने के लिये सारा उद्देश्य एक स्वयंपूर्ण कारखाना स्थापित करने का है ताकि लागत कम हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समय के बारे में वह कुछ बता सकते हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : जब तक वह कारखाना बन न जाये कुछ कहना कठिन होगा ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या पूर्णत: स्वदेशी मिलिटरी ट्रक बनाने की कोई लक्षित तिथि है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री रघुरामैया** : विदेशी सहकार से निर्माण के सभी मामलों में अन्तिम उद्देश्य प्रत्येक चीज देश के अन्दर ही बनाने का है सिवाय उन स्वामिगत मदों के जो कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से आयात करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई लक्षित तिथि है जब तक हम उस लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे ?

†**श्री रघुरामैया** : हम से यथासंभव शीघ्र करने के लिये उत्सुक हैं ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

\+

†४५३. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दे० व० पुरी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान सेवा ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में तैयार किया गया एक हल्का चार सीटों वाला "कृषक" नामक विमान स्वीकार कर लिया और आरम्भ में ३८ विमान बनाने का आर्डर दिया है ; और

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ने १९६२–६३ में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) भारतीय विमान सेवा ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में तैयार किया गया कृषक विमान स्वीकार कर लिया है और ३० विमान बनाने का आर्डर दे दिया है ।

(ख) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने हिसाब लगाया है कि देश के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के वायुयान, वायुयानों के इंजन तथा रेल-डिब्बे आदि बना कर १९६२–६३ में ७७७·०९ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई गई है ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवर्ष ऐसे कितने विमान बनाने का लक्ष्य है और अभी ऐसे कितने विमान बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : उत्पादन का कार्यक्रम यह है कि १९६४ में वे तीन बना सकेंगे तथा १९६५ में २४ और इसी तरह आगे बनाते रहेंगे ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि एक विमान का लागत-खर्च (कास्ट आफ प्राडक्शन) क्या है ?

†**श्री रघरामैया** : लागत-खर्च ९७,००० रुपये प्रति विमान होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जा न सकता हूं कि देशी पुर्जे कितने प्रतिशत इस्तेमाल किये जाते हैं ? क्या इंजन भी देशी है ?

†**श्री रघुरामैया** : यदि मैं कहूं कि इस ९७,००० रुपये में ५६,००० पये का विदेशी मुद्रा का अंश है तो माननीय सदस्य इससे कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश और जाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का स क्षण

+

†*४५४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री हेम राज :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का उत्तर प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन मुख्य विषयों पर सर्वेक्षण किया जायेगा ; और

(ग) सर्वेक्षण कब पूरा हो जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) योजना आयोग का उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के सीमा क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण करने का विचार नहीं । योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने मार्च १९६१ में उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया, जिसका निदेशन, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर के उपकुलपति के द्वारा किया जा रहा है ।

(ख) उत्तराखण्ड प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सामाजिक-आर्थिक सांख्यिकी एकत्रित करने के लिये किया गया है, जो प्रदेश के आयोजित विकास के लिये उपयोगी होगा । इसमें डैमोग्राफिक तथ्यों, कृषि और पशुधन , परिवहन, व्यापार, श्रम, उपभोक्ता व्यय और आवास समेत सभी महत्वपूर्ण पहलू आयेंगे ।

(ग) उत्तराखण्ड का एक व्यापक सर्वेक्षण पूरा किया गया है और प्रारंभिक प्रारूप रिपो तैयार किया गया है । चुने हुए क्षेत्रों का सघन अध्ययन करने का विचार है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : इस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को इन में से कुछ सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने, उस क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना की लागत ३६,९३४ रुपये की मंजूरी दी है । एक विशेष सलाहकार समिति बनाई गई है । वैदेशिक कार्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालय भी उसमें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या प्रस्ताओं पर पुनर्विचार करने के इस क्षेत्र के लिये एक स्थायी समिति होगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : सलाहकार समिति काफी स्थायी है और इसका उस क्षेत्र के सभी विकासों के साथ सम्पर्क रहेगा ।

†**श्री हेमराज** : क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा काश्मीर के सीमाक्षेत्रों की स्थिति वही है जो उत्तराखण्ड की है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ऐसा सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : अब हमने पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के साथ आरम्भ किया है । वे सीमा क्षेत्र हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस सर्वेक्षण का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता लाने के लिये योजना आरम्भ करना है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न से उठ सकता है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : चुने हुए क्षेत्रों का गहन अध्ययन किस अभिकरण के द्वारा किया जाएगा और क्या सरकार ने इन क्षेत्रों को चुना है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : सलाहकार समिति में वैदेशिक-कार्य, गृह-कार्य, प्रतिरक्षा मंत्रालयों तथा भारत सर्वेक्षण के प्रतिनिधि होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय पंत नगर के उपकुलपति श्री स्टीवन्सन की रिपोर्ट हमारे समक्ष है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । यह गहन सर्वेक्षण कौन करेगा—क्या सरकार अथवा उपकुलपति ।

†**श्री चे०रा० पट्टाभिरामन्** : सलाहकार समिति समूची प्रभारी होगी । सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में मानव शास्त्र, भूगोल, तथा राजनीतिक संबंधी पहलू होंगे ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्टेरिम रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें की गई हैं, उन की मुख्य बातें क्या हैं और सर्वेक्षण से क्या पता चला है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : कुछ निर्णय किये गये हैं, वह काफी लम्बे हैं। हम उनका पालन कर रहे हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : सांख्यिकीय सूचना के आधार पर सरकार द्वारा आरम्भ की गई गहन विकास योजना की प्रमुख बातें क्या होंगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : यह सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण है । इसमें उन जिलों के लोगों का मानव शास्त्र संबंधी सर्वेक्षण शामिल है । सभी आर्थिक पहलुओं का सर्वेक्षण किया जाएगा ।

†**श्री दे० जी० नायक** : पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि के सीमा क्षेत्र भी अविकसित हैं और वहां आदिम जाति के लोग रहते हैं । सरकार उन क्षेत्रों का विकास करने और आदिम जाति के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह बहुत व्यापक प्रश्न है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इसका आधार दो अनुसंधान प्रस्ताव हैं, पहला, डा० एस० आर० के० चोपड़ा तथा डा० पी० एल० मेहरा द्वारा तैयार किया गया लाहौल तथा स्पिती का ऐतिहासिक एवं मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण की अग्रिम अध्ययन परियोजना, दूसरी दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० आई० पी० सिंह और डा० विस्वास द्वारा लद्दाख का सामाजिक-सांस्कृतिक आर्थिक अध्ययन । यही आधार है ।

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का इजराइल में नाहल प्रतिष्ठानों के ढांचे पर इन सीमा क्षेत्रों में कृषक -सिपाही बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: यह इस प्रश्न से नहीं उठता ।

†श्री दे० जी० नायक : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । सरकार उन क्षेत्रों का विकास करने और लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये क्या पग उठाने का इरादा है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

†श्री कपूर सिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मा० उपमंत्री कहते हैं कि यह बात इस प्रश्न से नहीं उठती । पहले, तो वह इस प्रश्न का निर्णय करने में समर्थ नहीं हैं । दूसरे, यह पूछे गये मूल प्रश्न में से सीधे उठता है । (अन्तर्बाधा) । इजराईल की नाहाल बस्तियां सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक बस्तियां हैं, अतः यह प्रश्न सीधा उठता है और मूल प्रश्न से संबंध रखता है ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी कहते हैं कि यह प्रश्न इससे नहीं उठता, वह केवल इस आपत्ति की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, और वह स्वयं निर्णय नहीं करते ?

†श्री कपूर सिंह : मुझे इस विषय में सूचना चाहिये । यदि वह 'न' वह कह सकते हैं, तो वह कहते हैं कि 'ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है' या यदि वह 'हां' कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ऐसा एक प्रस्ताव है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया । उन्होंने इस तर्क पर कि इसका प्रश्न से संबंध नहीं है, मंत्री द्वारा निर्णय करने पर आपत्ति है ।

†श्री कपूर सिंह : क्या इसका निर्णय वह करेंगे या आप करेंगे ? निर्णय कौन करेगा ?

†श्री हरि विष्णु कामत : निर्णय आप करेंगे या मंत्री जी ? प्रश्न यह है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं । जब मंत्री जी कहते हैं कि इसका मुख्य प्रश्न के साथ कोई संबंध है, तो वह उस आपत्ति की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, और कोई निर्णय नहीं करते । यह मंत्री की ओर से, सभाध्यक्ष से प्रार्थना होती है और तब यदि मैं उस से सहमत होता हूं तो वह बात रहती है, अर्थात् यह कि इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । यदि मैं उनकी बात से सहमत नहीं होता, तो मैं मंत्री जी को उसका उत्तर देने को कहता हूं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप 'हां' नहीं कहते, तो इस से हमको हानि होती है; आप हां या 'न" नहीं कहते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसका प्रयत्न करूंगा, किन्तु मैं समझता हूं कि प्रत्येक सैकंड की बचत की जाए ।

†श्री हरि विष्णु कामत : किंतु नियमों और कुशलता का बलिदान करके ऐसा नहीं होना चाहिये ।

†श्री रंगा : जब कभी हम अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं, सूचना प्राप्ति के लिये, तो मंत्री जी कह देते हैं कि उन के पास सूचना नहीं है । क्या हम यह समझें कि प्रश्न और उत्तर केवल अभिलेख के लिये हैं? मंत्री से आशा की जाती है कि उनसे सूचना प्राप्त की जाए । और यदि वह इसे जरूरी समझते हैं, तो उस विशिष्ट मामले के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करें।

†अध्यक्ष महोदय : हमेशा ऐसा नहीं होता । यह परिस्थिति पर निर्भर करता है । जब वह कहते हैं कि उनके पास सूचना नहीं, तो सदस्य को उस मामले में फिर पूछना चाहिये, वह उनको पत्र लिख कर व्यक्तिगत रूप में सूचना दे सकते हैं। यदि वह चाहते हैं कि उस उत्तर की सभा में अग्रेत्तर व्याख्या की जाए, तो वह अपना प्रश्न दुहरा सकते हैं या यदि वह अनुभव करते हैं कि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, और वह उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह आधे घण्टे की चर्चा की प्रार्थना कर सकते हैं । वह बहुत सी बातें कर सकते हैं।

†श्री हेम राज : प्रश्न संख्या ४५५ को ले लिया जाए ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीका से बुलडोजर

†*४४८. { डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने सीमान्त क्षेत्रों के पर्वतीय मार्गों पर इस्तेमाल के लिए पर्याप्त संख्या में बुलडोजर तथा बरफ में चलने वाले चक्रीहल[1] हमें देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या शरद् ऋतु में बरफ से ढके ऊंचे ऊंचे दर्रों को आने-जाने के लिए सुगम्य बनाना सम्भव होगा ; और

(ग) इन मार्गों पर से बरफ साफ करने के अतिरिक्त क्या हमारी उत्तरी सीमाओं के बरफ से ढके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवाई रज्जुपथ जैसे परिवहन के अन्य साधनों से भी काम लेने का विचार है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) अमरीकी सरकार ने सीमावर्ती सड़कों सम्बन्धी विभाग को कुछ मशीनें और साज सामान देना सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया है । सहायता की मात्रा और तत्सम्बन्धी अन्य मामलों पर अभी चर्चा हो रही है । कुछ बुलडोजर प्राप्त हो गये हैं और बर्फ में चलाये जाने वाले कुछ हल शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बर्फ हटाने के साज सामान के इस्तैमाल से इनमें से कुछ दर्रे खुले रखे जा सकते हैं।

(ग) उन्हीं क्षेत्रों में रज्जपथ स्थापित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

नई दिल्ली में विज्ञापन के बोर्ड आदि

†*४४९. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री ब्र० ना० तिवारी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **सूचना और** प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने सरकार से राजधानी में सभी वाणिज्यिक विज्ञापन बोर्डों आदि को हटा देने के लिए मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ग) सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के नई दिल्ली नगरपालिका की सीमाओं में कोई वाणिज्यिक विज्ञापन बोर्ड नहीं हैं। फिर भी इस क्षेत्र में उसके राष्ट्रीय रक्षा प्रचार के आठ बोर्ड हैं जिन्हें विज्ञापन-अभिकरणों ने निशुल्क दान दे दिया है। नयी दिल्ली नगरपालिका ने निदेशालय से कहा है कि इन बोर्डों पर से दाताओं के नाम मिटा दिये जायें।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस विषय पर विचार हो रहा है।

अल्प-विकसित प्रदेशों का विकास

†*४५५. **श्री हेमराज** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के अल्प-विकसित प्रदेशों का विकास करने की सम्भावनाओं को आंकने के लिए कोई सर्वेक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में तथा उन राज्यों के किन प्रदेशों में; और

(ग) इन सर्वेक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं।

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में अभी तक ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं। योजना आयोग ने पूर्वी-उत्तर प्रदेश के चार जिलों अर्थात् गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ में आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए उन क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त अध्ययन दल नियुक्त किया था। दल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी लैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†*४५६. **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम विधियां हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल पर लागू नहीं की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में केन्द्रीय श्रम विधियों को लागू करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) निम्नलिखित को छोड़कर बाकी सभी सुसंगत केन्द्रीय श्रम विधियां हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल पर लागू होती हैं :—

(१) प्रसूति लाभ अधिनियम, १९६१

(२) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ और

(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (अध्याय ५-क को छोड़ कर) ।

(ख) जहां केन्द्रीय श्रम विधियां लागू नहीं होतीं वहां राज्य श्रम विधियां लागू होती हैं ।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम में अभी हाल में संशोधन किया गया है और ज्यों ही इसे लागू किया जायगा, त्यों ही यह केन्द्रीय अधिनियम केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं पर लागू हो जायगा ।

सरकारी उपक्रमों में मजदूरों सम्बन्धों के बारे में सम्मेलन

†*४५७. **श्री बिशनचन्द्र से** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़ी बड़ी उपक्रमों में मजदूरों के बिगड़े हुए सम्बन्धों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय गृह-कार्य मन्त्री ने एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों में मजदूर समस्याओं को हल करने के लिये समिति ने किन उपायों का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या उन्होंने मज़दूरों के मुख्य नेताओं के साथ इस समस्या पर चर्चा की है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे समस्या को हल करने में उन्हें कहां तक सहायता मिली है ?

†**संभरण मन्त्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) श्रमिक सम्बन्ध ठीक करने और संघों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा दूर करने के मार्गोपाय ढूंढने के लिए सामान्य चर्चा हुई थी । संघों के नेताओं से कहा गया था कि वे "धीरे चलो" की नीति न अपनायें । यह भी निश्चय किया गया था कि श्रम और रोजगार मन्त्रालय का वरिष्ठ अधिकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बारे में स्थिति की जांच करे कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी, रूरकेला के मजदूर संघों की सदस्य-संख्या जांचने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

(ग) सम्बन्धित संघों के नेताओं से चर्चा की गयी थी ।

(घ) संघों के नेताओं से प्राप्त उत्तर सन्तोषजनक थे ।

बिहार में कोयला खान

†*४५८. { डा० उ० मिश्र :
श्री मुहम्मद लियास :

क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गिरिडीह और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों में कितनी बार पानी भरा ;

(ख) क्या यह सच है कि कोलीकरन खान के मजदूर अस्थायी रूप से बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि खान में पानी भर गया है ;

(ग) खानें में पानी भर जाने के कारण कितने आदमी मरे और खनन मशीनों को कितना नुकसान पहुंचा ; और

(घ) सरकार क्या निवारक उपाय करेगी ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां, सिर्फ गिरिडीह में ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोई जान नहीं गयी । कुछ पम्प और सहायक पंखा और उसके पुर्जों को कुछ नुकसान पहुंचा है ।

(घ) प्रबन्धकों को आदेश दिया गया है कि वे सतह पर पानी को काफी मात्रा में जमा न होने दें ।

भारत-चीन सीमा विवाद

†*४५९. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो राष्ट्रों में से किसी ने उन्हें भारत-चीन विवाद हल करने की दृष्टि से चीन के प्रधान मंत्री के साथ बात करने के औचित्य पर या चीन सहित अफ्रीकी एशियाई देशों के सम्मेलन में भाग लेने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या चीनी प्रधान मंत्री ने इसी प्रकार की अपनी इच्छा सरकार से व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) कोलम्बो सम्मेलन के किसी भी देश से भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के बीच बातचीत करने का सुझाव नहीं दिया

†मूल अंग्रेजी में

है या नहीं यह राय दी है कि भारत-चीन संघर्ष मिटाने के लिए चीन सहित अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में भारत को भाग लेना चाहिये।

(ख) चीनी प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री के नाम अपने २४ अक्तूबर के पत्र में यह सुझाव दिया है कि दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक की जा सकती है। उन्होंने अपने इस सुझाव को अभी हाल में रायटर के जनरल मैनेजर के साथ पत्र सम्मेलन में दुहराया है।

(ग) सरकार की यह राय है कि कोलम्बो प्रस्तावों को पूरी तौर से मान लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के मामले में चीनी दुराग्रह को देखते हुए दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच बैठक करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

†*४६०. श्री सुबांश दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या तिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रतिरक्षा उद्योगों में पूर्णतया लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध उन प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो सेवा अधिनियम के अधीन हैं या जो इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर के प्रतिष्ठानों में नियुक्त हैं। जहां कहीं यह अधिनियम लागू होता है वहां उसके उपबन्ध कार्यान्वित किये जा रहे हैं और यदि उनके उल्लंघन के कोई मामले नजर में आते हैं तो उनकी छानबीन की जाती है और उपाय किये जाते हैं।

गोआ में शिक्षा प्रणाली

†*४६१. श्री श्यामलाल सर्राफ: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्र होने के बाद से गोवा, दमन और दीव में सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली में यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है तो क्या ;

(ख) क्या अन्य परिवर्तनों के साथ साथ अध्यापकों तथा छात्रों के लिए कोई प्रशिक्षण संस्था खोली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २०५४/६३]।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

†*४६२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को लंका सरकार से बागान क्षेत्रों में किए गये सर्वेक्षण के बारे में कोई सूचना मिली है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय उद्भव के लगभग ३,५०,००० बागान कर्मचारी अपने परिवारों समेत भारत लौटना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी नहीं। ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*४६३. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागान क्षेत्रों में लागू कर्मचारी राज्य बीमा योजना केवल कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू है तथा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं तथा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित चिकित्सा सुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री वे० रा० प टाभिरामन्)** : (क) जी हां। वर्कशाप एक कारखाना हो और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की परिभाषा के अनुसार मौसमी कारखाना न हो।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना फिलहाल केवल कारखाने के कर्मचारियों पर ही लागू होती है। बागान कर्मचारियों को बागान श्रमिक अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं।

खनिकों के लिए शिरस्त्राण

†*४६४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार को भारतीय खान कर्मचारी संघ द्वारा ऐसी कोई मांग दी गई है कि खान मालिकों को खनिकों के लिए निःशुल्क शिरस्त्राण दिए जायें।

(ख) क्या यह सच है कि खान मालिक ५ रुपये जमानत के रूप में मांग रहे हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है कि निःकुल्क शिरस्त्राण देने पर रोक न लगाई जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मुख्य खान निरीक्षक ने प्रबन्धकों को पहले ही आदेश दे दिया है कि सेफ्टी हैट मुफ्त दिये जायें। सेफ्टी हैट का दुरुपयोग हो इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी से ५ रुपये की जमानत लेने के प्रस्ताव पर स्थायी सुरक्षा मंत्रणा समिति विचार कर रही है। कर्मचारी संघों के साथ भी इस प्रश्न पर आगे चर्चा होनी है।

प्रेस के लिए आचार संहिता

†*४६५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आचार संहिता का पालन करने में प्रेस से किस प्रकार का सहयोग मांगा गया था तथा मिला था ?

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आचार संहिता की ४००० प्रतियों से कुछ अधिक ही, इस प्रार्थना के साथ कि वे उस संहिता का पालन करें देश भर के समाचारपत्रों को भेज दी गयी थीं। उत्तर भेजने वाले प्रत्येक समाचार-पत्र ने उस संहिता का पूरा पूरा पालन करने का वचन दिया है।

तिब्बत में नजरबन्द भारतीय

†*४६६ { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में पांच भारतीय नजरबन्दों को इस बीच मुक्त करा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी नहीं।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६३ के हमारे उस नोट की प्रति, को नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को दिया गया था, सभा पटल पर रखी जाती है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२०५५/६३]

गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

†*४६७ { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी संघ ने गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) जी हां।

(ख) समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए एक मजूरी बोर्ड कायम करने का निश्चय किया गया है। इस मजूरी बोर्ड की रचना और उसके विचारणीय विषय निर्धारित किये जा रहे हैं।

मोजम्बीक में भारतीय

†*४६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोजम्बीक से निकाले गए भारतीयों की आस्तियों को वापस दिलाने में तथा उनको पुनः वहां पर भेजने में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ?

(ख) क्या भारत सरकार ने भारतीय उद्भव के उक्त व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए कोई सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†विदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-२०५६/६३]।

गोदी कर्मचारी

†*४६९. { **श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गोआ के बन्दरगाहों के स्थानीय गोदी कर्मचारियों के संबंध में अठारह महीनों से अधिक समय से बातचीत हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो मामले को शीघ्र निबटाने की क्या संभावनायें हैं ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ प्रत्यक्ष कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

†संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं। फिर भी ज्ञात हुआ है कि संघ ने ६ दिसम्बर, १९६३ को मांग दिवस मनाया जब कि उनकी मांगों की पूर्ति के लिए विभिन्न पत्तन अधिकारियों के पास प्रतिनिधिमण्डल भेजे गये थे।

छावनी क्षेत्र

†*४७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री द्वितीय लोक-सभा की प्राक्कलन समिति के १४१ वें प्रतिवदन के अध्याय १ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति की इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है कि सरकार को छावनी

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्रों में उपयुक्त प्रजातंत्रीय व्यवस्था को संविहित रूप देने के लिए आवश्यक विधान पुरःस्थापित करना चाहिए ; और

(ख) क्या कानून बनने तक सरकार ने छावनी बोर्डों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था लागू करने के लिए कोई कार्यपालिका आदेश/अनुदेश जारी किए हैं तथा यदि हां, तो वे क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छावनी ऐक्ट १९२४ के संशोधन, जो अन्य बातों के साथ छावनी क्षेत्रों में असैनिकीकरण लाने के लिए, पहले से उठाए गये कई पगों को नियमों का रूप देंगे, विचाराधीन हैं ।

(ख) निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों के बीच समानता लाने के लिए, सभी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की छावनियों में, मनोनीत सैनिक अफसरों में से एक स्थान रिक्त रखने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई व्यवसायों के लिए आवश्यक लाइसेंस जारी करने तथा भवनों पर नियन्त्रण के मामलों में, असैनिक क्षेत्र समितियों को छावनी बोर्ड के अधिकार देने के लिए भी आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

राजनयिक अधिकारियों को प्राप्त उन्मुक्तियां

†*४७१. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रधान मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ की ध्यान आकर्षण सूचना पर दिए गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन श्रेणियों के राजनयिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं ;

(ख) किन श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कानून की प्रक्रिया से उन्मुक्ति है ;

(ग) दोनों मामलों में से किसी में भी अपराधी को जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) उन्मुक्ति के क्षेत्र से अपवर्जित अपराध क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) राजनयिक सम्बन्ध विषयक वियना सम्मेलन के अनुसार जिन श्रेणी के व्यक्तियों को राजनयिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(१) डिप्लोमेटिक ऐजेण्ट

(२) दूतावासों के शिल्पिक और प्रशासनिक कर्मचारी

(३) दूतावास के सेवा-कर्मचारी

(ख) डिप्लोमेटिक ऐजेण्टों को स्थानीय राज्य के दांडिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति होती है। उन्हें स्थानीय राज्य के असैनिक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से भी उन्मुक्ति होती है लेकिन कुछ असैनिक कार्यों के सम्बन्ध में नहीं, उदाहरणार्थ वह कार्य जो स्थानीय राज्य के क्षेत्र में स्थित गैर-सरकारी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में हो, जब तक कि वह संपत्ति दूतावास के प्रयोजन के लिए प्रेषक राज्य की ओर से न रखी गई हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) प्रशासनिक और शिल्पिक कर्मचारियों को, यदि वे स्थानीय राज्य के राष्ट्रजन न हों या स्थायी रूप से वहां के निवासी न हों, तो, दांडिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। लेकिन उनके कार्यक्षेत्र के बाहर किये गये कार्यों के लिए व्यावहारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति नहीं होगी।

(२) उन सेवा-कर्मचारियों को जो स्थानीय राज्य के राष्ट्रजन नहीं होंगे या वहां के स्थायी निवासी नहीं होंगे, कार्यों के दौरान किये गये कामों के सम्बन्ध में ही उन्मुक्ति प्राप्त होगी।

(३) उन गैर-राजनयिक कर्मचारियों को, जो स्थानीय राज्य के राष्ट्रजन नहीं होंगे या वहां के स्थानीय निवासी नहीं होंगे, स्थानीय राज्य द्वारा स्वीकृत सीमा तक ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। फिर भी स्थानीय राज्य को उन व्यक्तियों पर इस प्रकार से अपना क्षेत्राधिकार लागू करना चाहिये जिससे दूतावास के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप न हो।

(ग) यदि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित किसी श्रेणी के व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए किसी विधि न्यायालय में मकदमा चलाना हो तो प्रेषक राज्य को यह उन्मुक्ति समाप्त करनी पड़ेगी और वह स्पष्ट रूप से घोषित करनी होगी।

(घ) ऐसे कोई अपराध नहीं हैं।

कराची में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

†*४७२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० देवभंज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार करांची में भारतीय उच्चायोग से भारतीय रूपक फिल्मों का प्रदर्शन बंद कर देने के लिए कह रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) पाकिस्तान सरकार चाहती है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग सहित सभी विदेशी दूतावास अपने राजनयिक स्थानों के अतरिक्त अन्य स्थानों पर अपने चलचित्र प्रदर्शित करने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की आवश्यकताएं पूरी करें। पाकिस्तान सरकार ने हमारे उच्चायोग को चलचित्रों का प्रदर्शन बंद करने के लिए कोई अलग से या विशेष प्रार्थना नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्थिक विकास

†*४७३ { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम निर्धारण से पता लगता है कि गत दो वर्षों में देश का आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के अनुसार नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग तथा कृषि, के क्षेत्र में आर्थिक विकास के तथा जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). नवीनतम निर्धारण के अनुसार पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय आय ४·७ प्रतिशत बढ़ी जब कि जनसंख्या में ४·५ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इस अवधि में उद्योगों की आमदनी ९·५ प्रतिशत बढ़ी जबकि कृषि सम्बन्धी आय १·४ प्रतिशत कम हो गई।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१२६९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए कुल कितने क्वार्टर्स बनाये हैं ;

(ख) कितने क्वार्टर्स अभी बनाये जा रहे हैं;

(ग) अक्तूबर, १९६३ तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं; और

(घ) १९६४–६५ में कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जाने वाले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) (३१ अक्तूबर, १९६३ तक) २,१६२

(ख) २६१

(ग) २,१६२

(घ) २५१ ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

†१२७०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर में इस समय कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें (१) महिला कर्मचारियों (२) अनुसूचित जातियों (३) अनुसूचित आदिम जातियों और (४) अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) ३६०६ (१ नवम्बर, १९६३ को)

(ख) (१) ५७५ ⎫
(२) ६६१ ⎬ १ नवम्बर, १९६३ को
(३) २ ⎭

(४) अन्य पिछड़े वर्गों के ब्यौरे न होने के कारण यह जानकारी देना कठिन है ।

उड़ीसा के रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पंजीबद्ध व्यक्ति

†१२७१. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० जून, १९६३ को उड़ीसा के रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार पंजीबद्ध थे; और

(ख) १९६२ में और जनवरी से जून १९६३ तक ऐसे कितने उम्मीदवारों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** :

(क) अनुसूचित जातियां . ५३०६
अनुसूचित आदिम जातियां ८,६०४

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

आवेदकों की श्रेणी	जिन लोगों को रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या	
	१९६२	जनवरी-जून १९६३
(१)	(२)	(३)
अनुसूचित जातियां	१,२१०	६८२
अनुसूचित आदिम जातियां	२,०१५	१,२१७

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†१२७२. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ और १९६३-६४ में उड़ीसा राज्य में कोई श्रमिक शिक्षा केन्द्र अब तक चालू किये गये हैं या चालू किये जाने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी एक प्रादेशिक केन्द्र ८-८-१९६३ से उड़ीसा में चालू किया गया था ।

(ख) २४ कर्मचारी-शिक्षकों के एक दल ने तीन महीने का प्रशिक्षण पूरा किया है जिसमें सामूहिक चर्चा, भाषण, स्थानीय यात्राएं, शिक्षायात्रा, वाद-विवाद, नाटक और दृश्य-श्रव्य साधनों से शिक्षा सम्मिलित थी । कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक यूनिट लेवल क्लास भी इस बीच संगठित किया गया है ।

अस्पृश्यता निवारण संबंधी चलचित्र

†१२७३. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में उड़िया भाषा में चलचित्र तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी सहायता दी गई है या दी जाने वाली है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े बन्दरगाहों के कर्मचारियों संबंधी जीजीभाई समिति

†१२७४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बन्दरगाहों के वर्ग ३ और ४ के कर्मचारियों के श्रेणीकरण और वर्गीकरण सम्बन्धी जीजीभाई समिति की सिफारिशों से उत्पन्न हुई असंगतियों के बारे में निर्णय करने के लिए कोई न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है ;

(ख) मद्रास, कांडला, कोचीन और विशाखापटनम् के बंदरगाह न्यायाधिकरण के विचारणीय विषयों में क्यों नहीं शामिल किये गये हैं, इसके बावजूद कि इन बंदरगाहों के कर्मचारी संघों ने उनके मामले भी शामिल करने के लिए अभ्यावेदन भेजे थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, क्या उन्हें, औद्योगिक शांति के हित में , शामिल करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) जी हां । न्यायाधिकरण को सौंपे गये मामले केवल बम्बई पत्तन न्यास और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों से सम्बन्धित हैं ।

(ख) और (ग). कोचीन और विशाखापत्तनम् से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

अपंजीबद्ध गोदी कर्मचारियों की योजना

†१२७५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपंजीबद्ध गोदी कर्मचारी योजना, १९५७ जिसे 'लिस्टिंग स्कीम' कहा जाता है, विभिन्न श्रेणियों के गोदी कर्मचारियों की आकस्मिकता समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के तौर पर बनायी गयी थी ; और

(ख) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के गोदी मजदूर बोर्डों ने ऐसी "लिस्टेड" श्रेणियों को पंजीबद्ध गोदी कर्मचारी योजना के अनुसार अपने-अपने बोर्डों के अधीन लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) "लिस्टिंग स्कीम" का एक उद्देश्य यह है कि यह मालूम करने के लिए कि क्या "लिस्टेड" कर्मचारियों की आकस्मिकता समाप्त की जा सकती है और उन्हें नियमित रोजगार, गारंटीशुदा मजूरी आदि के लाभ दिये जा सकते हैं, आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करना ।

(ख) इस प्रश्न पर विचार किया गया है और यह मालूम हुआ है कि 'लिस्टेड' कर्मचारियों को पंजीबद्ध गोदी कर्मचारी योजना के अधीन लाने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है । बम्बई में लिस्टेड चिपिंग और पेटिंग कर्मचारियों को करार के अनुसार न्यूनतम गारंटी भविष्य निधि, ग्रैच्युइटी आदि के लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।

मद्रास कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण अधिकारी

†१२७६. **श्री म० प० स्वामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कितनी और किन-किन कपड़ा मिलों ने अभी तक श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं ; और

(ख) इस विषय में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख). मद्रास सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्वालियर

†१२७७. श्रीमती विजय राजे सिंधिया : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्वालियर में, प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ; और

(ख) किस प्रकार के हथियार और गोलाबारूद तैयार किये जायेंगे ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्वालियर, में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान तैयार करने की संभावना के बारे में सरकार छानबीन कर रही है । सेना आयुध कारखानों के महानिदेशक द्वारा कारखाने की क्षमता पूरी तरह निर्धारित किये जाने के बाद ही यह निश्चित किया जायेगा कि वहां किस प्रकार का माल तैयार किया जायेगा ।

मद्रास में शिक्षित बेरोजगार

†१२७८. श्री मल्लाइछामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६२ को मद्रास राज्य में कितने शिक्षित बेरोजगार थे ; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या कितनी थी ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) रोज़गार दफ्तरों के चालू रजिस्टर में ४१,०८३ शिक्षित (मैट्रिक्यूलेट और इससे ऊपर) व्यक्ति थे ।

(ख) अनुसूचित जातियां	१,७०७
*अनुसूचित आदिम जातियां . .	१३

योजना आयोग के कर्मचारियों की विदेश यात्रायें

१२७९. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक योजना आयोग के कितने सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विदेश यात्रायें कीं ;

(ख) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था और प्रत्येक पर सरकार का कितना खर्च हुआ ; और

(ग) योजना आयोग के कौन-कौन से सदस्य तथा वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय विदेशों में हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०--२०५७/ ६३]

(ग) डा० डी० के० घोष, निदेशक, योजना आयोग, जो हाल ही में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर विदेश गए हैं, इस समय यू० के० में हैं ।

तिब्बती शरणार्थी

†१२८०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने तिब्बती शरणार्थी हैं ; और

(ख) १९६२-६३ तक उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य-मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) लगभग ३७,००० ।

(ख) १,५९,९२,४२९ रुपये ।

शेख अब्दुल्ला की रिहाई

१२८१. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री कपूर सिंह :
श्री नरसिंह रेड्डी :
श्री गुलशन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए कुछ संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में कहा गया था कि शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के विरुद्ध न्यायालय में एक लम्बे अरसे से मुकद्दमे चल रहे हैं जिन पर भारी खर्चा हो रहा है और उनकी विचारण की आखरी अवस्था तक पहुंचने से पहले कार्यवाही कई वर्ष तक चलने की संभावना है। इसलिए ज्ञापन में सुझाव दिया गया था कि शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए ।

(ग) सरकार ने कोई ऐसा निर्णय, जैसा कि ज्ञापन में सुझाया गया था, नहीं लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोही

१२८२. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री धवन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ सितम्बर, १९६३ को किगवेमा के ग्रामरक्षकों और नागा विद्रोहियों में मुठ-भेड़ होने के फलस्वरूप कुछ आदमी मारे गये; और

(ख) यदि हां, तो कितने आदमी किस तरफ के मारे गये ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तथा (ग) किगवेंमा के ग्राम-विद्रोही नागाओं के गुप्त स्थान पर, आक्रमण किया था—न कि ७ सितम्बर, १९६३ को। संघर्ष के परिणामस्वरूप ५ विद्रोही नागा मारे गये थे, परन्तु ग्राम-संरक्षकों की कोई क्षति नहीं हुई थी ।

प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियंत्रक का कार्यालय

†१२८३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियंत्रक के पद को अब समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस पद को तीन पदों में विभाजित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा अधिक दक्षता के लिए किया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियंत्रक के पद को, जिसका नाम मार्च, १९६३ में बदलकर निरीक्षक और आयोजन के महानियंत्रक रख दिया गया था, हाल ही में समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) आपात के बाद प्रतिरक्षा उपकरणों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ऐसा समझा गया था कि एक अधिकारी निरीक्षण के लिए होना चाहिये और एक अन्य अधिकारी गोलाबारूद के नये कारखानों के लिए होना चाहिये । इसलिए निरीक्षण और आयोजन के महानियंत्रक का स्थान महानिदेशक निरीक्षण द्वारा ले लिया गया है । नये कारखानों के आयोजन और प्रशासन सम्बन्धी कार्य की देखभाल एक विशेष कार्य अधिकारी करता है । यह व्यवस्था अधिक दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेफ़ा में भतपूर्व सैनिक

†१२८४. **श्री महेश्वर नायक :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफा में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : जैसा कि प्रधान मत्री ने २५ नवम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर में बताया है कि प्रथम बार में नेफा में तिरप सीमांत डिवीज़न के बिजय नगर क्षेत्र में २०० भूतपूर्व सैनिक परिवारों को बसाने की एक अग्रिम योजना सैद्धान्तिक रूप में मंजूर कर ली गई है और इसकी ब्योरेवार जांच हो रही है ।

चीन के लिए इंग्लैंन्ड के 'कोमेट' विमान

†१२८५. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन के इंगलैण्ड से 'कोमेट' विमान खरीदने के प्रयत्न की ओर गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बातचीत की है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार का ध्यान समाचारपत्रों के इस समाचार की ओर गया है कि चीन-ब्रिटेन से 'कोमेट' विमान खरीदना चाहता है परन्तु अभी तक चीन को ऐसा कोई विमान नहीं बेचा गया है ।

(ख) ऐसी स्थिति में भारत सरकार का ब्रिटेन की सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंगला बांध

†१२८६. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान द्वारा मंगला बांध के निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सहकार के पास सरकारी रूप से कोई जानकारी नहीं है । तथापि पाकिस्तान के समाचार-

†मूल अंग्रेजी में

पत्रों के अनुसार बांध का निर्माण प्रगति पर है । भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् के प्रधान को दिये गये अपने १९५७, १९५८ और १९५९ के विरोधपत्रों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

हिमालय अभियान में विदेशी

†१२८७. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ में अब तक हिमालय अभियान पर 'आन्तरिक रेखा'[1] के परे जाने के लिए कितने विदेशियों को अनुमति दी गई ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिककार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** एक भारत-जापान अभियान दल को, जिसमें ६ भारतीय और ६ जापानी थे, १९६० में जोगंरी और सिक्किम में जाने की अनुमति दी गई । १९६१, १९६२ और १९६३ में किसी अन्य विदेशी अभियान को हिमालय पर जाने की अनुमति नहीं दी गई (आज तक) ।

१९६० से ले कर पर्यटन / पहाड़ी क्षेत्र में विचरण / पर्वतारोहण के लिए हिमालय में जितने विदेशियों को आने की अनुमति दी गई वे इस प्रकार हैं :—

१९६०	५८
१९६१	५
१९६२	३
१९६३	१४

कोयला और लोह अयस्क खानों में दुर्घटनायें

†१२८८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में देश में विभिन्न कोयला और लौह अयस्क खानों में कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुए तथा कितनी राशि घायल मजदूरों और संतप्त परिवारों को प्रतिकर के रूप में दी गई ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) और (ख)

खनिज	दुर्घटनायें		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गम्भीर	मारे गये	घायल
कोयला	२३७	२९३४	२८३	३०३७
लौह अयस्क . .	११	१३३	१२	१३४

†मूल अंग्रेजी में

[1]Inner Line.

प्रतिकर के देने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) खान अधिनियम और विनियमों में सुरक्षा पूर्वोपाय निर्धारित हैं जिन्हें लागू किया जाता है और उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जाता है । मजदूरों को सुरक्षा के प्रति सचेत करने के लिए कोयला खानों में सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन किया गया है तथा गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी हुई है । मजदूरों में सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार करने तथा उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए खानों में सुरक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय परिषद् को भी बनाया जा रहा है जिनके अनुसार खानों में काम करने वाले मजदूरों अथवा उनमें रोज़गार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी ।

राजस्थान में योजना पर व्यय

†१२८६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के लिये तीसरी योजना के व्यय में काफ़ी कटौती कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या कार्य की गति और व्यय वर्ष प्रति वर्ष बढ़ने की बजाय घटती जा रही है और यदि हां, तो स्थिति को सुधारने और कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†१२६०. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस देश में रहने वाले भारतीयों के फायदे के लिये एक नई योजना बनाई है जिसके अधीन उन लोगों को दूसरी जाति के लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण किये बिना ही अपना भविष्य बनाने और उन्नति करने का अवसर मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी किसी योजना से भारत सरकार अवगत नहीं है । चूंकि दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं ; अतः सरकार मांगी गई जानकारी को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा बनाई जाने वाली कोई नीति उनकी जातिभेद नीति, जिसका उन्होंने त्याग नहीं किया है, के अनुरूप ही होगी । ऐसी स्थिति में कोई भी व्यवस्था अथवा योजना जो भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को उस देश में अन्य व्यक्तियों से पृथक करती हो संभवतया किसी भी वर्ग के नागरिकों के लिये लाभप्रद नहीं हो सकती ।

भारत सेवक समाज

†१२६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सेवक समाज (दिल्ली) का एक योग स्वास्थ्य विभाग भी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सेवक समाज (दिल्ली) द्वारा १६५८ से अब तक वर्षवार कितना व्यय किया गया ; और

(ग) योग स्वास्थ्य विभाग ने १६५८ से अब तक क्या सफलता प्राप्त की है ।

†**योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०५८/५३]

इलैक्ट्रोनिक्स कम्पलैक्स[1]

†१२६२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिये देश में इलैक्ट्रोनिक काम्पलेक्स' स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपक्रम को सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां । यह हैदराबाद में 'मिग' परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले कारखाने के अलावा होगा ।

(ख) सारे विषय की इस समय जांच की जा रही है ।

सेना के अधिकारियों तथा जवानों को सुविधायें

१२६३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में अधिकारियों और जवानों की सुख-सुविधाओं में बहुत बड़े अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ख) जवानों के प्रति हेल-मेल और समीप के सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में अधिकारी वर्ग के रवैये में उचित परिवर्तन लाने की दिशा में मंत्रालय ने क्या सफलता प्राप्त की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Electronic Complex

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कहीं अधिक मात्रा में उत्तरदायित्वों तथा कर्त्तव्यों के पालन के कारण अफसर अवर श्रेणी सैनिकों से अधिक वेतन तथा भत्ते पाते हैं। इसी कारण उनकी सेवा की शर्तों में भी अन्तर है । जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, जैसे कि निश्शुल्क वास्य स्थान, बिजली, पानी, फर्नीचर, परिवहन, खानपान, वस्त्र, चिकित्सा उपचार तथा बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता और डाक सम्बन्धी सुविधाएं, हजामत और वस्त्र धुलाई की सुविधाएं इत्यादि, अवर श्रेणी सैनिकों को अफसरों से अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं ।

(ख) इस विषय पर सलाह देने का प्रबन्ध है और स्थिति संतोषजनक समझी गई है ।

सेना कमीशन के लिये असैनिक अधिकारी

१२६४. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात की घोषणा के बाद कितने असैनिक अधिकारियों को कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में सेना में लिया गया है ;

(ख) क्या उनकी वरिष्ठता जिस दिन से वे सेना में आये हैं उस दिन से निश्चित की जायेगी अथवा उस दिन से जिस दिन से वे असैनिक सेवा में आये ; और

(ग) ऐसे असैनिक कर्मचारियों के मामलों में जिनका आपात काल में सैनिक सेवा में स्थानान्तरण किया गया था सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) १५५३. इसमें गजेटेड और नान-गजेटेड दोनों असैनिक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं ।

(ख) और (ग). सामान्यतः असैनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सेना में कमीशन दिये जाने की तिथि से गिनी जाती है । तथापि इंजीनियरों और डाक्टरों पर यह बात लागू नहीं होती। इंजीनियरिंग के स्नातकों को सेना के प्रविधिक कारकों में अल्प सेवा नियमित कमीशन मिलने पर, वरिष्ठता तथा वेतन के लिये दो वर्ष की पूर्व तिथि प्रदान की जाती है, क्योंकि उनके पास एक निर्धारित तकनीकी योग्यता होती है । जिन इंजीनियरों ने केन्द्र अथवा राज्य सरकारों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले असैनिक सेवा की हो, वे दो वर्ष की अधिकतम पूर्वतिथि के लिये निम्न प्रकार से पात्र होते हैं ;

(१) एक्जिक्यूटिव इंजीनियर अथवा समकक्षी पद पर नियुक्ति के रूप में सेवा के बतौर पूरे किये गये प्रत्येक एक वर्ष के लिये एक वर्ष ।

(२) असिस्टेंट इंजीनियर अथवा समकक्षी पद पर नियुक्ति के रूप में सेवा के बतौर पूरे किये गये प्रत्येक दो वर्षों के लिये एक वर्ष ।

जहां तक 'एमरजेंसी कमीशन प्रदत्त असैनिक डाक्टरों का सम्बन्ध है, उन्हें द्वितीय श्रेणी सेवा के लिये व्यावसायिक अनुभव की आधी अवधि, प्रथम श्रेणी की सेवा के लिये पूरी अवधि, और इसके अतिरिक्त हाउस नियुक्तियों तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के लिये

†मूल अंग्रेजी में

१।। वर्ष, कमीशन प्राप्त करने की तिथि से पहले प्रदान किये जा सकते हैं। इस प्रकार मिली जुली पूर्व तिथि की अधिकतम ६।। वर्ष की अवधि किसी अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सैनिक चिकित्सा संवर्ग में अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों को पूर्व तिथि की अधिकतम १८ महीने की अवधि मिल सकती है किन्तु यह योग्यता और अनुभव पर निर्भर है।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान

†१२६५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिये इटली सरकार की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर इटली सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मन्त्री वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). सरकार ने भारत के अन्तरिक्ष अनुसन्धान कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये इटली सरकार की सहायता नहीं मांगी है। तथापि अन्तरिक्ष अनुसन्धान में सांझे हित वाले क्षेत्रों में इटली के सहयोग की संभावना के सम्बन्ध में अनौपचारिक बातचीत हुई है बातचीत अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज

†१२६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज को, जिसे गत वर्ष चीनी आक्रमण के समय बन्द कर दिया गया था, इस बीच पुनः खोल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज १५ जनवरी, १६६४ को खुल जायेगा।

एमरजेंसी कमीशन

१२६७. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एमरजेंसी कमीशन के लिये आयु सीमा ३० से घटा कर २७ कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सीमा किस तारीख से लागू की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां :

(ख) १ जनवरी, १६६४ से।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटा में वायुसेना के लिये भर्ती

१२६८. **श्री ओंकारलाल बैरवा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा (राजस्थान) में ३० नवम्बर, १६६२ से वायू सेना में भरती शुरू की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या सुविधाएं दी गयी हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के लिये कितनी छट दी गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय/उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख). भारतीय विमान सेना के लिए भर्ती, कोटा में १० वर्ष हुए, शुरू की गई थी। भारतीय विमान सेना के लिए, जोधपुर का रिक्रूटिंग अफसर, समय समय पर कोटा जाता रहता है। इसके लिए वह स्थानीय अधिकारियों को बहुत पहले सूचित कर देता है। वह उसके लिए वास्य स्थान, परिवहन, प्रचार इत्यादि के लिए सुविधाएं यथा संभव प्राप्य करते हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों को इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाती।

खाली कारतूसों का पुनः भरा जाना

†१२६६. **श्री कर्गी सिंहजी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों से आने वाले गोला बारूद की कमी को ध्यान में रखते हुए असैनिक निशाने बाजों के प्रयोग के लिये मिट्टी के बने कबूतरों पर अभ्यास हेतु १२-बोर के खाली कारतूसों को फिर से भरना युद्धास्त्र कारखानों के लिये संभव है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : वर्तमान आपात अवधि में युद्धास्त्र कारखानों में असैनिक प्रयोग की वस्तुओं के उत्पादन को निम्न प्राथमिकता दी गई है। अत : असैनिक निशानेबाज़ों के प्रयोग के लिये मिट्टी के बने कबूतरों पर अभ्यास हेतु १२-बोर वाले कारतूसों को पुन : भरना संभव नहीं है।

आणविक चाकू

†१३००. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने आणविक चाकू (ऐटोमिक नाइफ) नामक एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो एक आणविक स्मैशर से ६,००० लाख इलैक्ट्रोन वोल्ट बीम के साथ कुशिंग रोग का सफलतापूर्वक इलाज करने में सफल हुआ है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस औजार के पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिये कोई यत्न किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**

(क) भारत सरकार इस से अवगत है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक १८४-इंच 'सिंक्रो–साईक्लोट्रोन' का आविष्कार किया है जो एक बड़ा यंत्र है और जिस से ६,००० लाख "इलैक्ट्रोन वोल्ट' 'अल्फा पार्टिकल बीम' पैदा की जा सकती है। यह उपकरण पिछले ४ वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा है, जिस काल में पिट्यूइटरी ग्रंथि की रसौलियों के १९ रोगियों का इस के द्वारा इलाज किया गया है। १६ रोगियों को कुछ आराम पहुंचा है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि कुशिंग रोग के रोगियों के मामले में भी इस इलाज से सफलता मिली है।

(ख) अणुशक्ति स्थापना ट्राम्बे सिंक्रो साइक्लोट्रोन के बनाने के सिद्धांतों से अवगत है। तथापि इस उपकरण के रूपांकण (डिजाइन) संबंधी पूरे विवरण नहीं मंगाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध तकनीकी व्यक्ति

†१३०१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उत्तर प्रदेश विभिन्न दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया ;

(ख) ३० सितम्बर, १९६३ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने प्रवीण तथा अप्रवीण व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों को १९६२–६३ में रोजगार संबंधी सहायता दिलाई गई ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):**

(क) ७८,५५८

(ख) ४,८०,६०७

(ग) ६१,६८६ (प्रवीण और अप्रवीण दोनों) :

"नैट" विमान

†१३०२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बसुमतारी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में "नैट" विमानों के निर्माण को बन्द करने का एक प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथियारों का प्राप्त करना

†१३०३. { श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन हथियारों के बारे में कोई कार्यक्रम बनाया गया है जो (१) भारत में बनाये जायेंगे, (२) सीधे बाहर से खरीदे जायेंगे तथा (३) किसी निर्धारित अवधि के दौरान अन्य प्रकार के सौदों के आधार पर बाहर से प्राप्त किये जायेंगे। और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे की जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

क्यूबा में बवण्डर[1]

†१३०४. श्री वासुदेवन् नायर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्यूबा में हाल में आये झंझावात के शिकार व्यक्तियों को सहायता के लिये वहां की सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने झंझावात के कारण जन तथा सम्पत्ति को हुई हानि की सूचना मिलते ही वहां दवाइयां, कपड़े, जूते, चाय तथा काफी भेजने का निर्णय कर लिया था। ये वस्तुयें विमान द्वारा क्यूबा को भेज दी गई हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन तथा अनुसन्धान

†१३०५. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन तथा प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास को राष्ट्रीय आयोजन के साथ मिला दिया गया है और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ऐसा किया गया है ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में तथा देश के अन्य क्षेत्रों में प्रतिरक्षा उत्पादन के कार्यों को सह-सम्बद्ध करने के लिये कोई सहयोजन अभिकरण बनाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आयोजन का एक प्रमुख ध्येय देश में एक संतुलित औद्योगिक आधार का विकास करना है। इस औद्योगिक आधार का निर्माण इस प्रकार का किया जाना चाहिये कि शांतिकाल में इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cyclone.

द्वारा असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके तथा आपातकाल में, आवश्यक सीमा तक, प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसको परिवर्तित किया जा सके। प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये प्रतिरक्षा उत्पादन का औद्योगिक आधार इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जब प्रतिरक्षा संबंधी मांगें कम हों, तो उस समय इसको असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पुनः परिवर्तित करने की गुंजाइश बनी रहे। इस प्रयोजन के हेतु गठित सचिवों को दो समितियां—सचिवों की उत्पादन समिति तथा सचिवों की प्रतिरक्षा सेवाओं संबंधी समिति—द्वारा इन समस्याओं पर विचार करने के बाद समन्वय स्थापित किया गया है। अनुसंधान तथा विकास के बारे में समन्वय वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है।

ट्रकों और जीपों का निर्माण

†१३०६. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शस्त्रास्त्र कारखानों में चीन के आक्रमण के बाद कितने ट्रक व जीपों का निर्माण हुआ ; और

(ख) निर्माण की गति में तेजी लाने के लिये और क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) १ नवम्बर, १९६२ से ३० नवम्बर, १९६३ तक की अवधि में प्रतिरक्षा कारखानों में निर्मित हुई ट्रकों तथा जीपों की कुल संख्या इस कार है :—

शक्तिमान ३ टन ४×४ ट्रक	१०९८
निसान १ टन ४×४ ट्रक	२८०१
निशान जीप १/४ टन	१२६९
कुल संख्या .	५१६८

(ख) प्रतिरक्षा कारखाने डबल शिफ्ट पर चल रहे हैं। उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए, अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनें लगाने का सुझाव विचाराधीन है।

पंजाब में कृषि पर वृत्त चित्र

†१३०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत् पांच वर्षों के दौरान पंजाब में कृषि पर फिल्म डिवीजन द्वारा कोई वृत्त चित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** :(क) और (ख). गत् पांच वर्षों के दौरान पंजाब में कृषि पर ही कोई वृत्त चित्र तैयार नहीं किया गया है ।

नेफा तथा आसाम में प्रचार

†१३०८ **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के निदेशक ने हाल ही में आसाम तथा नेफा में प्रचार सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** :(क) जी, हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों में प्रतिरक्षा कर्मचारी

†१३०९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिरक्षा के ३६५ कर्मचारियों को विभिन्न अफ्रीकी-एशियाई देशों के राष्ट्रजनों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये बाहर भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित देश कौन से हैं तथा इन कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ग) क्या भारतीय कर्मचारियों में प्रतिरक्षा प्रविधिज्ञ तथा विशेषज्ञ भी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) विभिन्न अफ्रीकी–एशियाई देशों के राष्ट्रजनों को प्रशिक्षण देने के लि` भारतीय प्रतिरक्षा के २४५ कर्मचारी प्रति-
पर हैं ।

(ख) देशों के नाम तथा दिये जाने वाले शिक्षण का स्वरूप बताना लोक हित में नहीं है ।

(ग) भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारियों में कुछ प्रविधिज्ञ तथा विशेषज्ञ हैं।

बिहार में शिक्षित बेरोजगार

१३१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के काम दिलाऊ दफ्तरों में ३० जून, १९६३ तक कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे और वर्ष १९६१ और १९६२ में उनके आंकड़े क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्):

दिनांक	चालू रजिस्टर पर दर्ज हुए मेट्रिकुलेट तथा अधिक पढ़े प्रार्थियों की संख्या।
३०–६–१६६१ .	२२,७६०
३०–६–१६६२ .	२६,१०७
३०–६–१६६३ . . .	३६,००८

तेजपुर में धन का गायब होना

१३११. श्री विभूति मिश्र : क्या **प्रधान मन्त्री** १ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तेजपुर की धनराशि के गायब होने की जांच की रिपोर्ट से क्या पता लगा है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पुलिस ने जांच-पड़ताल का सभी काम अपने हाथ में ले लिया था और डिप्टी कमिश्नर, तेजपुर की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था। इस तरह यह मामला विचाराधीन है।

सेना में कमीशन

†१३१२. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१, १६६२ तथा १६६३ में अब तक कितने जे० सी० ओ० तथा एन० सी० ओज० को स्थायी कमीशन दिया गया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त सैनिक अधिकारियों को आगे स्थायी कमीशन देने के लिये कोई प्रतिशतता निश्चित की गई है और यदि हां, तो कितनी ?

†प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क)

१६६१	२३६
१६६२ . . .	१६६
१६६३	८६६
(३०–६–६३ तक)	

(ख) आपातकाल के दौरान, स्थायीनियमित कमीशन, जिसके लिये पहिले प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, के २४ प्रतिशत रिक्त स्थान जे० सी० ओज० तथा एन० सी० ओज० के लिये सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, उनको विशेष सूची में, जो मुख्यतया उन्हीं के लिये है, सीधे भी स्थायी नियमित कमीशन दिये जाते हैं। विशेष सूची सम्बन्धी कमीशनों के लिये स्वीकृत कुल संख्या १५०० है।

इसके अलावा, ए० एम० सी० की अप्रविधिक शाखा के लिये भी प्रति वर्ष ५ के हिसाब से स्थायी नियमित कमीशन दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत के लिये पाकिस्तानी तीर्थ यात्री

१३१३. **श्री ओंकार लाल बैरवा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने पाकिस्तानी मुसलमानों को इस साल अजमेर में हो रहे उर्स में शामिल होने की अनुमति दी गई है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस वर्ष अजमेर में 'उर्स' मनाने पाकिस्तान से जितने तीर्थ-यात्री आये उनकी कुल संख्या ६३८ है ।

फिल्म "मेरे महबूब" पर आपत्ति

†१३१४. **श्री अंजनप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मेरे महबूब" नामक फिल्म की कटु आलोचना की गई है क्योंकि इसके कुछ स्थानों पर पंजाब के हिन्दुओं का बहुत अधिक परिहास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिल्म सैंसर बोर्ड से इस फिल्म से आपत्तिजनक भाग निकाल देने के लिए कहा है ?

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : (क) और (ख). फिल्म "मेरे महबूब" की उल्लिखित आलोचना कुछ पत्रिकाओं में की गई थी। फिल्म सैंसर बोर्ड के परामर्श से मामले की जांच की गई थी और फिल्म से किसी भाग का निकालना आवश्यक नहीं समझा गया ।

असैनिक क्षेत्र, दिल्ली छावनी

१३१५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** २६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर बाजार, दिल्ली छावनी में असैनिक क्षेत्र के विस्तार के बारे में सैनिक अधिकारियों की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या असैनिक विस्तार के लिए निधारित भूमि को सैनिक प्रयोजनों के लिए काम में लाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों को असैनिक क्षेत्र घोषित करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) सदर बाजार में असैनिक क्षेत्र के तनिक विस्तार पर सैनिक अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). इस पर शीघ्र निर्णय होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सागर छावनी

१३१६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर छावनी के छावनी बोर्ड आफिस सिविल एरिया से लगभग ३ मील दूर स्थित है जिस से जनता को करों आदि की रकम जमा कराने के लिए इस कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय को सिविल एरिया के समीप स्थापित करना चाहती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सागर छावनी बोर्ड का कार्यालय असैनिक क्षेत्र से २ मील की दूरी पर है। दो या तीन मील की दूरी को सरकार इतनी बड़ी दूरी नहीं समझती, कि इसके लिए छावनी बोर्ड का स्थानान्तरण न्याय्य समझा जाये।

कनाडा से विमान

१३१७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कनाडा से कुछ जहाज खरीदे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे गये हैं और

(ग) प्रत्येक जहाज के लिए कितना मल्य देना पड़ा ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख) जी हां हमने १६ कारिबो विमान खरीदने के लिए करार किया है।

(ग) ६,९३,८२४.५८ डालर ।

पेंशनों में वृद्धि

†१३१८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के जवानों, वैमानिकों और नौसैनिकों के पेंशनों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) कब से ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी, नहीं। प्रतिरक्षा सेवाओं के सैनिको की पेंशनों में १ अप्रैल, १९६१ से वृद्धि की गई थी। और यह तदर्थ वृद्धि २०० रुपये तक मासिक पेंशन पाने वालों के लिए, १ अक्तूबर १९६३ से ५ रुपये से १० रुपये तक कर दी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

"आन्तरिक रेखा"[1] विनियम

†१३१६. श्री रितांग किशिंग : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं जसं आंतरिक रेखा" विनियम लागू है ;

(ख) क्या उन सभी क्षेत्रों में जहां "आन्तरिक रेखा" विनियम लागू है, सभी सरकारी कर्मचारियों को "आन्तरिक रेखा" विशेष वेतन दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

†प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल हरू) : (क) "आन्तरिक रेखा" सम्बन्धी क्षेत्र दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में नेफा, नागालैंड और आसाम का मिज़ो पहाड़ी जिला हैं जहां सभी व्यक्तियों का प्रवेश वर्ष १८७३ के विनियम के अन्तर्गत "परमिट" द्वारा होता है। दूसरी श्रेणी में पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विशिष्ट सीमा पट्टियां और मनीपुर और सिक्किम और भूटान (सन्धि वाले राज्य) हैं जहां विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश १६५८ के अन्तर्गत विदेशियों का प्रवेश विनियमित होता है ।

(ख) नागालैंड सरकार और नेफा प्रशासन के कर्मचारियों को मूल वेतन का ३३ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में मिलता है, इसमें अधिकतम और न्यूनतम सीमा भी है। नेफा के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में इस आन्तरिक रेखा विशेष वेतन को हाल ही में बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया गया है। नेफा और नागालैंड स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को, नेफा और नागालैण्ड के कर्मचारियों को "आन्तरिक रेखा" विशेष वेतन और अन्यत्र उनकी सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग में पृथक रियायतें दी जाती हैं। अन्य सीमान्त क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने क्षेत्र की दूरी और कठिनाई के अनुसार विभिन्न प्रतिकरात्मक, पहाड़ी अथवा शीतकालीन भत्ते, विशेष वेतन अथवा ऐसी अन्य रियायतें मंजूर की हैं।

(ग) हर क्षेत्र में स्थिति भिन्न होने के कारण एक रूपता संभव नहीं है। उन क्षेत्रों में जो केन्द्र द्वारा प्रशासित नहीं हैं प्रत्येक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए रियायत निर्धारितें कर सकती हैं।

आकाशवाणी पर प्रधान मन्त्री के सम्वाददाता सम्मेलन सम्बन्धी समाचार

†१३२०. श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री बाल्मीकी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १६६३ के द्वितीय सप्ताह में संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने 'वाइस आफ अमेरिका' समझौते की ओर बल देते हुए जो निर्देश किया था उसका समाचार आकाशवाणी के किसी भी समाचार बुलेटिन में शामिल नहीं किया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Inner Line Regulation.

( ) क्या प्रधान मंत्री ने उसी सम्मेलन में गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डा० जीवराज मेहता, के पद त्याग तथा पंजाब के मुख्य मंत्री, श्री प्रताप सिंह कैरों, के विरुद्ध आरोपों का भी उल्लेख किया था ; और

(ग) यदि हां, तो डा० जीवराज मेहता और श्री प्रताप सिंह कैरों सम्बन्धी दोनों समाचार कैसे प्रसारित किय गये थे ?

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : (क) जी , हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध आरोपों सम्बन्धी निर्देश संक्षेप में दोपहर रात्रि के मुख्य समाचार बुलेटिनों में प्रसारित किया गया । गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा० जीवराज मेहता के पदत्याग के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का निर्देश दोपहर के समाचारों में प्रसारित किया गया था ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

१३२१. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष एकत्र करने में अधिकारियों ने परोक्ष रूप में दबाव का प्रयोग किया जैसे बन्दूक का लाइसेंस, सीमेंट व लोहे के परमिट आदि देने के बदले रक्षा कोष में धन जमा कराया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और सरकार की ओर से इस मामले में कोई आदेश जारी किये गये ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख) : राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन इकट्ठा करने में सरकारी दबाव प्रयुक्त किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें विविध प्रदेशों से प्राप्त हुई थीं, यद्यपि यह बात आरम्भ से ही साफ कर दी गई थी कि इस कोष के लिए वही चन्दे लिए जायं जो कि सर्वथा अपनी इच्छा से दिए जाएं । प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इन शिकायतों की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान दिलाया और इस बात को दोहराया कि इन चन्दों को इकट्ठा करने में किसी प्रकार के दबाव का प्रयोग करना गलत, हानिकारक और आपत्तिजनक है। प्रदेशीय सरकारों ने, आगे, यह स्थिति अपने कर्मचारियों को साफ साफ समझा दी। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ स्थानीय कर्मचारियों ने अपनी होशियारी जताने के लिए उन्हें दी गई हिदायतों का उल्लंघन किया। जहां पर आवश्यक समझा गया, है, सरकार की नाराज़गी इन कर्मचारियों पर ज़ाहिर कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

नई पत्रिका "वैडिंग बैल्स"

†१३२२. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "वैडिंग बैल्स" नामक नई पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्रिका के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके पहले ही अंक में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन छापे गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा सरकार की नीति के अनुसार किया गया था ?

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** (क) जी, हां :

(ख) इस पत्रिका की सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्रीमती सन्तोष भटनागर हैं।

(ग) जी हां, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी विज्ञापन छपा था जिसके लिये पत्रिका ने निशुल्क स्थान उपबन्ध किया था।

(घ) समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी विज्ञापनों के लिये पत्रिकाओं को निशुल्क दिये जाने वाले स्थानों को स्वीकार किया जाता है चाहे इन पत्रों द्वारा इस स्थान का उपयोग शुल्क वाले विज्ञापनों के लिये किया जाता हो या नहीं।

"प्लेबांय" पत्रिका में प्रकाशित प्रधान मन्त्री से भेंट

†१३२३. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का ध्यान 'प्लेबांय' नामक अमरीकी पत्रिका के अक्तूबर अंक में प्रकाशित समाचार "प्लेबांय इन्टरव्यू जवाहरलाल नेहरू" शीर्षक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस पत्र के प्रतिनिधि ने वास्तव में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और इस समाचार में क्या सच्चाई है ; और

(ग) इस भेंट के क्या कारण थे।

†**प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गत अगस्त में वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सूचित किया था कि 'प्लेबांय' नामक पत्रिका के एक आगामी अंक में प्रधान मंत्री के साथ तथा कथित भेंट का समाचार प्रकाशित किया जायेगा। अभिलेखों की जांच पड़ताल करने पर इस बात की पुष्टि हो गई कि प्रधान मंत्री ने 'प्लेबांय' के किसी प्रतिनिधि तथा अन्य किसी कथित व्यक्ति के साथ भेंट नहीं की। वाशिंगटन स्थित हमारे दूतावास ने 'प्लेबांय' के सम्पादक को इस बात से सूचित कर दिया और सम्पादक लेख के साथ, जो छपने के लिये पहले ही चला गया था, यह जानकारी प्रकाशित करने को सहमत हो गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

रामनगर कोयला खान में औद्योगिक विवाद

†१३२४. **श्री मुहम्मद इलियास :**
डा० उ० मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्रभातकार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामनगर कोयला खान तथा इसके कर्मगारों के १९६२ के मामला संख्या ४६, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता का पंचाट, दिनांक १० सितम्बर, १९६३, कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ;

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) संबद्ध कर्मगारों को २६ नवम्बर १९६३ से इससे कोयला खान में पुनः काम पर लगा लिये गये हैं। कोयला खान प्रबन्धकों ने, न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित लागत के २०० रुपये भी दे दिये हैं। पिछली अवधि के लिये कर्मगारों को मजूरी देने के लिये प्रबन्धकों के द्वारा पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"न्यू जेमेहारी खास" कोयला खान का औद्योगिक विवाद

†१३२५. **श्री मुहम्मद इलियास :**
डा० उ० मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्रभातकार :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'न्यू जेमेहारी खास' कोयला खान के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के सभापति श्री एल० जी० दवे के पंचाट संख्या १९६२ के ३८, दिनांक ३ अक्तूबर १९६३ को कार्यान्वित कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)**: (क) जी, हां। जहां तक पांच कर्मगारों का संबंध है, प्रबन्धकों ने अभी तक न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित व्यय, संघ को नहीं दिया।

(ख) संघ को व्यय न देने के बारे में प्रबन्धकों को 'कारण बताओं' नोटिस दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि प्रबन्धकों ने शीघ्र ही भुगतान करने की प्रतिज्ञा की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में मजदूर

१३२६. **श्री कछवाय :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामोद्योग, कुटीर-उद्योग एवं लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ;

(ख) ऐसे उद्योगों में काम करने वाले मजदूर स्थाई कितने हैं और अस्थायी कितने हैं ;

(ग) क्या उक्त उद्योगों में वेतन-क्रम स्थाई होने की शर्तें, एवं अन्य सुविधायें सरकार की ओर से नियत की हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना उपलब्ध नहीं है :

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता :

बेरुवाड़ी

†१३२७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरुवाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र की सीमा निर्धारण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री, देशिक कार्य तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** बेरुवाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के सीमा निर्धारण कार्य में पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाक के भूमि अभिलेख तथा सर्वेक्षण निदेशकों के बीच उनकी कलकत्ता की ५ और ६ अगस्त, १९६३ की बैठक में तथा अनुसूची के अनुसार प्रगति नहीं हुई ।

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

१३२८. **श्री बाल्मीकी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : किन-किन राज्यों ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाये हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रि० कि० मालवीय): जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सारे भारत में लागू है और सभी राज्य सरकारों ने खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें अधिसूचित कर दी है ।

कुत्तों की प्रदर्शनी

१३२९. **श्री ओंकारलाल रेवा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दृष्टिहीन फौजी जवानों को रास्ता दिखाने के लिये कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जायगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार भारतीय कुत्ता प्रदर्शनी आयोजित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसमें कितनी किस्म के कुत्ते लाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता

†१३३०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह राज्यों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

रोजगार तथा व्यवसाय स्वरूप का अध्ययन

†१३३१. **श्री ह० च० सोय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के नवीन औद्योगिक मंडल में गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि तथा उद्योग के रोजगार एवं व्यवसायिक रूप में कोई परिवर्तन हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चि० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना

†१३३२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ राज्यों में कार्यकारी दल स्थापित किये गये हैं और अन्य राज्यों में ये कार्यकारी दल बनाये जा र हैं ।

१९६४–६५ के लिये योजना परिव्यय

†१३३२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के लिए १९६४–६५ का वार्षिक योजना परिव्यय निर्धारित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने परीक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या चित्र सामने आया है ?

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्र श्न ही नहीं उठता ।

नागालैंड में विकास योजनायें

†१३३४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड की विविध विकास योजनाओं को कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) . एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० २०५९/६३**] ।

देवलाली में असैनिक राडार मेकेनिक

†१३३५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) आर्टिलरी स्टटिक वर्कशाप, ई० एम० ई० देवलाली (महाराष्ट्र) में काम करने वाले असैनिक राज्य मेकेनिकों के वेतन मानों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या रेलवे, पुलिस व तार, परिवहन और भारत इलैक्ट्रनिक्स समिति के तत्समान मैकेनिकों के वेतन मानों की तुलना में वेतन मान बहुत कम है ;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या वेतन मानों में समानता लाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वान)** : (क) मा० सदस्य निस्संदेह, आर्टिलरी स्टटिक वर्कशाप, देवलाली के लड़ाकू टैलीस्कोप मैकैनिकों (राडार) काम करने वाले असैनिक

†मूल अंग्रेजी में

टैलीकौम मेकेनिको का उल्लेख कर रहे हैं । उन का वेतन मान १५०–५–१७५–६–२०५–क्रु० अ० ––७–२४० प्रति मास है । यह दूसरे वेतत आयोग के सिफारिशों के आधार पर किया गया है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पेंशनों के मामले

†१३३६. **श्री रा० स० तिवारी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग में पेंशनों के कुछ मामले पिछले १५ साल से पड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामले एसे हैं, जो १५ साल से अधिक पुराने हैं; और

(ग) इन पेंशन के मामलों का निर्णय करने में अभी कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) जहां तक प्रतिरक्षा सेवाओं के प्राक्कलन द्वारा अदायगी किए जाने वाले, निम्नतर विरचनाओं के असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारिगण की इतर श्रणियों का सम्बन्ध है, जैसे कि सशस्त्र सेवाओं के अफसर तथा सेविवर्ग, तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिवालय, सशस्त्र सेवाओं के मुख्यालयों के असैनिक कर्मचारी, इत्यादि, पेन्शन का कोई मामला १५ वर्ष से अनिर्णीत नहीं पड़ा है ।

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** तिबिया कालेज के विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । मैं तथ्यों के बारे में जानकारी चाहता हूं और मैं ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को ले रहा हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) तिबिया कालेज के विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक बक्तव्य दें :––

"६ दिसम्बर, १९६३ को तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठी चार्ज ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : हिन्दुस्तानी में तर्जुमा करवा दीजिये इसका, अध्यक्ष म ोदय।

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस बहुत ही शार्ट नोटिस पर मिला था। इसी वक्त मिला और मैंने फौरन इसको एडमिट किया। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि—

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (बिजनौर) : ६ तारीख को मैंने दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जब छट्टी हो तो मुझे तो यहां उसी वक्त मिलता है जब मैं यहां आता हूं। अगर मिनिस्टर साहब को पहुंच गया है और उन्होंने इसका हिन्दी में तर्जुमा करवाया हुआ हो तो ———

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : बड़े खेद की बात है कि यह मामला हुआ। मैं इसका भी जवाब दे दूंगा जो त्यागी साहब कह रहे हैं। तिबिया कालेज के कुछ लड़कों की कुछ मांगें थी अपने कालेज के बारे में और वे उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलियेट करवाना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि वहां का जो एक मैनेजमेंट बोर्ड है, उसको भी बन्द कर दिया जाए, उसको डिसाल्व कर दिया जाए और कालेज का मैनेजमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जाए। वे यह भी चाहते थे कि जो उनका प्रिंसिपल हैं, उनको भी अलहदा कर दिया जाए। यह चीज़ कुछ देर से चल रही थी। नवम्बर के हफ्ते में कुछ लोग मेयर साहब के मकान पर जा बैठे और वहां उन्होंने एक किस्म का सत्याग्रह किया। मेयर साहब तिबिया कालेज के बोर्ड आफ मैनेजमेंट के प्रज़ीडेंट हैं। उसके बाद कुछ सम्भ्रान्त शहरियों को बीच में डाला गया और उन्होंने उनको समझाया ? उसके बाद उन्होंने एक दूसरा तरीका अखत्यार किया और इस ज़िद पर अड़े रहे कि जो इम्तहान हो रहेहैं उनको न किया जाए तब तक जब तक कि इस एफिलियेशन के मामले का फैसला नहीं हो जाता। स्टुडेंट्स ने फिर ३० नवम्बर को जनरल स्ट्राइक कर दी और उनमें से दो ने भूख हड़ताल कालेज के प्रमेजिज़ में शुरू कर दी। यह ३ दिसम्बर को शुरू हुई। जब यह मालूम हुआ कि उन में से एक की हालत खराब है और चिन्ता का कारण पैदा कर रही है तो फैसला किया गया कि इनको अस्पताल में ले जाया जाए। पुलिस की एक पार्टी सुपरिंटेंडेंड पुलिस के नेतृत्व में जिसके साथ एक सब-डिविज़नल मैजिस्ट्रेट था कालेज में गई और वह ६ दिसम्बर को एक बजे के करीब इन दोनों को उठा कर तिहाड़ जेल अस्पताल ले गई। यह जो वाका हुआ इसके कुछ देर बाद कुछ इंसिडेंट्स ओरिजनल रोड पुलिस स्टेशन के सामने हुए जिन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स और कुछ पुलिस के लोगों को चोटें आई और उन में एक एस० पी० भी था। मैं खुद वहां गया और मैं कोई दो ढाई घंटे स्टूडेंट्स के साथ रहा और जिन को चोटें आई थी उन से भी मिला था।

यह फैसला किया गया है कि दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट जज, कमिशंज़ आफ इनक्वायरी एक्ट, १९५२ के तहत इसकी इनक्वायरी करे और गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट दे।

इसके अलावा मैंने अर्ज किया है कि मैं इस मामले के जो दूसरे पहलू हैं उनमें जाऊंगा ताकि इस तरह के हादसे फिर न हो सकें।

†**श्री बाजी** (इंदौर): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मंत्री महोदय को सुनने के पश्चात् भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई इस लिये हमारा अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् में स्थागन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दे सकता, क्यों कि यह नियम ५९ के अन्तर्गत अवरुद्ध है। जांच के लिये जब एक परिनियत आयोग नियुक्त हो गया है तब स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि जो कालिंग अटेंशन नोटिस होता है उस का मतलब यह होता है कि जो हालात वक्त के मुताबिक जरूरी समझे जाएं वह मंत्री महोदय यहां बयान कर दें। लेकिन उन के बयान को सुनने के बाद मेरे ख्याल में आप और सारा हाउस इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि गृह मंत्री महोदय ने बहुत बुरे तरीके से तोड़ मोड़ कर बयान दिया जिस में न लड़कियों के घायल होने का जिक्र हुआ है न .....

अध्यक्ष महोदय : आप अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वह उठाइये।

श्री बागड़ी : मैं इसी बात पर व्यवस्था चाहता हूं (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं लम्बा बयान नहीं सुन सकता।

श्री बागड़ी : पर बयान नहीं हुआ। क्या वे खुद मौके पर पहुंचे हैं। लड़कियों के घायल होने के बारे में इस में जिक्र नहीं किया गया न लड़कों के बारे में। उन की जो खराब हालत थी.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता जो आप उठा रहे हैं। इस स्टेटमेंट में जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो उस की सफाई के लिये और वाकयात को मालूम करने के लिये आप सवाल पूछ सकते हैं। आखिर इसी लिये सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। यह चीज और किस लिये होती है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, ... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब आप बैठ जायें। मैंने आप को एक दफे इजाजत दे दी। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर रंगा।

श्री त्यागी : एक बात मैं भी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जिस को बुलाऊं वह बोले। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री त्यागी : मैं इस की सफाई चाहता था।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप इसको बन्द कर दें लेकिन आप फिर भी बोले चले जा रहे हैं उसी तरह से।

श्री बागड़ी : आप ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी इस लिये आप ने ऐसा फैसला दिया। मेरा निवेदन यह है कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न यह उठता है कि जब कालिंग अटेंशन के जवाब से पूरा मतलब हल नहीं होता, तो फिर उस का दूसरा तरीका यही है कि इस के लिये काम रोको प्रस्ताव की इजाजत दी जाय। गांधी जी ने नींव रक्खी है इस कालेज की....

अध्यक्ष महोदय : गांधी जी के नाम लेने का भी क्या व्यवस्था में प्रश्न उठता है।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री बागड़ी : व्यवस्था का प्रश्न इस लिये कि ....

अध्यक्ष महोदय : आप आप बैठ जायें। मैंने कई दफे कहा कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मेम्बर साहब काम चलने नहीं देते और उस को रोकते हैं। मैंने कहा कि रूल ५६ के नीचे जब स्टेटरी कमिशन मुकर्रर कर दिया गया हो तो कोई ऐडजर्नमेंट मोशन.......

†**श्री नम्बियार** : प्रक्रिया नियमों में विधि न्यायालय की बात कही गयी है, परन्तु यह केवल एक जांच-मात्र है, इसलिये हमें इस विषय पर चर्चा करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

†**श्री त्यागी** : ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव लाठी चार्ज से सम्बन्धित है जब कि माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उस की चर्चा ही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि इस के इफैक्ट में इतने आदमी जख्मी हुए, बहुत से स्टूडेंट्स जख्मी हुए .....

श्री बागड़ी : लड़कियों का कोई जिक्र नहीं किया गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): यह कैसे हो गया। अपने आप हो गया। कोई एक्सिडेंट हो गया, वह गिर पड़े और चोट लग गई, यह कुछ इस में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। यह आप सवालों के जरिये पूछ लीजिएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। आप ने नियम ५६ का उल्लेख किया परन्तु इस नियम का एक परन्तुक भी है जिस के अनुसार आप अपने विवेक से चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं। इस लिये मेरा अनुरोध है कि आप इस की अनुमति दें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पहली आपत्ति जो उठाई गयी है वह असंगत है क्योंकि नियम ५६ के अनुसार न्यायालय द्वारा जांच करना आवश्यक नहीं है। दूसरी बात श्री बनर्जी ने नियम ५६ के परन्तुक की कही। परन्तु उन्होंने सारा परन्तुक नहीं पढ़ा, जो इस प्रकार है :

> "परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है"।

इस लिये, जहां तक मेरे स्वविवेक का सवाल है, चर्चा, न्यायाधिकरण किस प्रक्रिया का पालन करेगा, जांच किस अवस्था में है, वह साक्ष्य लेगा अथवा नहीं, आदि, विषयों पर ही हो सकती है। जांच आयोग अधिनियम में यह सब दिया हुआ है कि नहीं, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। कुछ भी हो, किसी अन्य पहलू पर चर्चा के लिये अनुमति देना मेरे स्वविवेक की बात नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाई गई है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा लड़कियों को पीटा गया ; और कि लगभग १०० विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं ; और क्या कुछ पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : चूंकि जांच आयोग नियुक्त किया गया है इसलिये प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता। दूसरे भाग का उत्तर दे दिया जाय।

†श्री नन्दा : चूंकि जांच आयोग नियुक्त करने पर मैं सहमत हो गया हूं इस लिये प्रथम भाग का उत्तर नहीं दूंगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं स्वयं वहां पर मौजूद था, और मैंने देखा कि जो कुछ करना वांछनीय था किया गया। अच्छे से अच्छे डाक्टर घायल विद्यार्थियों की देख रेख कर रहे थे।

केवल दो विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विद्यार्थियों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक लाठी चार्ज के लिये उत्तरदायी पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल नहीं किया जाता तब तक वह जांच आयोग को सहयोग नहीं देंगे। आयोग अपने काम में सफल हो इस के लिये क्या विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करना वांछनीय नहीं है ?

†श्री नन्दा : मैंने मेयर से, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, परामर्श किया है, हम अग्रेतर प्रयत्न भी करेंगे। इस के लिये मैं विद्यार्थियों को मिलूंगा। विद्यार्थियों को सहयोग के लिये तैयार करने के लिये मैं अन्य लोगों की सहायता लूंगा। परन्तु पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल नहीं किया जायगा।

†श्री दाजी : चूंकि स्थानीय पुलिस कर्मचारी आस पास के लोगों को धमका रहे हैं ताकि वह उन के विरुद्ध साक्ष्य न दें, इस लिये क्या कम से कम उन को अन्य जगह पर भेज देना उचित नहीं है ?

†श्री नन्दा : जांच के परिणाम मालूम होने से पहले ही मैं किसी पुलिस अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं करूंगा। उस दशा में समस्त पुलिस व्यवस्था को ही शहर से बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि कोई न कोई इस मामले में अन्तग्रस्त है ही। (**अन्तर्बाधा**)

†अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रकार आप हस्तक्षेप करेंगे तो मैं यह सब कार्यवाही कैसे सुन सकूंगा। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को बोलना चाहिये।

†श्री दाजी : आयोग के निर्देशपद क्या हैं ?

†श्री नन्दा : इस बारे में मैं बाद में जानकारी दूंगा।

†श्री बड़े : क्या आयोग इस बारे में जांच करेगा कि लड़कियों को पीटा गया है ?

†श्री नन्दा : मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि समूची परिस्थितियों की जांच आयोग द्वारा की जायेगी।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है। यदि जांच आयोग अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत जांच करने का आदेश दिया गया है, तो नियम के अनुसार साथ ही सरकार के लिये न्यायाधिकरण को निर्देश पद देना भी वांछनीय है। परन्तु इस मामले में बिना निर्देश-पदों के ही जज को जांच करने के लिये कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : हम ने गत रात ही इस बारे में निर्णय लिया है। आदेश तैयार हो रहा है, इस लिये मैं निर्देश-पद प्राप्त कर के सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। मैं ५ बजे से पूर्व ही, यदि ऐसा सम्भव हुआ तो, उन्हें सभा के समक्ष रखूंगा।

†**श्री दाजी** : मेरा औचित्य प्रश्न है। यदि जांच आयोग और निर्देशपदों सम्बन्धी घोषणा गजट द्वारा नहीं की गयी, तो सभा में स्थगन प्रस्ताव को लिया जा सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : नियम ५९ यहां लागू नहीं होता।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत दें...

अध्यक्ष महोदय : कहिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अभी तिब्बिया कालिज से होकर आया हूं। मैंने वहां दो लड़कियों, चन्द्र कान्ता और विश्व मोहिनी, को ऐसी हालत में देखा कि कोई भी कह सकता है कि पुलिस ने अमन चैन कायम रखने के लिए लाठी नहीं चलायी बल्कि गुस्से में लाठी चलायी है। अब यह चीज दिल्ली में आपकी आंखों के नीचे हुई है। मुझे गृह मन्त्री से जितना कहना है उससे ज्यादा आप से कहना है, आप खुद वहां तशरीफ ले जाकर इस चीज को देखिए या इस सदन के सदस्यों की कोई कमेटी जा कर देखें। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई विदेशियों ने हमला किया हो, खास तौर पर लड़कियों पर।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : एक बात और कहनी है। मुझ से उन लड़कों ने जिनकी हड्डी पसलियां टूट गयी हैं कहा कि हमें अपनी चोट का इतना अफसोस नहीं है कि जितना इसका कि पुलिस ने हमारी लड़कयों को चोट पहुंचायी। यह बात मैं आप से कह देना चाहता हूं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : अन्य मांगों के साथ साथ हमारी तीन मांगें हैं कालेज को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना, मान्यता प्रदान करना और परीक्षायें स्थगित करना। इन बातों का ध्यान रखा जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों का इस बारे में उत्तेजित होना ठीक ही है, यह बात मैं स्वयं महसूस करता हूं। मैं वचन देता हूं कि डाक्टर साहब के कहने के बमूजब मैं स्वयं वहां जाकर उन्हें देखूंगा। परन्तु उन्हें मिलने के पश्चात् भी यह प्रश्न उठता है कि इस मामले में कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाय। श्री दाजी ने कहा कि चूंकि इस आयोग सम्बन्धी घोषणा गजट द्वारा नहीं की गयी इसलिये स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जानी चाहिए। श्री दाजी इस बात को महसूस नहीं करते कि जानकारी प्राप्त करके ही मुझे अनुमति देनी होती है। अब मुझे बताया गया है कि एक जांच आयोग नियुक्त कर दिया गया है। चूंकि निर्देशपदों की गजट द्वारा घोषणा नहीं की गई इसलिये यह तर्क दिया गया है कि जांच आयोग द्वारा इस बारे में जांच किये जाने से पूर्व यहां इस मामले पर चर्चा हो। क्या यह वांछनीय है कि हम सारी घटना के बारे में बारीकी से यहां चर्चा करें? क्या इसका जांच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता विशेषतः जब मुझे मालूम हो चुका है कि एक जज द्वारा न्यायिक जांच हो रही है और वहां सभी तथ्यों का विश्लेषण होगा। मैं इस मामले को ५ बजे फिर लूंगा तब तक मन्त्री सूचना प्राप्त कर लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मैंने इस मास की ६ तारीख को एक अन्य ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें मैंने स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान कालेज को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रश्न की ओर दिलाया था। उसका भी उत्तर दे दिया जाय।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। मुझे खेद है कि कांग्रेस दल के सदस्य भी सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिये जाने पर भी आप इस प्रकार कह रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

†श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय के इस टिप्पण पर मुझे खेद है। एक कांग्रेस दल के सदस्य को भी अपने विचार व्यक्त करने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक विरोधी दल के सदस्य को।

†अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कर्तव्य को समझता हूं। कोई बात गलत है अथवा ठीक इसका निर्णय मुझे करना है न कि माननीय सदस्य को।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है उस पर आपने कहा कि उसको हम पांच बजे लेंगे, लेकिन लाठी चार्ज के बाद भी फिर तिबिया कालिज के ८ लड़कों को वहां से ले जाकर पुलिस स्टेशन पर पीटा गया और उनमें से कुछ की हड्डियां टूट गई हैं तो उस विषय को भी उस चर्चा में क्या आप सम्मिलित करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने वालों के करीब २०-२५ नाम हैं और जाहिर है कि जब वह अपने सवालात पूछेंगे तो उनके मन में जो भी उससे सम्बन्धित बात होगी वह उसे पूछ लेंगे और उस वक्त वह सब बातें पूछी जा सकेंगी। लेकिन मैं अब इनको दो टुकड़ों में अलग करके लूं तो वह तो नहीं हो सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अब पांच बजे तो केवल लाठी चार्ज का जो सवाल है उस पर चर्चा होगी लेकिन उसके बाद इस तरह से ८ लड़कों को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर पीटा गया उस पर भी तो पूछने दें।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। यह मामला पांच बजे लिया जा रहा है उस समय वे मैम्बर साहबान जिन्होंने सवाल पूछने का नोटिस दिया है वह उस पर अपने सवालात पूछ सकते हैं।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मैंने उस सवाल को छोड़ दिया है और दूसरे को शुरू भी कर दिया है। जाहिर है कि उनके दरमियान में कोई प्वाएंट औफ़ आर्डर नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा की स्थिति

†श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर तनाव पैदा करने के लिये पाकिस्तान द्वारा नागरिकों को कथित शस्त्र दिया जाना।"

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : हाल ही में कथित "आज़ाद काश्मीर" के अध्यक्ष ने एक घोषणा में कहा है कि युद्ध विराम रेखा के उस तरफ रहने वाले नागरिकों में १०,००० राइफलें बांटी गई हैं जहां पाकिस्तान ने जबर्दस्ती कब्ज़ा कर लिया है। सबको मालूम है कि कथित आज़ाद काश्मीर की सरकार पूरी तरह पाकिस्तान सरकार के नियन्त्रण में ही है। ख़बर है कि उन्होंने यह भी कहा है कि नागरिकों में १०,००० राइफलें और बांटी जाएंगी। अख़बारों के अनुसार ये राइफलें "उन भारतीय सैनिकों को रोकने के लिए दी गई हैं जो मवेशी उठा ले जाने और स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पाकिस्तान के गांवों पर छापे मारते हैं।" कहा जाता है कि हथियारों का वितरण करते समय कथित "आज़ाद काश्मीर" सरकार ने हथियार लेने वालों से यह क़सम ली थी कि वे इन हथियारों का इस्तैमाल स्थानीय निवासियों के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे।

आगे कुछ और कहने से पहले मैं दुर्भावनापूर्ण इस वक्तव्य का निश्चित रूप से खण्डन कर देना चाहती हूं कि भारतीय सैनिक युद्धविराम रेखा के उस पार गांवों में मवेशी उठाने के लिए और औरतों के साथ छड़छाड़ करने के लिए छापे मारते हैं। हमारे देश के बारे में—विशेषकर जम्मू और कश्मीर के बारे में—पाकिस्तानी अधिकारी समय-समय पर जो वक्तव्य दिया करते हैं, उन जैसे बहुत से अन्य वक्तव्यों की तरह, जिनमें से एक या दो का उल्लेख मैं इस बयान में आगे करूंगी, ये आरोप भी बिल्कुल झूठे और निराधार हैं।

युद्धविराम रेखा के पार पाकिस्तान की तरफ़ नागरिकों को हथियारों से लैस करने के बारे में हमारे पास कोई सही सूचना नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के हथियारबन्द नागरिक युद्धविराम रेखा के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में बराबर उपद्रव करते रहे हैं। कथित "आज़ाद काश्मीर" के अध्यक्ष ने अनजाने में अब इसकी पुष्टि कर दी है। हमने छापामारों की ट्रेनिंग के बारे में पाकिस्तान की (अधिकृत) रिपोर्टें भी देखी हैं। हमारे लिए यह ठीक-ठीक पता लगाना सम्भव नहीं कि कितने हथियार और कहां बांटे गए हैं या हथियार लेने वालों को कोई क़सम दिलाई गई है या नहीं।

सदन को याद होगा कि पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में चकनोट गांव को लेकर बड़ा हंगामा किया था; यह गांव युद्धविराम रेखा के इस पार केरान के पूर्व में हमारी तरफ है। पाकिस्तान ने हमारे पास जो विरोध-पत्र भेजा है उसमें, और सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम एक पत्र में, ये आरोप लगाए हैं कि हमने जबरन कब्ज़ा करने के लिए इस गांव में या इसके आस पास अपने सैनिक जमा किए हैं, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह गांव वास्तव में युद्धविराम रेखा के इधर हमारे इलाक़े में है। असलियत यह है कि इस क्षेत्र में युद्धविराम रेखा के पाकिस्तान की तरफ़ वाले हिस्से में सेना का जमाव किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों ने भी जांच-पड़ताल करने के बाद अब तथ्यों की पुष्टि कर दी है। मुख्य सैनिक प्रक्षक से जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें उन्होंने हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को चकनोट के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के जमाव का कोई नामोनिशान नहीं मिल सका है। इसके विपरीत इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने यह पाया है कि वास्तव में पाकिस्तानी सैनिकों ने कराची करार के विरुद्ध केल के दक्षिण-पूर्व के क्षेत्र में सैन्य शक्ति और बढ़ाली है। इस तरह मुख्य सैनिक प्रेक्षक ने चकनोट के बारे में पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किए जाने का और भारत द्वारा उल्लंघन न किए जाने का निर्णय दिया है।

इन तथ्यों से हमारी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है और यह भी पता चलता है कि भारत के प्रति जबर्दस्त घृणा फैलाने के लिए और भारत-पाक सम्बन्धों के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारी एक ऐसी स्थिति का किस हद तक फायदा उठा सकते हैं जिसका कि अस्तित्व ही नहीं। चूंकि पाकिस्तान सरकार ने हमारे नाम और सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को भेजे गए सरकारी नोटों में ये गम्भीर आरोप हम पर लगाए हैं, इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा है कि संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के इस निर्णय को सबके सामने रख दूं।

हमें इस बात का बहुत खेद है कि हमारा पड़ौसी देश, जिसके साथ कि हमने मित्रतापूर्ण और सहयोग के सम्पर्क स्थापित करने की सदा कोशिश की है, ऐसी चालबाजियों से काम लेता है। यह हमारी नीति नहीं है कि हम ताकत की धमकी दें, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो स्वाभाविक है कि हम अपनी रक्षा तो करेंगे ही। इसके साथ ही हम चूंकि मुश्किलों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने में विश्वास करते हैं, इसलिए इस युद्धविराम रेखा और युद्धविराम करार की अनुल्लंघनीयता को बनाये रखने और उसकी रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को हर तरह की सहायता देंगे।

†श्री जसवन्त मेहता : क्या यह सच है कि पाकिस्तान और चीन के बीच करार हो जाने के बाद से पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है, और सारे संसार में भारत विरोधी प्रापेगैंडा कर रहा है? यदि हां, तो उस प्रापेगैंडा को निष्फल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान के गलत प्रापेगैंडा को निष्फल बनाने के लिये हम सामान्य उपाय अपना रहे हैं। इस वक्तव्य को भी अन्य देशों के ध्यान में लाया जायेगा।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी) : क्या प्रधान मंत्री अमरीका से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अविलम्ब नये अमरीकी प्रधान से मिलने की चेष्टा करेंगे?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या इस घटना से यह लक्षित नहीं होता कि निकट भविष्य में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना है?

†श्री त्यागी (देहरादून) : क्या सरकार इस बारे में सतर्क है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार निसन्देह सतर्क है। जहां तक युद्ध छिड़ जाने की बात है, हम नहीं कह सकते कि क्या स्थिति उत्पन्न हो परन्तु हमारे विचार में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अभी ऐसी स्थिति नहीं आई और हम अपनी शांतिपूर्ण नीति का बराबर अनुसरण करते रहेंगे।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : नागरिकों को सहस्रों राईफ़ल्स दी गयी हैं और छिप कर लड़ाई करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यदि हम पर अनायास ही आक्रमण हो जाय तो क्या हम उसका सामना करने के लिये तैयार हैं?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि हमारी सेना ४,०००, १०,००० या २०,००० छिप कर लड़ाई करने वालों का मुकाबला करने के लिये सक्षम है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना सम्बन्धी उत्तर के बारे में

†श्री दाजी (इन्दौर) : हम ने शुक्रवार के दिन यहां पर एक प्रश्न उठाया था कि इस सभा में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दिये जाने पर भी माननीय मंत्री ने उस विषय में पहले राज्य सभा में उत्तर दिया। हम ने अपने अधिकारों संबंधी प्रश्न उठाया था।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने वाद-विवाद की प्रतियां मंगवाई हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाऊंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

(३) पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय गांव पर बलपूर्वक कब्जा कियेजाने की कथित घटना:

"पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय गांव दुमारी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिये जाने का समाचार।"

†श्री दाजी (इन्दौर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय गांव दुमाबारी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिये जाने का समाचार।"

†वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : सदन को याद होगा कि मैंने २१ सितम्बर, १६६३ को लाठीटीला/दूमाबाड़ी क्षेत्र की स्थिति के बारे में एक बयान दिया था। उस दिन से अब तक उस क्षेत्र की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी विषय पर एक तारांकित प्रश्न का उत्तर भी २५ नवम्बर को दिया जा चुका है। जाहिर है कि दिल्ली के कुछ अख़बारों में जो रिपोर्ट छपी है वह स्थिति का संवाद मात्र है क्योंकि वह स्थिति काफी अरसे तक रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने पिछले बयान में मैंने कहा था कि लाठीटिल्ला के अलावा, पूर्व पाकिस्तान राइफल्स ने इस वर्ष जुलाई से सितम्बर के बीच, डूमाबाड़ी में भी अतिक्रमण किया था। इसका नतीजा यह हुआ कि १५ से २० सितम्बर तक गोलीबारी हुई और उसके बाद २० सितम्बर को दोपहर बाद युद्धविराम की घोषणा की गई। पाकिस्तान ने दोबारा गोली नहीं चलाई है। कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने युद्धविराम से पहले के अपने मोर्चे नहीं छोड़े हैं। लाठीटिल्ला और डूमाबाड़ी के भागों में उन्होंने जो खन्दक तैयार किये थे और खाइयां खोदी थीं, उन्हें व बराबर बनाये हुए हैं।

६ अक्टूबर, १६६३ को ब्रिगेडियर के स्तर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों कमांडरों ने यह तय किया कि वे अपने-अपने वर्तमान मोर्चों पर ही रहेंगे और किसी प्रकार की गोलीबारी नहीं करेंगे और न वे नये सैनिक बढ़ायेंगे अथवा कोई नई खाई-खंदक खोदेंगे अथवा बचाव के वर्तमान मोर्चों में किसी प्रकार का सुधार ही करेंगे। यहां फिर पाकिस्तान ने समझौते का अक्षरशः पालन नहीं किया है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विरोध-पत्र भेजे जा चुके हैं।

हमने "विवादग्रस्त क्षेत्र" में "पूर्व स्थिति" बनाये रखने के लिए कमांडर (जी० ओ० सी०) के स्तर पर बातचीत करने और निरीक्षण करने का वचन दिया है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। हमने यह प्रस्ताव भी किया था कि केन्द्रीय सर्वेक्षण अधिकारी "रेखांकन के काम को सबसे ज्यादा महत्व" (क्रेश डिमारकेशन) दें जिससे कि इस विवाद से उत्पन्न समस्या का स्थायी हल खोजा जा सके। पाकिस्तान अब इस पर सहमत हो गया है कि इस उद्देश्य के लिए दोनों तरफ के प्रधान सर्वेक्षक १६ दिसम्बर को ढाका में मिलें।

†श्री दाजी : क्या यह सच है कि दुमाबारी गांव में श्री सत्येन्द्र दास के मकान का प्रयोग पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अपने मुख्य कार्यालय के रूप में किया जा रहा है?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां।

†श्री रंगा : यह सीमा के हमारी ओर है।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह उस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों को पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तान राइफल्ज, गिरफ्तार कर के ले गई है, उन को छुड़ाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया है?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सीमान्त घटनाओं में कई बार लोगों को ले जाया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि किस विशेष घटना का उल्लेख किया जा रहा है। दुमाबारी के बारे में हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

†श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि दुमाबारी के निकट नालीहती गांव में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा खेती करने नहीं दी जाती?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां कहीं भी हमारे राष्ट्रजनों द्वारा खेती की गई है और फ़सल तैयार है, वहां के लिये हम पर्याप्त संरक्षण लोगों को दे रहे हैं।

†श्री स्वैल : श्री सत्येन्द्र दास का मकान हमारे राज्य-क्षेत्र में है अथवा पाकिस्तान के? यदि वह हमारे राज्य-क्षेत्र में है तो वह मकान खाली करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह विवादास्पद क्षेत्र है जो अंशतः हमारे कब्जे में है। इसी क्षेत्र में हम अपने महा-निरीक्षकों को भेजना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह काम शीघ्र हो जाय ताकि सीमा-रेखा के बारे में निर्णय हो जाय। हम ने इसी लिये इन घटनाओं को बृहत् रूप धारण करने से रोका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विषय में समस्या को युद्ध द्वारा सुलझाने की बजाय साधारण असैनिक उपायों द्वारा ही सुलझाया जाय।

डा० राम मनोहर लोहिया : दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ रहा है—चीन वाले मोर्चे पर भी और पाकिस्तान वाले मोर्चे पर भी।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। क्या यहां भी इस तरह से तनाव बढ़ाना है?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, तनाव तो दोनों मोर्चों पर बहुत बढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस हाउस में तो आराम से काम चलने दीजिये। यहां तनाव की जरूरत नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि जब से प्रधान मंत्री ने लाठीटिला तथा अन्य क्षेत्रों को वाद-क्षेत्र घोषित किया है तब से पाकिस्तानी नागरिक पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स की सहायता से वहां पर बसने शुरू हुए हैं, और वह सीमा-चिह्नों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हां, तो वहां से उनको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि उनका इरादा क्या है। वैसे सब तरह के बुरे इरादे उनके हो सकते हैं। लाठीटिला क्षेत्र में कुछ स्थानों पर उन्होंने कब्जा किया है। दुमाबारी बिलकुल अलग क्षेत्र है। इस क्षेत्र के उचित सीमांकन के लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। महा-निरीक्षकों की बैठक जल्दी हो इस के लिये वह अब सहमत हो गये हैं। वह बैठक सफल होगी या नहीं, मैं नहीं कह सकता, परन्तु मुझे आशा है कि सफलता मिलेगी।

†श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : एक औचित्य प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : एक विषय पर चर्चा अभी समाप्त हुई है और अगले विषय को अभी लिया नहीं गया, तो यह औचित्य प्रश्न कैसा?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप ने शुक्रवार को इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि जब श्री सत्यनारायण सिंह आ जायेंगे, तो वह भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन को कह दिया है और वह स्टेटमेंट करेंगे । लेकिन माननीय सदस्य पहले ही खड़े हो गए । इस में प्वायंट आफ़ आर्डर कोई नहीं है । माननीय सदस्य को चाहिए था कि वह जरा सब्र से बैठते । मिनिस्टर साहब अपनी बारी के मुताबिक स्टेटमेंट करेंगे ।

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैंने खुद भी उन से पहले कह दिया है कि मैं स्टेटमेंट करने वाला हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दुर्घटना के बारे में प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)**: मैं २८ जुलाई, १९६३ को जम्मीकोण्डा हिल रोड धातु खदान, जिला विशाखापटनम्, आन्ध्र प्रदेश की घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०५२/६३]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सचिव, राज्य सभा, से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ में लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९६३ को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है ।

(चार) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये अवल सम्मति का अभिग्रहण तथा अर्थ (संशोधन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : १८ नवम्बर, १९६३ को सभा को दी गई गत रिपोर्ट के बाद वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६३ को पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समवाय (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†श्री खाडिलकर (खेड) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ में आगे संशोधन करने वाले विधयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रवर समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

†श्री खाडिलकर (खेड) : मैं समवाय अधिनियम १९५६ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

गंदी वस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

†श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) एक्ट, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय १८ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) एक्ट, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय १८ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान् आपके सचिवालय ने श्री राम सेवक यादव के एक पत्र की प्रति मुझे भेजी है और आपकी यह इच्छा प्रकट की है कि मैं आज सभा में प्रशासन में भ्रष्टाचार निवारण के उपायों के बारे में अल्पकालीन चर्चा और पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित अनियमित दिन वाले प्रस्ताव के बारे में एक वक्तव्य सभा में दूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने भी इस अनियत दिन वाले प्रस्ताव के बारे में मुझे प्रत्यक्ष लिखा है।

आप तो जानते हैं कि इस सारे सप्ताह में सभा को तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा करनी है और निवारक निरोध विधेयक, समवाय (संशोधन) विधेयक और कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधानों को लेना है। सरकारी कार्य के २२ ½ घंटों में से ११ ½ घंटे योजना की चर्चा के लिए हैं और निवारक निरोध विधेयक के लिए १० घंटे हैं। सलिए सरकार को अन्य महत्वपूर्ण विधानों के लिए समय मिलना कठिन है। अतः जहां चालू सप्ताह का सम्बन्ध है मैं अनियत दिन वाले प्रस्ताव के लिए समय नहीं दे सकता। किन्तु मैं अगले १५ दिसम्बर से शुरू होने वाले सप्ताह में इस चर्चा के लिए सहमत हो सकता हूं।

जहां तक पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है मैंने आप से निवेदन किया था और इस सभा में भी कहता हूं कि इस अधिवेशन में उस चर्चा के लिए समय देना संभव नहीं होगा। किन्तु बजट अधिवेशन में उस पर चर्चा हो सकेगी।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ सरकारी काम जो कि आवश्यक है, उसका निपटारा करना है और सरकारी काम भी बहुत अधिक है जिसकी वजह वजह से यह सारी चीज नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय की दिक्कत तो हमेशा ही रहती है। देश में जो जो महत्वपूर्ण और बातें उठा करती हैं और जो महत्वपूर्ण हैं भी, उन पर कभी भी चर्चा न हो और हमेशा ही समय का अभाव कह कर उनको टाल दिया जाय, यह उचित नहीं है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि या तो इस सत्र की अवधि को बढ़ा दिया जाय या फिर रोज जो बैठक के घंटे हैं, उनको बढ़ा दिया जाय और हम कुछ ज्यादा देर तक बैठा करें। यह जो टालते जाने वाली बात है यह ठीक नहीं है। पिछड़ा वर्ग कमीशन की जो रिपोर्ट है यह कई बरसों से चलती चली आ रही है। मेरी मंत्री महोदय से यह शिकायत है कि वह इस पर बहस कराने के लिये समय क्यों नहीं निकालते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि २० तारीख को अधिवेशन स्थगित कर दिया जायगा या २० के बाद कुछ कार्य किया जा सकेगा।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : बैकवर्ड क्लासिस कमीशन रिपोर्ट के बारे में इस के पहले भी आपत्ति उठाई गई थी और पार्लिमैंटरी एफेयर्ज के मिनिस्टर साहब ने यह आशा और विश्वास दिलाया था कि इस सेशन में इस को जरूर ले लिया जायगा। इस तरह की आपत्ति मैंने अगस्त में उठाई थी और इसके जवाब में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था। क्या मैं आशा करूं कि अगर इस सेशन में नहीं तो वह इस को बजट सेशन में अवश्य बहस के लिए हमारे सामने रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने वादा कर लिया है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जरूर की बात नहीं है. . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो बात जाननी चाही थी, उसका मैंने जवाब दिया है। आपका अलहदा सवाल है ।

श्री स० मो० बनर्जी : शुक्रवार के दिन आपको याद होगा मैंने भी एक मोशन की बात उठाई थी और कहा था कि कालिंग एटेंशन नोटिस और एडजर्नमेंट मोशन काफी जो पाकिस्तानी वारदातें इस देश की सीमाओं पर चल रही हैं, आ रहे हैं, इस वास्ते अगर एक मोशन स्वीकार कर ली जाय तो अच्छा होगा और आपने फरमाया था सदन में कि अगर लोगों को, माननीय सदस्यों को तसल्ली नहीं होती तो वे एक मोशन दें। माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि जो मोशन मेरे खयाल में एडमिट हो चुका है क्या उस पर भी बहस होने जा रही है ताकि रोज रोज कालिंग, एटेंशन नोटिस और काम रोको प्रस्ताव पेश न हों ? क्या इस के लिए वह समय इसी सप्ताह में निकालेंगे या अगले सप्ताह में ?

श्री सत्यनारायण सिंह : यह मालूम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी ने जो कहा उसके बारे में आप बतायें। इसके बारे में मैं बता दूंगा ।

श्री सत्यनारायण सिंह : जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हाउस आफ कामंस में आप देखिये कि नान-लेजिस्लेटिव बिजिनेस के लिए कितना समय निकाला जाता है । इसके लिए जितना समय हम यहां निकालते हैं, शायद ही उतना समय किसी डेमोक्रेसी में या पार्लिमेंट में निकाला जाता होगा । आखिर यह पार्लिमेंट है और इस का मेन काम लेजिस्लेटिव बिजिनेस ट्रांजेक्ट करना है । काफी समय हम इस के लिए निकालते हैं । पिछली दफा का पार्ट टेबल आप निकाल कर देखिये कि कितना समय निकाला गया था । बावजूद इसके भी इस तरह की डिमांड होती है कि और समय निकाला जाय । मैंने डिफिनिटली कहा है और वादा किया है कि अगली बार जरूर लायेंगे । आठ बरस से कमीशन की रिपोर्ट किसी न किसी तरह से पेश है । अगर आठ बरस आप ठहर सकते हैं तो दो चार हफ्ते और ठहरने में क्या दिक्कत है । मैंने एक वादा कर लिया है । इस से अधिक वादा मैं नहीं कर सकता । बजट सेशन में जरूर इसको ले लिया जायगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : (फर्रुखाबाद) : यह रिपोर्ट पड़ी हुई है, विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की रिपोर्ट रह गई है । और भी कई चीजें अभी बाकी हैं । माननीय मंत्री जी इंग्लिस्तान की लोक सभा का जिक्र करते हैं । वहां दस या ग्यारह महीने संसद् बैठती है । तब यहां क्यों न हम लोग ज्यादा वक्त बैठें अगर कानून पास करवाने हैं तो ।

श्री हरि विष्णु कामत : २० तारीख तक बैठेंगे या बाद भी बैठेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : अभी तो यही तय है कि बीस तक बैठेंगे अगर कोई ऐसी अनफोरसीन बात न हो जाए कि और बैठने पर हम मजबूर ही न हो जायें ।

एक माननीय सदस्य : पक्की बात नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : पक्की बात कोई भी बात कैसे कही जा सकती है । मान लीजिये किसी की डैथ हो जाती है या कुछ और घटना घट जाती है और उस सूरत में हो सकता है कि एक रोज और बढ़ जाये । कोई अनफोरसीन बात हो जाए, तो उसका क्या किया जा सकता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है। हर अधिवेशन में ऐसा होता है कि दस दिन पहले हमें यह सूचित नहीं किया जाता अधिवेशन का अन्त कब होने वाला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों कम से कम एक सप्ताह पूर्व पता लग जाना चाहिये।

†**प्रधान मन्त्री वैज्ञानिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक हमारा सम्बन्ध अधिवेशन का अन्त २० को होने वाला है किन्तु यदि कोई आकस्मिक बात पैदा हो गई तो अलग बात है और तब एक आध दिन और चल सकता है।

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० सा० राजू)** : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे उपमंत्री होते हुए उनके स्थान पर स्ताव रख सकते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : आप क्यों हंस पड़े।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको देख कर हंस पड़ा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**डा० द० सा० राजू** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : ५ दिसम्बर, १९६३ को श्री ब० रा० भगत द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार :—

"कि 'तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर' जो २६ नवम्बर, १९६३ को सभा की सभा पटल पर रखा गया था विचार किया जाये।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : जब पहली योजना लाई गई थी तो योजना मंत्री ने कहा था कि यह लोगों की योजना है और इसे बनाने तथा कार्यान्वित करने में लोगों का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

सहयोग अधिकाधिक बढ़ेगा । अब योजनाओं की क्रियान्विति की अवस्था है । यह वास्तव में स्थिरता की अवस्था है । बांध और सड़कें बनाने में लोग जो श्रमदान दिया करते थे उसकी स्थिति अब क्या है । यह सहकार क्षेत्र है और कहा जाता है कि यह नौकरशाही में परिवर्तित होता जा रहा है । इस विचार के बारे में क्या किया जा रहा है कि सरकारी उपक्रमों की अंशपूंजी में लोगों का हिस्सा होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कृषि का क्षेत्र तो लोगों का ही क्षेत्र है और इसका ह्रास हो रहा है । कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग भी लोगों के क्षेत्र में हैं और उनमें भी ह्रास की स्थिति है । कृषि के उत्पादन में पिछले तीन वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई । योजना के लक्ष्य में जो कमियां दिखाई दे रही हैं उन्हें मामूली नहीं समझना चाहिये । पूंजी व्यय का लक्ष्य की उपलब्धि से कुछ समन्वय होना चाहिये ।

प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि प्रशासन की रुचि कांग्रेस की नीति और समाजवादी समाज में नहीं है । अतः योजना मंत्री को चाहिये कि वे योजना आयोग को अधिक कर्मशील और प्राणवान बनायें ।

†श्री अ० चं० गुह (बरसाट) : श्रीमान् इस योजना की दोनों पक्षों की ओर से आलोचना की गई है । एक प्रतिवादी श्री मसानी थे और दूसरे श्री इन्द्रजीत गुप्त । योजना का कार्य लोक तंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत कठिन होता है । रूस और चीन भी कृषि सम्बंधी योजनाओं में असफल रहे हैं और रूस को कनाडा तथा अमरीका से गेहूं मंगाना पड़ा है । रूस ने सातवीं योजना में ६७० खरब डालर देश में ही ऋण लिया था जिसे लौटाया ही नहीं । किन्तु योजना कार्य में कठिनाइयां उपस्थित होने का यह अभिप्राय नहीं कि योजना को समाप्त कर दिया जाए । चर्चा को आरम्भ करते हुए योजना मंत्री ने योजना की उपलब्धि में असफलता के तीन कारण बताये हैं एक तो प्रतिकूल प्राकृतिक स्थिति, और प्रशासनिक समन्वय का अभाव, दूसरे उद्योगों की अवधि और कार्यान्विति के आशाददी कार्यक्रम और तीसरे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में विलम्ब । सिवाय प्रकृति के अन्य कारण प्रशासन सम्बंधी हैं । यदि विदेशी मुद्रा का खर्च शीघ्र हो गया तो वह भी प्रशासन की जिम्मेदारी है ।

क्या कारण है कि दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा की ४०६ करोड़ रुपये में केवल २२७ करोड़ रुपये खर्च गये थे और ६३ करोड़ के निर्माण अधिकृत ऋणों में से केवल ३८ करोड़ रुपया खर्च किया गया । सरकार ऋणों पर सेवाभार देती है । मैं जानना चाहता हूं कि दूसरी योजना में उन्होंने ऋण पर उन्होंने सेवा भार की कितनी राशि दी थी । मैं समझता हूं कि उसमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च हुई होगी ।

राष्ट्रीय आय की प्रगति में असफलता का कारण यह बताया गया है कि कृषि उत्पादन असफल रहा था । कृषि की असफलता का कारण केवल प्रकृति नहीं है बल्कि उर्वरक के संभरण में कमी है । बीज पैदा करने के फार्मों में भी आशा के अनुकूल काम नहीं हुआ । सिंचित क्षेत्रों में से १० से १२ प्रतिशत तक भूमि को उर्वरक उपलब्ध किया गया है जब कि सिंचाई की व्यवस्था के लक्ष्य में भी ६० प्रतिशत की प्राप्ति हुई है :

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि के सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि उस बारे में कोई नीति नहीं है। मूल्यों के बारे में क्या नीति है? कृषि की प्रगति की क्या नीति है? कृषि की प्रगति के लिए क्या नीति है? यह निश्चित नीति होनी चाहिये कि कृषि को वित्तीय सहायता दी जाए और जन संख्या के जिन वर्गों में खाद्यान्न के अभाव की संभावना हो उन्हें वित्तीय सहायता द्वारा उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिलना चाहिये।

निर्वाह व्यय चिंताजनक सीमा तक बढ़ गया है। यों तो विकास शील अर्थव्यवस्था में निर्वाह व्यय बढ़ना स्वाभाविक है किन्तु यह वृद्धि चिंता का विषय है। मुझे मालूम नहीं कि कृषक को कितनी वित्तीय सहायता दी जानी है। यदि उसे सिंचाई, उर्वरक, बीज और वित्त प्राप्त हो जाए तो वह फसल का उत्पादन कर सकता है।

किसान को अनाज का उचित मूल्य मिलना चाहिये। यदि उसे नकद फसल पर अधिक पैसे मिलते हैं तो वह खाद्यान्न पैदा करने के लिए तैयार नहीं होगा। अतः खाद्यान्न और नकद फसलों के मूल्यों में समानता होनी चाहिये।

कृषि सम्बंधी निर्वाह व्यय में ही सर्वाधिक वृद्धि हुई। चावल, चीनी और गुड़ के भाव अत्यधिक बढ़ गये हैं। दिल्ली में गुड़ के भाव में वृद्धि केवल इस कारण हो गई कि एक सहकारी समिति मुनाफाखोरी करना चाहती थी।

राजस्व के सम्बन्ध में यह लक्ष्य था कि तीसरी योजना में ११०० करोड़ रुपये का कर वसूल किया जाएगा। किन्तु जो कर लगाये जा चुके हैं उनसे ६०० करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त होगा। किन्तु कहा जाता है कि योजना पर भी अनुमति से अधिक खर्च होगा जिसका आंशिककरण योजना से भिन्न खर्च भी है। तिरक्षा व्यय की बात तो समझ आती है किन्तु अन्य योजना से भिन्न खर्च क्या है? मंत्रालयों में की जाने वाली बचत की योजना तो समाप्त हो चुकी है।

संकट काल के नाम पर बहुत कुछ किया जा रहा है। किन्तु यदि संकट काल की धारणा और बचत की भावना प्रशासन में न हो तो सामाजिक कार्यक्रमों में कोई कमी करना कदापि उचित नहीं है।

धन के वितरण का उल्लेख मध्यावधि मूल्यांकन में नहीं किया गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सरकार प्रोफेसर महलानोबि की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसका प्रतिवेदन तीन वर्षों से नहीं मिला। ऐसा लगता है कि सरकार उसे प्रस्तुत करने से घबरा रही है।

इस सभा में इस विषय पर गरमागरम विवाद हुआ था। यद्यपि राम मनोहर लोहिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े बताये थे किन्तु यह तथ्य है कि धन का संग्रह कुछ ही हाथों में हो रहा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने रिजर्व बैंक के बुलेटिन के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा था कि केवल २० प्रतिशत जन संख्या के हाथों में राष्ट्रीय आय का ४२ प्रतिशत भाग चला जाता है। हमारी ६० प्रतिशत जन संख्या को ३० प्रतिशत राष्ट्रीय आय प्राप्त है और यह स्थिति अन्य ग्यारह देशों की तुलना में जिनका उल्लेख बुलेटिन में किया गया है, अच्छी है।

[श्री अ० च० गुह०]

वितरण के सम्बन्ध में योजना विफल रही है । योजनागत लक्ष्य की प्राप्ति का उत्तरदायित्व किसका है? सरकार को चाहिये कि वह योजना आयोग को पुनर्गठित करे ताकि योजनाएं सफल हो सकें ।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर) : मध्यावधि मूल्यांकन योजना पर एक दुखद टिप्पणी है। उसमें हमारी विफलताओं का विशद निरूपण किया गया है। योजना के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। वास्तव में योजना में १७५० करोड़ रुपये की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था किन्तु उसके लिए २४०० करोड़ रुपया जुटाया गया है। फिर संसाधनों के होते हुए भी विफलता का मुंह क्यों देखना पड़ा। प्रधान मंत्री ने स्वयं यह कारण बताया है कि हमारी विफलताएं प्रशासन की अदक्षता के कारण हैं। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण जनता को अत्यधिक पैसा देना पड़ा है। उनके गाढ़े पसीने की कमाई प्रशासन की अदक्षता की नजर हो रही है।

कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन की तुलना में अधिक स्थिर रहा है। यदि अन्तर को देखा जाये तो कृषि में १२ प्रतिशत अन्तर हुआ है जबकि औद्योगिक उत्पादन का अन्तर २३.७ प्रतिशत है। सलिए यह कहना गलत है कि प्रकृतिक विडम्बना के कारण उत्पादन में कमी हुई है।

प्रतिवेदन में विभिन्न मदों सम्बन्धी व्यय का उल्लेख नहीं किया गया। इस योजना के लिए ७,५०० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी और लक्ष्य यह था कि कृषि में ३० प्रतिशत, उद्योग में ७० प्रतिशत और राष्ट्रीय आय में ३० तिशत वृद्धि की जायेगी। किन्तु २½ वर्ष में कृषि उत्पादन में जरा भी अभिवृद्धि नहीं हुई और राष्ट्रीय आय में केवल ५ प्रतिशत वृद्धि ई जबकि ३,३७१ करोड़ पया व्यय हो चुका है। खर्च के अनुकूल परिणाम नहीं निकले। यह विचित्र बात है कि धन संभरण में ८३ प्रतिशत वृद्धि हो गई है किन्तु उत्पादन में केवल ५० प्रतिशत ृद्धि ई है ।

स्थायी मुद्रा स्फीति और निरंतर मूल्य बढ़ते रहने से मुख्यतः दरिद्र लोग पीड़ित होते हैं जिसका अभिप्राय है कि यह स्थिति समाजवाद के लक्ष्य के प्रतिकूल है। सी कारण सामाजिक वर्गों में धन सम्बन्धी विषमता पैश हो गई है।

उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में मुद्रा स्फीति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। डा० पी० जी० थामस ने इस सम्बन्ध में चेतावनी दी थी कि एक क्षेत्र में आय के विस्तार से दूसरे क्षेत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा । इसलिए उसने अनुरोध किया था कि राज्यानुसार योजना बनानी चाहिये।

दक्षिणी राज्य, अर्थात् मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल तथा मैसूर, देश के अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं। आंकड़ों से भी यही पता चलता है कि इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। १९५८–५९ में मद्रास राज्य की आय १९५५–५६ की आय की तुलना में ०.३ प्रतिशत कम रही जबकि अखिल भारतीय औसत आय में १०.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । उसी अवधि में मैसूर में प्रति व्यक्ति आय में १९५५–५६ की तुलना में १.६

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिशत की कमी हुई और मद्रास में ३.६ प्रतिशत की जबकि अखिल भारतीय आधार पर इसमें ४.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः यह स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के राज्यों की आय में योजनाओं से कोई वृद्धि नहीं हुई है। वहां पर और योजनायें आरम्भ की जायें ताकि वे भी अन्य उन्नत राज्यों के समान हो सकें। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण योजनाओं की स्वीकृति न देना युक्तिसंगत नहीं है। जहां तक संभव हो समूचे देश में वृद्धि समान रूप से होनी चाहिये। योजना सम्बन्धी आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर न देकर राज्य-वार दिये जाने चाहियें।

प्रत्येक राज्य में एक आयोजन बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। यह योजना आयोग या केन्द्रीय सरकार के मातहत नहीं होनी चाहिये अपितु यह पूर्णतया राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करे और उसी के प्रति उत्तरदायी हो।

जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है हम बड़ी परियोजनाओं की मांग करते रहे हैं परन्तु वे वहां पर आरम्भ नहीं की गई हैं।

समाजवादी ढंचे में केवल प्रगति पर ही जोर नहीं होना चाहिये अपितु सारे क्षेत्रों तथा समस्त देशवासियों को प्रगति के समान अवसर दिये जाने चाहियें। राष्ट्रीय आय के वितरण तथा धन के संचय के बारे में जांच करने के लिये योजना आयोग ने ढाई वर्ष पहले जो समिति नियुक्त की थी, उसका प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन शीघ्र ही पेश किया जाना चाहिये।

यह कहा जाता है कि समाजवादी योजना प्रगति तथा समानता की प्रतीक है परन्तु हमारे सामने पेश किये गये मूल्यांकन दस्तावेज़ से पता चलता है कि योजना प्रगति कम तथा असमानता अधिक लाने में ही सफल हुई है। आगे योजनायें बनाते समय, यह चीज़ ध्यान में रखी जाये ताकि देश के विभिन्न प्रदेशों की तेज़ी से तथा समान रूप से प्रगति हो सके।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : तृतीय योजना का मध्यकालीन मूल्यांकन एक अच्छा दस्तावेज़ नहीं है। इससे हमें निराशा ही हुई है।

कृषि क्षेत्र में योजना के लक्ष्य पूरे न होने के कारण स्पष्ट हैं। सरकार योजना को कार्यान्वित करने में तत्पर नहीं है। इसने किसान के पक्ष में नीति नहीं बनाई। इसका विश्वास ऐसी कृषि नीति में रहा है जिससे व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचे, किसान को नहीं। हर स्तर पर सहयोजन का सर्वथा अभाव रहा है।

श्री स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बनाये गये कृषि बोर्ड द्वारा कोई लाभप्रद कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशासन की समाजवादी नीतियों की कार्यान्विति में रुचि ही नहीं है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था का विकास रुक गया है।

भारतीय किसान किसी अन्य देशों के किसानों से कम समर्थ नहीं हैं। यदि उनको आवश्यक सिंचाई सुविधायें दी जायें तो वे उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। उनकी शिकायतें हैं कि जहां पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। परन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आजाद]

सरकार द्वारा उनकी शिकायतों की जांच नहीं की गई है। इस तरह उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता।

पहली पंचवर्षीय योजना में लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि भूमि सुधार तथा भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कार्यक्रम लागू किये जायेंगे। परन्तु इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही है। जब सरकार ही कृषि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में इतनी उदासीनता दिखाती है तो कृषकों से कैसे आशा की जा सकती है कि कृषि में अपना तन मन लगायें और उत्पादन बढ़ायें। प्रधान मंत्री जी ने एक समिति नियुक्त की है। हमें आशा करनी चाहिये कि अब इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में भी हम लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये हैं। इसका कारण यह है कि सरकार निजी उद्योगों के प्रति समझौते की नीति अपनाती रही है। महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में भी इस नीति का अनुसरण किया जाता है। उर्वरक उद्योग के लिये दिये गये लाइसेंसों में से पांच अथवा सात लाइसेंसों का लाभ नहीं उठाया गया। निजी उद्योग जानबूझ कर योजना को असफल बनाना चाहते हैं। वे उर्वरकों का उत्पादन क्यों करें जबकि अन्य उद्योगों से उन्हें अधिक लाभ होता है। देश के उद्योगपतियों और निहित स्वार्थों के दबाव में आकर सरकार उद्योगीकरण के बारे में मन्द नीति अपनाती रही है। इसके विपरीत श्री मसानी जी कहते हैं कि यहां राज्य एकाधिकार है तथा सरकार गैर-सरकारी लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहने देना चाहती। प्रोफेसर गॉलब्रेथ ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे कम नियंत्रित अथवा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। अतः राज्य एकाधिकार का नारा लगाना तथा सारी योजना को समाप्त करने की मांग करना हास्यास्पद है।

हम समाजवाद के रास्ते से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। योजना की कार्यान्विति के द्वारा हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्रत्येक देशवासी भागी बने। परन्तु सरकार की नीति ऐसी रही है कि मुनाफाखोर वर्ग ही अपनी आय बढ़ा पाया है। समूचा लाभ अथवा राष्ट्रीय आय कुछ ही लोगों के पास एकत्रित हो गई है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर महलनोबीस समिति के प्रतिवेदन के पेश किये जाने में इतनी देर क्यों की जा रही है। नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। कारण यह है कि प्रशासन योजना को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहा है। मुख्य बात उत्तरदायित्व निर्धारित करने की है। विभाग का प्रभारी मंत्री इसके लिये उत्तरदायी होना चाहिये। कुछ दिन पहले श्री नन्दा ने कहा था कि एक सतर्कता समिति बनाई जा रही है। प्रत्येक विभाग में एक ओर समिति बनाई जानी चाहिये जिसमें उस विभाग के मंत्री, सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा उप-सचिव हों। यदि वह विभाग उससे सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफल रहता है तो समिति के सदस्यों को अपने पद छोड़ देने चाहियें।

प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन होना चाहिये और असफलताओं के लिये दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये। होनहार व्यक्तियों को प्रशासन में लिया जाना चाहिये। भूमि सुधारों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा विकास खण्डों में सुधार करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्लानिंग के मिडटर्म एप्रैजल की रिपोर्ट है इसको देखने से एसा मालूम पड़ता है कि यह एक असफलताओं की गाथा है। इसके सिवा यह और कुछ नहीं है। वह असफलतायें इसलिये हुई हैं कि एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन का टारगेट (कृषि उत्पादन लक्ष्य) नहीं पूरा हुआ, यह इस अप्रैजल (मूल्यांकन) में कहा गया । और एग्रीकल्चुरल प्रोडक्शन बराबर क्यों नहीं हुआ उसका कारण यह दिया गया है कि सीजन और क्लाइमेट ने वायुमण्डल बराबर नहीं ठीक रहे और इमरजेंसी (संकटकालीन परिस्थिति) आ गयी। ये कारण उन्होंने बता दिये हैं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब से देश का शासन कांग्रेस के हाथ में आया है तब से प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गयी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गयी और तृतीय पंचवर्षीय योजना आजकल चल रही है। इस तीसरी योजना के भी दो साल पूरे हो गये हैं लेकिन आज भी यदि आप गांवों में जांय तो आप पायेंगे कि गांवों की हालत बेहतर नहीं हुई है, गांवों की जनता किसान आदि सुखी और समृद्ध नहीं हैं। गांवों की जनता अपनी हालत से बहुत असंतुष्ट है। मैं तो जनता सुखी व संतुष्ट है अथवा नहीं इसकी जांच करने के लिये तीन टैस्ट लगाता हूं। मेरा एक टैस्ट तो यह है कि कीमतें बढ़ी हैं या नहीं। अब हमने अपने देश में देखा है कि जब से यह पंचवर्षीय योजनायें चली हैं तब से अभी तक हर साल कीमतें बढ़ती ही जाती हैं। अभी थोड़ दिन पहले आठ आने सेर शक्कर थी वह बढ़कर रुपये सेर हो गयी और डेढ़ रुपये हो गयी। गुड़ की भी यही हालत हुई और वह डेढ़ रुपये सेर दिल्ली में और अन्यत्र बिका। इस तरह से अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। गांवों में बेकारी बढ़ती जा रही है। गांव खाली होते जा रहे हैं और शहरों में चले आ रहे हैं। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आखिर उस का कारण क्या है ? प्लानिंग की मिडटर्म एप्रैजल रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कीमतें बढ़ने का कारण यह है कि इमरजेंसी आगयी है और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। मैं तो समझता हूं कि जब तक यह शासन प्राइसेज की इनक्रीज को चैक (बढ़ती हुई कीमतें रोक) नहीं करता है, कीमतों को और अधिक न बढ़ने देने का कोई उचित हल नहीं निकालता है, इसका इलाज नहीं करता है तब तक यह पंचवर्षीय योजना फेल होती जायगी। अब जैसा कि मैंने बतलाया कीमतों का बढ़ना अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है और प्राइसेंज हर साल पहले की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही हैं।।

इसी प्रकार से हम पाते हैं कि देश में अनएम्प्लायमेंट (बेरोजगारी, बेकारी) बढ़ता जा रहा है। गांवों में तो अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) है ही किन शहरों में भी अब बेकारी बढ़ती जा रही है। शहरों में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के दफ्तरों पर नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों की लम्बी लम्बी कतारें लगी दिखाई पड़ती हैं और हक़ीकत यह है कि वहां पर भी बकारी बढ़ती जा रही है। जब तक यह पंचवर्षीय योजना गांवों (विलेजेज) को इकाई मानकर नहीं चलती है तब तक यह फैल (असफल) होती जायगी। आज गांवों में हम क्या देखते हैं ? शहरों में तो हर क्षेत्र में राजनीति थी ही लेकिन अब गांव का वातावरण भी उससे अछूता नहीं रहा है। गांवों में जिला परिषदें जिला परिषदें न होकर एक प्रकार के राजनीतिक अखाड़े हो गयी हैं जिला परिषद जिनको जैड० पी० कहते हैं वे जैड० पी० न होकर वास्तव में जीरो प्रोग्रेस (शून्य प्रगति) हो गयी हैं। यह ग्राम पंचायतें राजनीतिक लोगों के अखाड़े बन कर रह गयी हैं। वैसे कांग्रेस ने कहने को तो कह दिया कि जैड० पी० में राजनीति को आने नहीं दिया जायगा और केवल योग्य उम्मीदवार ही उनमें लिये जायेंगे, इसी तरह का ऐलान दूसरा राजनीतिक पार्टियों ने मसलन् जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० ने कर दिया लेकिन बाद में उन के लिये उम्मीदवारों के चुनने का जब प्रश्न आया तो सब की सब राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर आयीं। सारी राजनीतिक पार्टियां उन में आ गयीं और जिला परिषदें न होकर राजनीति का अखाड़ा बन गयीं। वे राजनीतिक पार्टियों के अड्डे बन गए। राजनीति

[श्री बड़े]

दावपेंच और स्वार्थ आने का ही कारण है कि यह जिला परिषदें अर्थात् जैड० पी० फेल होती जा रही हैं और लोग उनको जो ज़ीरो प्रोग्रेस कहने लगे हैं वह ठीक ही कहने लगे हैं। जब तक जिला परिषदें राजनीति के दांवपेंच से दूर न होंगी और गांवों और काश्तकारों की क्या जरूरतें और कठिनाइयां हैं उन की तरफ एक दिल होकर ध्यान नहीं देंगी तब तक आपकी यह पंचवर्षीय योजना फेल (असफल) होती जायगी।

हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन (कृषि उत्पादन) में फाल होता है। आखिर इसका क्या कारण है? उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में फाल (कमी) होने का कारण स्मॉल स्केल इर्रीगेशन स्कीम्स के अभाव और उस दिशा में ठीक प्रकार से अमल न करने को बताया है। हमने अपने यहां वेस्ट निमाड़ में देखा है कि हमारे यहां छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को चालू हुए ५, ५ और ६, ६ साल लग जाते हैं लेकिन उन पर अमल ठीक से न होने के कारण वह सिंचाई की योजनायें पूरी नहीं हो पातीं हैं।

गांव वाले कांग्रेस शासन द्वारा जो भूमि सुधार सम्बन्धी एक्ट पास किये गये हैं और क़दम उठाये जा रहे हैं उनसे गाव वाले बड़े आशंकित और भयभीत हो उठे हैं और इनको भूमि सुधार न मान कर वे तो ऐसा समझते हैं कि उन पर एक बड़ा राक्षस आने वाला है। किसान इन लैंड रिफार्म्स को राक्षस समझते हैं। आज वास्तविकता यह है कि गांवों में मेजारिटी किसानों के पास सात एकड़ ज़मीन नहीं है लेकिन सरकार ने भूमि पर सीलिंग लगा दी है और एक सीलिंग एक्ट लागू कर दिया है। अब सीलिंग एक्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई किसान बगीचा लगाए तो यह सीलिंग एक्ट उस पर लागू नहीं होगा। नतीजा यह हो रहा है कि जहां पहले वह शुगरके लगाते थे वहां उन्होंने द्राक्ष की खेती करना शुरू कर दी है क्योंकि वह फुडग्रेन्स में नहीं जाता है। परिणामस्वरूप शुगरकेन (गन्ना) की खेती कम होने लगी है और चीनी और गुड़ का उत्पादन कम हो गया है।

इसी तरह से शासन ने कौटन कंट्रोल एक्ट पास कर दिया है और किसानों को बाध्य किया जाता है कि वे खाली यही कोटन उगाएं और वे इस के अलावा दूसरे कोटन सीड्स न बोयें। अब इस तरह के प्रतिबन्ध के कारण किसानों ने क्षुब्ध होकर कोटन (कपास) की जगह ग्राउंडनट (मूंगफली) की खेती करनी आरम्भ कर दी है और कोटन (कपास) का उत्पादन बंद हो गया है। यही कारण है कि रिपोर्ट में इस बात की स्वीकार किया गया है कि पिछले दो, तीन सालों में कौटन (कपास) का प्रोडक्शन (उत्पादन) कम हुआ है। हर साल काटन (कपास) माइनस थ्री परसेंट रहा है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह नहीं बताया है कि पहले वे कोटन (कपास) कितने एरिया (क्षेत्र) में बोते थे और अब कपास कितने एरिया (क्षेत्र) में बोयी जाती है? कपास की पैदावार कम होने का कारण कोटन एक्ट और सीलिंग एक्ट हैं।

पहले सरकार सोशलिस्टिक पैट्रन का नारा लगाती थी, अब शोशलिज्म का नारा लगा रही हैं, फिर कहा कि सीलिंग एक्ट करेंगे, फिर यह कहा कि चकबंदी करेंगे। फिर आप ने कहा कि चकबन्दी नहीं करेंगे और सीलिंग जो होगी वह कोआपरेटिव फार्मिंग की करेंगे। जैसे जैसे आप अपना रुख बदलते जा रहे हैं और नए नए प्रतिबन्ध और कानून बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक गांव में असन्तोष पैदा होता जा रहा है। किसान समझते हैं कि शायद यह कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी की पूरी खेती अपने लिए लेने वाली है और चीन व रूस में जो हुआ है वह यहां भी होने वाला है। इस वास्ते जनता का विश्वास कांग्रेस पर से हट गया है। खेती का उत्पादन का बढ़ाने का जो एक इंसेंटिव था वह खत्म हो गया है और यही कारण है कि हम पाते हैं ये कि खेती का उत्पादन कम होता जा रहा है। मेरा अनुरोध

है कि कांग्रेस शासन इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे क्योंकि बगैर खेती का उत्पादन बढ़े, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकेगी। समय रहते आप चेते। ऐसा समझ कर चुप न बैठ जांय कि चूंकि चुनावों में कांग्रेस जीत जाती है इसलिये कांग्रेस पापुलर है। चुनाव में जीतना दूसरी बात है। आज सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये सुविधाएं देने के बजाय उन पर एक, एक करके प्रतिबन्ध लगा रही है। शासन उत्पादन के जितने साधन हैं उन को अपने नियंत्रण में लिये हुए हैं। अब कपास पर हर एक स्टेज पर सरकार की ओर से एक बंधन लगा होता है। कपास के बोने पर अमुक कौटन सीड्स आदि बोने का प्रतिबन्ध रहता है, कपास का सूत बन कर जब फैक्टरी में जाता है तो वहां अपर और लोअर सीलिंग लगती है, फैक्टरी जो सूत भेजा जाता है उस पर बंधन रहता है, टैक्सटाइल मिल में बंधन रहता है और स्पिंडिल्स में बंधन रहता है। सरकार ने सूत का उत्पादन पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया है। जनता उससे डरती है। गांवों में पटेल अलग शासन से नाराज हैं क्योंकि उनकी पटेली चली गई है। मैंने एक पटेल साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस भगवान और कांग्रेस को हमारे ऊपर यदि मेहरबानी हो तो सब अच्छा है। आखिर इस असन्तोष का क्या कारण है? उनकी पटेली चली गयी है और वह पटेली पंचायत राज्य के हाथ में चली गयी है और इस कारण वह लोग आपसे नाराज हैं। हर एक गांव के पटेल नाराज हैं.....

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : ऐसी बात तो नहीं है कि पटेल कांग्रेस के शासन से नाराज हैं।

श्री बड़े : अजी आप तो केवल नामधारी पटेल हैं। जैसे नामधारी राजा रह गए वैसे नामधारी पटेल हैं लेकिन वास्तव में गांव के पटेल होते थे गांव के मुखिया रहते आए हैं वह अपनी पटेली जाने से नाराज व असंतुष्ट हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार गावों की इकाई को बिगाड़ रही है, गांवों जो एक छोटा राज्य था उसको बिगाड़ती चली आ रही है और इस वास्ते आपका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। आप कितने ही फूड मिनिस्टरर्स बदल डालिए, पाटिल साहब को बदल कर सरदार स्वर्ण सिंह को आपने मंत्री बनाया, और भी किसी मिनिस्टर को इस जगह पर बैठालिये आपका प्रोडक्शन तब तक बढ़ने वाला नहीं है जब तक कि आप गांवों में इस फैले हुए असन्तोष को दूर न करेंगे उन पर जो लैंड सीलिंग और दूसरे जो नियंत्रण एक के बाद एक लादते जा रहे हैं उनको आप खत्म नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य स्थायी हो तो आप गांव वालों का पूरा सहयोग हासिल करें और उनको संतुष्ट रखें। आज तक इस देश में जितने राज्य हो गए हैं, मुगल, लोदी, मराठे इन लोगों ने कभी गांवों को हाथ नहीं लगाया। इस वास्ते उनका राज्य यहां कायम रह सका। वह उन्हीं को डेवलप करते रहे इससे एक विश्वास उत्पन्न होता है जोकि अभाग्यवश आज नहीं है।

लैंड रिफार्म्स में हमारे यहां जो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं उनमें राजनीति घुस गई है और इस कारण वहा पर राजनीतिक स्वार्थ काम करता है और नतीजा यह होता है कि फर्टिलाइजर्स के बारे में जरूरत के बजाय राजनीति काम करती है। उसकी बेसिस पर फर्टिलाइजर्स किसानों को मुहैय्या किये जाते हैं। जरूरतमंद लोगों को पालिटिक्स (राजनीतिक कारणों से) की वजह से फर्टिलाइजर्स मिल नहीं पाते हैं। हालत यह हो रही है कि फर्टिलाइजर्स आये ३०० टन लेकिन उस ब्लाक में एक्चुअली ३० टन गए। जब इस के बारे में पूछा गया कि भेजा तो ३०० टन गया था और सप्लाई सिर्फ ३० टन किया गया तो उन्होंने कहा कि स्टेशन पर माल आ गया है, हमने उसे मंगाया है और वह आ जायेगा। अगर गवर्नमेंट गांवों की पहले की पद्धति को लेकर नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ेगा।

[श्री बड़े]

दूसरे उन्होंने बतलाया है कि अनएम्पलायमेंट (बेरोजगारी) बढ़ता जा रहा है। यह बेकारी कितनी बढ़ती जा रही है इस के बारे में उन्होने पेज १० पर यह कहा है :—

"देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की दिशा में गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये हैं। काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से नौकरी तलाश करने वालों की संख्या गत दो वर्षों में १५·६ लाख से २४.८ लाख हो गई। तकनीकी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के बारे में संभरण पर्याप्त नहीं रहा है।"

क्या शासन ने बढ़ती हुई अनएम्पलायमेंट की समस्या को हल करने के लिए कुछ किया है ? आप ने देखा होगा कि हमारे देश में जब स्टुडेंट्स बी० ए० पास करते हैं, तो उनको जल्दी कोई नौकरी नहीं मिलती है और वे एप्लीकेशन लेकर इधर-उधर मारे मारे घूमते हैं। गांवों में इसलिए अनएम्पलायमेंट हो गई है, क्योंकि वहां पर सब धंधे रुक गये हैं। क्या सरकार ने कभी लुहारों के लड़कों को कोई टैक्निकल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है, ताकि वे अपने प्रोफ़ेशन में रहते हुए जीविका कमा सकें ? मराठा स्टेट्स में गांवों में बहुत सुन्दर बन्दूक बनाने वाले थे, जिनको सिकलीगर कहा जाता था। क्या सरकार ने उनको टैक्निकल ट्रेनिंग दे कर उनकी सेवाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है ? आवश्यकता इस बात की है कि गावों में जो जातियां अपने पुराने व्यवसायों में लगी हुई हैं, उनको डेवेलप किया जाये और उनको सहायता देने का प्रयत्न किया जाये। उस पुराने जातिवाद को डेवेलप करना चाहिए और उसकी प्रोग्रेस करनी चाहिए। सरकार पुरानी व्यवस्था को तोड़-मरोड़ कर विश्वमित्र की तरह नया निर्माण करना चाहती है, लेकिन चाहे उसके पूर्वज भी उतर कर आयें, ऐसा नहीं हो सकता है। पुरानी पद्धति को ही डेवेलप करना होगा। लुहार, कुम्हार, सुनार और बुनकर आदि को उनके व्यवसाय की ट्रेनिंग देने से ही उनकी प्रगति होगी और उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा।

हम देखते हैं कि प्रशासन को बड़ा कास्टली बना दिया गया है। ऊपर के लोग जाते हैं और अपनी कल्पनायें खेती में डालते हैं। हमारे यहां एक इंजीनियर आये, जिनके बारे में कहा गया कि वह तालाब और नहर बनाने तथा इरिगेशन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने योजना बनाई कि ८० लाख रुपया खर्च करके एक तालाब खोदना है। बारह साल के बाद उनकी कल्पना में यह आया कि उस तालाब के नीचे का पत्थर पंद्रह बीस साल के बाद ख़त्म होने वाला है, इसलिए उस तालाब का निर्माण बन्द कर दिया जाये। मैंने श्री तख़्तमल जैन को, जोकि वहा पर मिनिस्टर थे, एक पत्र लिखा कि १३ लाख रुपया खर्च करने के बाद उस तालाब का निर्माण क्यों बन्द किया जा रहा है और जबकि दस साल से यह काम चल रहा था, तो पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर ऐसा कहते हैं, इंजीनियर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए जब तक हर एक मिनिस्टर गांव-गांव में जा कर स्वयं स्थिति का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक यह पंचवर्षीय योजना असफल होगी।

आज लोगों में जो अशांति और असंतोष उत्पन्न हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि प्रशासन बहुत कास्टली हो गया है। एक ही स्थान पर, बी० डी० ओ०,

तहसीलदार, सायल कन्जरवेशन आफ़िसर, एग्रीकल्टर आफ़िसर, सोशल वैलफ़ेयर आफ़िसर आदि कई-कई आफ़िसर नियुक्त हैं। गांवों में अन-एम्पलायमेंट का परिणाम यह है कि लोग गांवों को, जिनको मैं सुदामापुरी कहता हूं, ख़ाली करके द्वारिकापुरी यानी दिल्ली, इन्दौर जैसे बड़े-बड़े शहरों में आते जा रहे हैं। इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए कि हमारे देश में एग्रीकल्टर (कृषि) क्यों फ़ेल हो रहा है। जहां तक एग्रीकल्टर का सम्बन्ध है, पांच साल का एक सर्कल होता है। पहले दो साल अच्छे रहते हैं, एक साल साधारण रहता है और फिर दो साल ख़राब रहते हैं। पहले हर एक विल्लेज में पांच साल के लिए बीज रखे जाते थे और ख़राब सीजन आने पर उनको डिस्ट्रिब्यूट (वितरण) किया जाता था। उस पुरानी पद्धति को ख़त्म करके अब इम्प्रूव्ड सीड मल्टीप्लिकेशन फ़ार्म खोले गये हैं। इन फ़ार्म्ज़ ने क्या काम किया है? इन्होंने गांवों में सौ-सौ एकड़ अच्छी ज़मीन लेकर अपने पास रख ली और कहा कि यह ज़मीन हम को चाहिए और तुम लोगों को सैक्रीफ़ाइस करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये बीज बाद में आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे काम आयेंग। हर एक गांव के काश्तकार और किसान कहते हैं कि हमारे बाप-दादा के समय से हमारी स्त्रियों ने मज़दूरी का मुंह नहीं देखा है, लेकिन जिस ज़मीन में हम ने तकावी लेकर कुंआ बनाया है, इंजिन लगाया है, उस ज़मीन को हम से लिया जा रहा है—यह कैसी उन्नत कृषि योजना है? इस कारण सब गांवों में असंतोष उत्पन्न हो गया है। वे लोग कहते हैं कि हम को रिफ़ार्म नहीं चाहिए, हम अपनी पुरानी पद्धति से ही काम लेंगे।

जहां तक इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स का प्रश्न है, शासन ने कौन से इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स दिये हैं? क्या उसने काश्तकारों को कोई इम्प्रूव्ड हल दिया है? लोग वही पुराने किस्म का हल चला रहे हैं। बड़े बड़े कारख़ानेदारों को तो बिजली दी जाती है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं दी जाती है, इसलिए उनको चरस से पानी निकालना पड़ता है। जब तक सरकार काश्तकारों की एक्टुअल प्राबलम्ज़ को नहीं देखेगी और उनको हल करने के लिए पग नहीं उठायेगी, तब तक चाहे कोई भी मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे, काश्तकारों की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

आज यह नारा लगाया जाता है कि देश में सोशलिस्टिक पैटर्न कायम करने के लिए उद्योग बढ़ाने चाहिए और अच्छे कारख़ाने लगाये जाने चाहिए। परन्तु जो लोग उद्योग खड़े करना चाहते हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन को नार्थ ब्लाक, साउथ ब्लाक, एक दफ़्तर से दूसरे दफ़्तर और एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमना पड़ता है, फिर भी उनको पता नहीं चलता कि अपना काम कराने के लिए किसको मिलना चाहिए। कभी इस सैक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, कभी उस सैक्रेटरी के पास जाना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि यह मिनिस्ट्री वाइफ़हैंट हो गई है, अमुक आफ़िसर के पास जाओ। तीन-तीन घंटे तक लाइन में बैठना पड़ता है। इन बातों से रुपया लगाने वाले लोग त्रस्त हो जाते हैं। पचास हज़ार रुपया लगाने वाले एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं घर में बैठ कर रुपये का लेन-देन करूंगा, लोगों को पैसा दूंगा, खेती करूंगा, मकान बनाऊंगा, जिसका रेंट मुझे मिलेगा, और कोई भी काम करूंगा, लेकिन यह इंडस्ट्री मुझे नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स आई० सी० एस०

[श्री बड़े]

और आई० ए० एस० लोगों को अपने यहां नौकर रखते हैं । इसका कारण यह है कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग जानते हैं कि किस काम के लिए किस के पास जाना है, सम्बद्ध अधिकारियों से उनकी जान-पहचान होती है और वे झट अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने इन्दौर में मध्य प्रदेश के मिनिस्टर को कहा कि डाइरेक्टोरेट आफ़ इंडस्ट्रीज में ऐसे आदमियों को रखना चाहिए, जोकि जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उद्योगों और कारखानों की डिफ़ीकल्टीज को मालूम करें और उनकी डिफ़ीकल्टीज को मिनिस्टर्ज को बतायें, ताकि उसके बारे में शीघ्र कार्यवाही की जा सके। ऐसा करने पर ही इंडस्ट्रीज बढ़ सकती हैं, वर्ना कोई भी प्राईवेट सैक्टर वाला सरकार के पास आने वाला नहीं है। टाटा, बाटा, बिड़ला आदि ज़रूर सरकार के पास आयेंगे, जिन्होंने आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग अपने यहां रखे हुए हैं, लेकिन छोटे-छोटे लोग तो त्रस्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि धिक्कार है कांग्रेस गवर्नमेंट को, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, जो लोग हमारे साथ झाड़ के नीचे सोये हैं, मिनिस्टर बन जाने के बाद वे ऐसे मुंह फेर लेते हैं कि जैसे उनको इन्द्र-पद मिल गया हो और वे हमारी डिफ़ीकल्टीज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं लगाना है और इसके परिणामस्वरूप इंडस्ट्रीज फ़ेल हो रही हैं। सरकार चाहे कोई भी इम्प्रूवमेंट करे, कोई भी लाज़ लाये, लेकिन जब तक लोगों की डिफ़ीकल्टीज को जान कर उनको दूर नहीं किया जायेगा, कोई भी प्रगति होना असम्भव है। **यू आर बिल्डिंग ए पिरामिड अपान ए प्वायंट**। साधारण लोगों की कठिनाइयों को दूर किये बिना कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है। आज गांवों में क्या हो रहा है, टैक्सेस की भरमार है। इसके बारे में "योजना" में बहुत सुन्दर लिखा है :

> "प्रमुख अर्थशास्त्रियों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों ने भू-राजस्व में वृद्धि कर दी है जिसमें अब भूमि-उपकर, अधिभार, पंचायत विकास कर भी जोड़ दिये गये हैं। उदाहरण के लिये मद्रास राज्य में नये कर पहले भू-राजस्व की तुलना में १७० प्रतिशत से भी अधिक हैं। भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटिल ने हाल ही में कहा था कि किसानों को यह अनुभव कराया जाये कि कृषि एक लाभप्रद रोज़गार है तथा उन्हें राज्य सरकारों द्वारा भू-राजस्व की छूट दी जाये जोकि उत्पादन में वृद्धि से पूरी हो जायेगी ।
>
> बढ़ते हुए करों के कारण वे अपनी ज़मीन बचकर शहरों में चले जाते हैं। अतः किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये भी कृषि करों में कमी करने की आवश्यकता है।
>
> यदि उपरोक्त कदम उठाये जायें तो खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सकता है।"

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि पार्लियामेंट में कोई भी इज्म हो, कम्यूनिज्म हो, सोशलिज्म हो, हिन्दूइज्म हो, लेकिन हमारे देश का जो एग्रीकल्टरिज्म है, उसको

सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए और काश्तकारों को हर प्रकार की सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देश में शुरू से हिन्दूइज्म या भारतीयवाद का जो ढांचा चल रहा है, उस ढांचे को ही डेवेलप करना चाहिए। ऊपर से कोई इज्म लागू करके और नारे लगा कर हमारे देश का एग्रीकल्टरल प्राडक्शन नहीं बढ़ेगा।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, स्वाधीनता के बाद जब हमने बालिग मताधिकार पर अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना की तब भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के होते हुए भी मैंने यह आशा की थी कि कम से कम कुछ ऐसे विषय होंगे कि जिन विषयों पर चुनावों के बाद भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के होते हुए भी हम मिल कर काम कर सकेंगे। देश के निर्माण का काम एक ऐसा काम है कि जिसमें मेरा यह मत है कि भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों को मिल कर काम करना चाहिये। इसलिए जब उस दिन मैंने श्री मसानी का भाषण सुना तो उस भाषण को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। सब से अधिक आश्चर्यजनक बात उस भाषण में उन्होंने यह कही कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देना चाहिये। योजना जिस प्रकार चल रही है, उससे किसी को पूर्ण सन्तोष नहीं हो सकता। स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या बिना किसी योजना के हमारा देश प्रगति कर सकता है? यदि हमारा देश बिना किसी योजना के प्रगति नहीं कर सकता तो हमें इन योजनाओं को रचनात्मक दृष्टि से देखना होगा और हमें देखना होगा कि इन योजनाओं के सफल न होने का क्या कारण है। यह निर्णय तब किया जा सकता जब हम योजनाओं को ब्यौरे में देखें और इस बात का पता लगायें कि यदि योजनायें सफल नहीं हो रही हैं, योजनाओं के जो आदर्श थे, वे आदर्श कार्यरूप में परिणत नहीं हो रहे हैं, तो इसमें किस का दोष है।

यहां मैंने अनेक भाषण सुने, अनेक भाषणों को मैंने पत्रों में पढ़ा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन योजनाओं के सफल न होने का प्रधान दोष हमारे राज्य कर्मचारियों पर है। कोई भी काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस कार्य के लिए मन में विश्वास न हो और विश्वास के बाद जब तक उस काम को पूरा करने की लगन न हो। किसी भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब उसमें दो बातें रहती हैं। एक तो कार्य करने वालों का उस वस्तु में विश्वास और दूसरे उस विश्वास के आधार पर उस काम को पूरा करने की लगन। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं, वे इन दोनों बातों से रहित हैं। उनका न तो आजकल के कार्यों में विश्वास है और न उसको पूरा करने की उनमें लगन है। जब तक ये दो बातें नहीं होंगी तब तक यह तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या, कोई भी योजना इस देश में सफल नहीं हो सकती।

इस सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि ब्यौरेवार जांच की आवश्यकता है। मुझे इस बात पर हर्ष है कि कांग्रेस दल ने, जिस दल की सरकार है, यह निश्चय किया है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई जाये। मैं समझता हूं कि उस जांच के लिए चार प्रधान मुद्दे होने चाहियें। पहली बात यह है कि कहां क्या हो रहा है, दूसरी बात यह है कि जो हो रहा है वह ठीक है या नहीं, तीसरी बात यह कि यदि ठीक

[डा० गोविन्द दास]

नहीं है तो इसका कारण क्या है और चौथी बात यह कि वह किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। मेरे मत में इन चारों बातों के अन्तर्गत सब बातें आ जाती हैं। जांच के बाद हमें देखना है कि हर काम निश्चित अवधि के अन्दर और उस कार्य के लिए हमने जितने अर्थ का प्रबन्ध किया है, उस अर्थ के भीतर पूरा हो जाये। यानी निश्चित समय के अन्दर और जितनी लागत हमने निश्चित की है, उस लागत के भीतर। हम देखते क्या हैं? कोई भी कार्य निश्चित समय के अन्दर पूरा नहीं होता। हम जो तखमीना बनाते हैं वह तखमीना बढ़ता जाता है, शैतान की आंत के सदृश बढ़ता जाता है। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी तब तक उस विश्वास और लगन के बावजूद भी वह काम पूरा होने वाला नहीं है।

सबसे पहले हमें ध्यान सुरक्षा की ओर रखना होगा। यदि यह देश फिर गुलाम हो जाता है तो ये सब योजनायें आर्थिक उन्नति इत्यादि की, निरर्थक हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि हमें भीख भी मांगनी पड़े, यदि हमें इन समस्त योजनाओं को समाप्त भी करना पड़े, तो भी सबसे पहले हमारा ध्यान सुरक्षा की ओर होना चाहिये ।

दूसरी बात जिस पर हमारा ध्यान आवश्यक है वह यह है कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसको रोका जाये। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। अब इस गरीब देश के लोग इतने अधिक व्यग्र हो गये हैं और उनकी जो दूर की आशा थी, उस आशा की किरण भी इतनी क्षीण हो गई है कि यदि यह महंगाई बढ़ती गई तो आगे चल कर इस देश में क्या होगा यह कोई कह नहीं सकता ।

हम इस देश का निर्माण दो दृष्टियों से कर रहे हैं, एक आर्थिक दृष्टि से और दूसरे बौद्धिक दृष्टि से। मैं एक छोटा सा साहित्यकार हूं । इसलिए मुझे कुछ शाब्दिक और कुछ दूसरे प्रकार के चित्र बनाने का अभ्यास है। जिस समय हमें स्वराज्य नहीं मिला था उस समय हमें कैसे स्वराज्य मिले, इसके मानसिक चित्र मैं बनाया करता था। स्वराज्य के बाद हमारा देश किस प्रकार का बनेगा, इसके भी कुछ मैं मानसिक चित्र बनाया करता हूं। मेरा मत है कि जब तक कुछ दूर से देख कर इन चित्रों को न बनाया जाये तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। जहां तक आर्थिक उत्थान का सवाल है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दो और दो चार होते हैं और पांच नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार आर्थिक उन्नति हमारी दो बातों पर निर्भर है, कृषि और उद्योग। यह देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए सब से पहले हमें कृषि की ओर ध्यान देना होगा। मैंने कितने ही भाषण पढ़े और कितने ही भाषण सुने । मुझे यह देख कर और सुन कर आश्चर्य हुआ कि कृषि की जो मूल बुनियाद है, उसके सम्बन्ध में किसी ने यहां एक शब्द अब तक नहीं कहा। इस देश में कृषि की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गोधन की उन्नति नहीं होगी। हमारा एक आदर्श रहा है। अभी भी है। आचार्य विनोबा भावे से आप पूछिये, वह भी यह बात कहेंगे । गांधी जी हमेशा कहते थे कि हर गांव को आत्मनिर्भर होना है। वह आत्म-निर्भर गांव क्या आप फर्टिलाइजर से बना सकते हैं, वह आत्म-निर्भर खेती

आप क्या ट्रैक्टर से बना सकते हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि आपको यदि इस देश की खेती की ठीक उन्नति करनी है, तो गोधन की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं कोई ४५ वर्ष पहले, तब से कह रहा हूं और बराबर कहता रहूंगा फिर चाहे इस में कितनी ही पुनरुक्ति क्यों न हो कि जब तक इस देश के गोधन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक देश की आर्थिक उन्नति की बात असम्भव बात है, असम्भव कल्पना है। आज भी आप देखें बम्बई और कलकत्ता के कसाई घरों में अच्छी से अच्छी गायों का वध हो रहा है, उनके जो खाने का सामान है वह थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए बाहर भेजा जा रहा है। किसी को चिन्ता नहीं है नस्ल सुधार की। हमें अच्छे सांड चाहियें हम बड़ी योजनायें बनाते हैं, ~~फिल्टेजिंग~~ इत्यादि की। हम सांडों को कितना तैयार कर रहे हैं, इसको देखा जाये।

जहां तक आर्थिक प्रश्नों का सवाल है, मैंने निवेदन किया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि यहां की मूल आर्थिक वस्तु है जिस की उन्नति होनी है। कृषि की उन्नति बिना गोधन के नहीं हो सकती। बीज तब पड़ता है जबकि पहले जमीन जोत ली जाती है, सिंचाई तब होती है जब बीज पड़ जाता है। लेकिन अगर जोतने का साधन ही न हो, बैल ही उपलब्ध न हों तो कैसे जमीन जोती जायेगी और कैसे हमारा उत्पादन बढ़ेगा ?

जहां तक बौद्धिक निर्माण का सम्बन्ध है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि उसका आधार भाषायें हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि यहां पर इतने भाषणों के बाद भी हिन्दी के सम्बन्ध में, भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या सब लोग इस बात को भूल गये कि बौद्धिक निर्माण के लिये भाषा की सब से अधिक आवश्यकता है। और हम क्या कर रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अभी अवसर ही कहने का नहीं प्राप्त हुआ।

डा० गोविन्द दास : हमने गत अप्रैल में एक विधेयक पास कर दिया कि सन् १९६५ के बाद भी अनिश्चित काल तक अंग्रेज़ी चलेगी। लेकिन उसके बाद हमने आज तक यह नहीं सोचा, गौर नहीं किया, कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं की उन्नति किस प्रकार होगी। मैं शुरू से कहता हूं कि जब खेर आयोग नियुक्त हुआ उस वक्त भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिये कोई योजना उस खेर आयोग के सामने सरकार ने नहीं रखी। उस वक्त खेर आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये जब संसदीय समिति नियुक्त हुई तो मैं भी उस का एक सदस्य था। उस वक्त भी सरकार ने कोई योजना नहीं रखी। सन् १९६५ के बाद अंग्रेजी चलाने का विधेयक पास करने के बाद आज तक सरकार ने कोई योजना नहीं रखी कि आखिरकार वह हिन्दी और भारतीय भाषाओं की उन्नति किस प्रकार करेगी। अभी उस दिन हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि वे तो उनके जीवन भर अंग्रेजी चलती रहे यह देखेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का एक विदेशी भाषा से हम को मोह क्यों हो गया है। अभी एक भाषण में उन्होंने परसों ही तकनीकी शिक्षा के

[डा० गोविन्द दास]

सम्बन्ध में कहा । तकनीकी शिक्षा के विषय में यह जो आयोग की रिपोर्ट निकली है उसमें लिखा गया है कि :

"तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम को पूरा करने में मुख्य कठिनाई शिक्षकों का अभाव है ।"

हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े वैज्ञानिक डा० कोठारी ने यह स्पष्ट कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है, कि इस देश में तकनीकी लोग पर्याप्त मात्रा में अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो इसका प्रधान कारण यह है कि उनको जो शिक्षा दी जाती है वह विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाती है जब तक विदेशी भाषा के माध्यम से हम तकनीकी लोगों को तैयार करने के लिये शिक्षा देंगे तब तक आपकी तकनीकी शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है, न ऊंचा हो सकता है । बार बार यह कहने के बाद भी, कि विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा करें, अभी हमारे शिक्षा मन्त्री ने कहा कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें हों तो ठीक है लेकिन वे उस समय की कल्पना नहीं कर सकते जिस समय हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को करेंगे कुछ दिन पहले कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें बनाया था, लेकिन क्या हुआ । उनको उसे बदलना पड़ा, इसलिये कि सरकारी नौकरियों के लिये जो परीक्षायें हैं उनका माध्यम अभी भी अंग्रेजी है । स्वर्गीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त और लाल बहादुर जी शास्त्री सरकार की इस नीति को घोषित कर चुके हैं कि वे सरकारी नौकरियों के लिये भाषा का माध्यम हिन्दी को वैकल्पिक रूप से रक्खेंगे । इस घोषणा को वर्षों हो गये लेकिन आज तक उसको कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया । जब इस प्रकार की उपेक्षा हम में भारतीय भाषाओं के प्रति है । तब आप कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा हो सकेगा ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाषाओं के प्रश्न को मैं सबसे बड़ा बुनियादी प्रश्न मानता हूं । बार बार यह कहा जाता है कि हमारे यहां साहित्य नहीं है । मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जो सरकार करोड़ों, अरबों रुपये आर्थिक योजनाओं पर खर्च कर रही है, वह साहित्य भी तैयार करवा सकती है । मैंने इसके लिये पहले एक सुझाव दिया है और आज फिर देना चाहता हूं कि यदि आप इसी प्रकार से साहित्य तैयार करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे जिस प्रकार से आप करते रहे हैं तो आपका साहित्य वर्षों में भी तैयार होने वाला नहीं है । हर विषय के साहित्य को तैयार करने के लिये विश्वविद्यालयों से विद्वानों को उधार लिया जाये । उनको उधार लेकर उनसे आप साहित्य तैयार करवाइये । अभी क्या होता है कि अपना काम करते हुए जो फाजिल वक्त मिलता है उसमें व साहित्य तैयार करते हैं । एक विषय भी ऐसा नहीं है जिस विषय पर एक विद्वान् अगर पूरा समय लगा कर काम करे तो उस विषय का एक ग्रन्थ एक वर्ष के भीतर तैयार न हो जाये । हिन्दी और दूसरी भाषाओं में साहित्य एक वर्ष के भीतर आप तैयार करवा सकते हैं आप इस प्रकार के विद्वानों को उधार लेकर और यहां बिठला कर, या जहां चाह बिठला कर, साहित्य तैयार करवायें । आप इसको बड़ी गौण चीज समझते हैं । भाषा के प्रश्न को आप बड़ा गौण मानते हैं । मैं इसको बौद्धिक निर्माण के लिये सबसे प्रधान बात मानता हूं । १५० या २०० वर्षों के अंग्रेजी राज्य के बाद भी यहां अंग्रेजी नहीं चल सकी, इतनी कोशिशों के उपरान्त भी यहां के ९८ प्रतिशत लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, केवल २ प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं । फिर भी आप अंग्रेजी को विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रखते हैं, अंग्रेजी को नौकरियों के लिये परीक्षाओं का माध्यम रखते हैं और हिन्दी और भारतीय भाषाओं के ऊपर कोई ध्याननहीं देते हैं, उनके उत्थान के लिये को

योजना नहीं बनाते हैं और इस तरह से बौद्धिक निर्माण करना चाहते हैं। यह प्रयत्न चन्द्रमा को छूने के प्रयत्न के सदृश है। इससे बौद्धिक निर्माण होने वाला नहीं है।

मैंने आप से कहा कि मैं इन दो बातों को, अर्थात् गो रक्षा और भाषा के प्रश्न को, स्वराज्य के बाद इस देश के लिये सबसे बड़े बुनियादी प्रश्न मानता हूं, और मुझे इस बात को देख कर बड़ा खेद होता है कि यहां अब तक इतने दिनों के भाषणों के बाद भी एक भी सदस्य ने इन दोनों बातों के लिये एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री बड़े : आज कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन है, आप उसे बदलते क्यों नहीं। उन्होंने ही यहां इंग्लिश शुरू की है।

डा० गोविन्द दास : अब मैं अपने राज्य के सम्बन्ध में संक्षेप से दो तीन बातें निवेदन करूंगा। मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिस समय मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था . . .

श्री त्यागी : क्या सबसे बड़ा राज्य है। हमारे प्रदेश से भी बड़ा है।

डा० गोविन्द दास : इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था उस समय बार बार यह बात कही गई थी कि उस पिछड़े हुए प्रदेश के ऊपर सबसे अधिक ध्यान दिया जायेगा। मैं आप से कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया गया है। हमारे यहां सबसे अधिक आवश्यकता यातायात के साननों की है। वहां पर यातायात के साधन बहुत कम हैं। सड़कों को कोले लीजिये, रेलों को ले लीजिये, किसी चीज को ले लीजिये, वहां आवागमन बहुत कठिन है। रायपुर से बस्तर तक जाने के लिये हमें २०० मील जाना पड़ता है। अनेक स्थान इसी प्रकार के हैं। इसलिये उस प्रदेश के यातायात के साधनों के सम्बन्ध में विशष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको देखना चाहिये कि वहां यातायात किस तरह से ठीक हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे प्रदेश में आदिवासियों और हरिजनों की काफी बड़ी संख्या है। आदिवासियों और हरिजनों का उत्थान करने का गवर्नमेंट ने बीड़ा उठाया है। हमारे प्रदेश में इसे करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि वहां इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिये उतना पर्याप्त नहीं हो रहा है। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं अपने प्रदेश के लिये तीन चोजे सबसे अधिक आवश्यक मानता हूं। यातायात के साधनों का बाहुल्य, आदिवासियों और हरिजनों के उत्थोन का प्रयत्न और तीसरी चीज नर्मदा घाटी योजना। इस नदी घाटी योजना के सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही थी। यह इतनी बड़ी योजना है कि अगर इसको आप केवल मध्यप्रदेश और गुजरात के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार हर दृष्टि से इस प्रदेश के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जायेगा।

यह जो पुस्तिका निकली है मैं तो इसका स्वागत ही करता हूं, इसलिये कि कम से कम हमको बीच में मालूम तो हुआ कि हमारी इस योजना की प्रगति किस प्रकार चल रही है। यह चाहे जितनी निराशाजनक क्यों न हो, लेकिन बीच-बीच में, समय समय पर, बिना पांच वर्ष तक ठहरे हुए इस पर विचार होना चाहिये।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : इसके दो तीन वर्ष भी नहीं रहे, दो वर्ष रह गये हैं।

डा० गोविन्द दास : जैसा अभी पूज्य अण्णे साहब ने कहा, अब तो केवल दो वर्ष रह गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट प्रतिवर्ष निकला करे और हम उस पर विचार करे।

अन्त में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि देश की सुरक्षा देश के निर्माण या जो इस तरह के प्रश्न हैं, उन सबके लिये हमें भिन्न भिन्न दलों में रहते हुए भी एकता से प्रयत्न करने चाहियें।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन): तृतीय योजना का मध्यकालीन मूल्यांकन भविष्य में देश के विकास की निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। पिछले दो सालों में राष्ट्रीय आय में केवल पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मूल्य देशनांक ७ प्रतिशत बढ़े हैं। यदि यह भी मान लिया जाये कि जनसाधारण भी राष्ट्रीय आय में समान भागी हैं तो उसे कुछ हानि ही हुई है। संकटकाल के नाम पर छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल के आयात की सुविधायें नहीं दी गईं। उनमें से अधिकांश अब बन्द पड़ी हैं जिसके कारण उनमें काम करने वालों को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत बड़ी राशियां खर्च कर रहा है परन्तु विभिन्न विश्वविद्यालयों को सहायता देने में पक्षपात किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिकांश महत्वपूर्ण उद्योग लक्ष्य पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसा विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हुआ है। यह भी सच है कि उद्योगपति जानबूझ कर ऐसा करते हैं ताकि उन्हें अधिक मुनाफा हो।

यह धारणा कि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में लगभग ५० लाख लोगों को रोजगार पर लगाया गया है, गलत है। विभिन्न कारणों से बन्द हुए कारखानों के श्रमिकों को इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सब विभागों के बारे में आंकड़े पहले से ही गढ़ लिये जाते हैं।

मल्यांकन प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि उर्वरक के इस्तेमाल, सिंचाई सुविधाओं तथा सिंचाई किये गये क्षेत्र के सम्बन्ध में लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। खाद्यान्नों के उत्पादन में ३० से ५० लाख टन की कमी होगी। कपास तथा तिलहन के उत्पादन में भी कमी होगी। प्रतिवेदन में इसका भी उल्लेख है कि पटसन, चीनी, रबड़, कॉफी, तम्बाकू तथा चाय के उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो जायेंगे। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि चाय के उत्पादन का लक्ष्य बहुत अधिक रखा गया है। चाय उद्योग ने इस बारे में आपत्ति भी की थी तथा पिछले ढाई वर्षों में इसके उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है। इस बात का संकेत कोई नहीं है कि अगले २॥ वर्ष में चाय का उत्पादन बढ़ जायेगा। फिर भी योजना आयोग का कहना है कि चाय उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। यही हालत गन्ने तथा अन्य कृषि उत्पादन की है। उत्पादन नीचे गया है और निरन्तर नीचे जायेगा और यह कमी शीघ्र ही पूरी नहीं होगी। ७२.६ प्रतिशत खर्चा छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च हुआ है उससे कोई लाभ नहीं हुआ। लगभग १२५.४ करोड़ रुपये नष्ट ही हुए हैं। राज्य सरकारों के ध्यान और और योजनाओं की ओर गये, परन्तु सिंचाई की उपेक्षा कर दी गयी। मैं इस बात से सहमत नहीं कि सरकारी क्षेत्र में से भारी उद्योगों के उपक्रमों को हटा लेना चाहिए और उसके अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम चलाना चाहिए। राज्य सरकारों के अपने हित हैं और उनके लिए कई बार राष्ट्र और देश के हितों की उपेक्षा कर दी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

इस संदर्भ में मेरा यह भी निवदन है कि रोजगार क्षमता और उसकी सम्भावनाओं का जो अनमान लगाया गया था वह भी बहुत अधिक था। १४० लाख नौकरियों की बात की गयी थी। परन्तु ३२ लाख नौकरियों की व्यवस्था हुई। यह आंकड़े की जादूगरी थी जिससे संदन और देश को धोखा देने का प्रयत्न किया जाता रहा है। इस वृद्धि के भी अन्य बहुत से कारण हैं। परन्तु अब तो हालत बहुत खराब हो गई है और इस बात की कोई आशा नहीं कि आने वाले २½ वर्षों में रोजगार क्षमंता में किसी भी प्रकार की वृद्धि होगी। जून १६६३ में ७.८ लाख शिक्षित बेकार थे। यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है। बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। न तो सरकार जन-संख्या की वृद्धि पर ही नियन्त्रण रख पा रही है और न ही जीवन व्यय की वृद्धि को ही रोका जा सका है।

कुल योजना के लिए ७५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विदेशों तथा अन्य साधनों से जो ऋण इत्यादि प्राप्त किये गये हैं, उन पर ब्याज की राशि भी बढ़ रही है। प्रत्येक सरकारी उपक्रम में व्यय कम किया जाना चाहिये। ऐसा कोई व्यर्थ का व्यय नहीं किया जाना चाहिये जिससे कि देश के विकास की गाड़ी रुकने की सम्भावना हो। भारी ऋणों के दबाव से देश का जन साधारण कुचला जायेगा। इससे जनसाधारण का जीवन बहुत ही कंटकाकीर्ण हो जायेगा। कर तो बहुत देने होंगे, परन्तु बदले में सुविधायें बहुत कम प्राप्त होंगी।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी विभागों में तथा कई एक दफ्तरों में परस्पर सहयोग और समन्वय बहुत कम है। उसकी ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिये। यह भी शिकायत है कि वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। सरकार लोगों को त्याग करने के लिए तो कहती है परन्तु उन की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देती। लोग तो सब प्रकार से आपात का मुकाबला करने को तैयार हैं, परन्तु सरकार की ओर से अपने उत्तर-दायित्व को नहीं निभाया जा रहा। यहां तक कि समस्या पर गम्भीरता से विचार भी नहीं किया जाता।

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार ने ऐसा मसविदा तैयार किया है जो उनके लिए प्रशंसात्मक नहीं है। यह स्वस्थ प्रजातंत्र की स्थापना के मार्ग में एक कदम है। इसलिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

तीसरी योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो कमी दिखाई दे रही है उस से मैं जरा भी भयभीत नहीं हूं। वास्तव में मेरा भी ऐसा ही अनुमान था। अर्थ व्यवस्था के निर्माण का आरम्भ का काल काफ़ी लम्बा होगा। सरकार की गलतियों की आलोचना करना भी उचित ही है।

अन्य राष्ट्रों के विकास की प्रक्रिया का भी हमें अध्ययन करना चाहिये। उससे हमें यह प्रतीत होगा कि देश में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का कार्य आरम्भ में बहुत धीमी गति से हुआ किन्तु बाद को इसमें तेजी आ गई। इसलिए हमें धैर्य के साथ योजनायें चलानी हैं। पहले दस, पन्द्रह अथवा बीस वर्षों के लिए ही एक प्रजातंत्रीय देश को धैर्यवान और होना चाहिये और उसमें सिद्धान्तों पर दृढ़ता से अड़े रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिये। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद ही हम ने योजना का मार्ग निश्चित किया है। इसलिए यदि कहीं असफलता का सामना करना पड़ जाये तो हमें योजना का विचार नहीं त्याग देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री के० दे० मालवीय]

पहली योजना में राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि आशा १२ प्रतिशत की थी। दूसरी योजना में २५ प्रतिशत के अनुमान के विरुद्ध २० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इस कमी के कई कारण थे। विदेशों से सहयोग प्राप्त करने में देर हुई। सरकार की आलोचना चाहे कोई भी करे उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आरम्भिक काल जबकि अर्थ व्यवस्था की नींव जमती है दस या अधिक वर्ष का होगा। इसे कम नहीं किया जा सकता।

हम ने समाजवाद का ध्येय अपने सामने रखा है और उसी के प्रकाश में योजनायें बनाई हैं। कभी कभी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा आन्तरिक कारणों से हम इस ध्येय से विचलित हो जाते हैं। यदि समाजवादी तरीकों द्वारा आर्थिक विकास के विचार को ठीक प्रकार समझा जाये तो विलम्ब १०-१५ वर्ष का ही नहीं ५०--६० अथवा १०० वर्ष का भी हो सकता है।

गत दस वर्षों में कच्चे माल की कीमतें, जिसके बदले में हम बाहर से तैयार वस्तुएं मंगाते थे लगातार गिर रही हैं। कच्चे माल का गिरी हुई कीमत पर निर्यात करने में हमें उससे अधिक हानि उठानी पड़ी है जितनी हमें बाहर से सहायता मिली है। मैं चाहता हूं कि योजना आयोग इस मामले का गहरा अध्ययन करे।

मूल्यों का निर्माण कैसे हुआ, यह बात अध्ययन करने योग्य है। मैंगानीज को ही ले लीजिए। यह तो हमारे पास काफी है। इसके मूल्य इसलिए बढ़े हैं कि मंजूरी, परिवहन तथा अयस्क इत्यादि के भाव बढ़ गये हैं। व्यय भी बढ़ गया है, अतः अपने बस की बात रही नहीं है। इस पर भी मैंगानीज की कीमतों में कमी हुई है। लोह अयस्क के दाम भी कम हुए हैं। ८२ शिलिंग से गिर कर ६८ शिलिंग हो गये थे। इस का अर्थ यह है कि जो भी हम निर्यात कर रहे हैं, उसमें हानि उठा रहे हैं। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि विदेशों से जो कच्चा माल हम मंगाते हैं, वह हमें उस साल से महंगा पड़ता है। और इस के विपरीत जो माल हम जो माल विदेशों को बेच रहे हैं वह निरन्तर सस्ता होता जा रहा है। अब आप देखिये गन्धक का मूल्य बढ़ गया है। इस का कारण यह है कि हम ऐसी प्रणाली के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जहां हम कुछ वस्तुओं का पूंजी वस्तुओं से वस्तु विनिमय कर रहे हैं। जहां वे कुछ लाभ पर जोर दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास विदेशी विनिमय नहीं है। यह भी मांग और सम्भरण का प्रश्न बन जाता है।

हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि व्यापार के सिद्धान्तों के अनुसार हम अपने सम्पर्क बनायें। पूर्ति और मांग के नियमों के अनुसार ही हमें करना होगा। हमें प्रयत्न कर के अपने व्यापार सम्बन्धों को इस ढंग से संगठित करना है कि वस्तु-विनिमय का निर्माण इस तरह से हो कि वर्तमान प्रणाली से उसका कोई सम्बन्ध ही न रहे। इस प्रणाली के अन्तर्गत तो हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा। यद्यपि इस हानि को बाध्य हो कर हम सहन कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की व्यवस्था भी करनी होगी और वातावरण भी निर्माण करना होगा ताकि हम जो भी व्यापार करें उस से हमें कुछ लाभ हो। तेल उद्योग में भी हमें इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि इस के व्यापार से लाभ हो सके। इस बारे में मेरा अनुरोध यह है कि योजना आयोग को इस बात पर गंभीरता-पूर्वक विचार करना है कि किस तरह से हमारे व्यापार सम्बन्धों का पूर्व और पश्चिम के देशों से समन्वय हो सकता है। हमें किसी प्रकार के क्षेत्रों तथा व्यापार नमूनों की स्थापना करनी चाहिए, और यह देखना चाहिये कि वह हमारे अधिक से अधिक अनुकूल हो।

अब मैं इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं जिस के बारे में सर्वत्र चिन्ता व्यक्त की जा रही है । मेरा मतलब कृषि उत्पादन से है । जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन यह है कि जब तक किसान को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । फसल को बोते समय उन मूल्यों के सम्बन्ध में गारंटी दी जानी चाहिए । इस के अतिरिक्त उन्हें राज्यों में मुद्रास्फीति के भय के बिना सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहियें । अधिक अन्न उपजाओ की दृष्टि से सरकार को सभी छोटे किसानों को अन्न उपजाने के लिए अपेक्षित ऋण प्राप्त होने चाहियें । इस बारे में मेरा यह भी मत है कि सरकार अनाज का थोक व्यापार बिना किसी संकोच के आरम्भ कर दे ।

कृषि उत्पादन के लिए हमें सब कुछ करना है । आज देश में एक लाख किसान हैं जिनके पास २०० लाख एकड़ भूमि है । क्या योजना आयोग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि यह एक लाख किसान कितना अनाज पैदा कर रहे हैं । उन्हें कहा जाय कि वे २० लाख टन अनाज सरकार की सहायता के बिना पैदा करें। ऐसे लोग हैं जिनके पास ७००, १०००, २५०० एकड़ भूमि है । मेरे एक मित्र के पास २७०० एकड़ भूमि है । यह सब गलत है । हमारी योजनाओं में से समाजवाद की झलक दिखाई देनी चाहिए और इस क्षेत्र में सारा काम "करो या मरो" की भावना से होना चाहिए ।

इस बारे में आपको अपनी प्रशासनिक सेवाओं की ओर भी ध्यान देना होगा । इन सेवाओं के सारे ढांचे का संगठन पुनः किया जाना चाहिये ताकि इन लोगों में योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्साह पैदा हो । यदि मंत्री महोदय ही अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे तो बाकी सरकार का ढांचा क्या करेगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आगे आ जाइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब आगे बढ़ाओगे उस दिन आऊंगा, यहां अच्छा है । अध्यक्ष महोदय, इस योजना को देशहीन, दिशाहीन, मूर्ख विद्वानों ने बनाया है, और इस पर अमल करते हैं भ्रष्ट योगी ।

एक माननीय सदस्य : मूर्ख विद्वान् कैसे हो सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : विद्वान् मूर्ख हैं इस का सबूत यह किताब है जो पौने दो सौ सफे की है और आसानी से चालीस, पचास सफहों में लिखी जा सकती थी, अगर इस में फुजूल और निरर्थक शब्द न होते, जो शायद इस कारण से हैं कि अंग्रेजों की नकल अभी आप लोग अच्छी तरह करना नहीं जानते । एक अध्याय है .

श्री के० दे० मालवीय : सभापति महोदय, मूर्ख वक्ताओं की परिभाषा भी हो जाये तो अच्छा है जिस में फैसला हो जाय ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उस के लिए पहले सबूत मिल चुका है इस सदन में, और उस के बाद मैं जरा इस सदन को कुछ पहचान दे रहा हूं कि मूर्ख वक्ता का उल्टा क्या हुआ करता है ।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

इस में एक अध्याय आर्थिक पृष्ठभूमि का ऐसा है जो कि दस सफे का है और आसानी से डेढ़ सफे में लिखा जा सकता था । निरर्थक कारण, निरर्थक नुस्खे, निरर्थक लफ्फाजी और दिशाहीन इसलिये है कि जैसे लट्टू चक्कर खाता रहता है और कोई रास्ता नहीं निकाल पाता या जैसे भूल-भुलैया होती है, यह कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही है और देशहीन इसलिये कि रूस और अमरीका की पद्धतियों के चक्कर में यह लोग फंस जाते हैं और अपने देश की कम सोचते हैं तथा उन की ज्यादा सोचते हैं । इस के अलावा जो हमारे हिन्दुस्तान की पैदावार की नींव है उस के ऊपर यह लोग अमरीका और रूस की खपत की इमारत की रचना करना चाहते हैं । जहां तक भ्रष्ट योगी का सवाल है, अगर मंत्री जी महाराज सुनते जायें तो सरकारी पार्टी के सब से बड़े सदर साहब के घर में दो लाख रुपये की दरियां और कालीन बिछाये गये हैं, और वह भी हिन्दुस्तान का पैसा खर्च कर के । यह सब योजना में आता है क्योंकि वह दो लाख रुपये किसी कारखाने में लगाये गये होते । फिर खाली यही दो लाख नहीं, इसकी नकल करते हुए न जाने कितने खर्च किये जाते हैं । दो अरब, दो खरब, रुपयों का नुक्सान इस तरह से होता है ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : यह कालीन तीसरी योजना आरम्भ होने से पूर्व ही खरीद लिए होंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर मिड टर्म की बात हनुमन्तैया साहब जानना चाहते हैं तो उन के नेता महाराज अभी कुछ ही दिन हुए रांची गए थे और वहां एक दिन में पांच लाख रुपये खर्च कर के वह आये हैं ।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, वह गलत है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : गलत कहते हैं तो दो लाख पये कह लीजिए, तीन लाख रुपये कह लीजिए, लेकिन इस से कम पर आप नहीं आ सकेंगे ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य योजना की बात ही करें । अन्य बात न कहें और सदस्य भी कुछ कहने न लगें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे रोक से कोई चिंता नहीं है, यह समय उन के लिये गिन लीजियेगा । मेरे जो तर्क हैं वे बुनियादी हैं क्योंकि उन के बिना मैं कोई चीज आगे नहीं ले सकता ।

मैं खपत के बारे में कह रहा था कि खपत की इमारत तो है रूस और अमरीका की और पैदावार की नींव है हिन्दुस्तान की । इस से बड़ा और कोई तर्क हो नहीं सकता है जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है ।

फिर इस योजना की रपट के बारे में ईमानदारी का जिक्र किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस में सिंचाई के अंक देखें तो पहले और दूसरे वर्ष के तो जो अंक हैं वे दे दिये गये हैं और तीसरे वर्ष के केवल उद्दिष्ट दे दिये गए हैं । नतीजा यह होता है कि बड़ी और मध्यम सिंचाई के बारे में पहले और दूसरे वर्ष में मुश्किल से आती है १२ लाख एकड़ जमीन जिस पर सिंचाई होगी

†मूल अंग्रेजी में

और जो तीसरी वर्ष के लिये उद्देश्य बतलाया है वह २५ लाख एकड़ है। नतीजा यह होता है कि सैकड़ा निकल आता है ३५। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उन्हीं को लिया जाय जो कि हो चुकी हैं इस योजना की अवधि में तो सैंकड़ा मुश्किल से २७ आयेगा। इसी तरह से छोटी सिंचाई के बारे में भी आंकड़े कम हो जायेंगे। तो मेरा यह कहना है कि यह रपट ईमानदारी से नहीं लिखी गई है।

एक प्रमाण मैं और दिए देता हूं। मशीनी औजारों के मामले में कहीं भी पदार्थों के अंक नहीं हैं, खाली रुपयों के हैं। जैसे चीनी मिलें हैं इतने पयों की, मशीनरी औजार हैं तने रुपयों के। लेकिन उन की क्या क्षमता है, इस का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन न सब चीजों को और आगे चलाने के पहले मैं कुछ सर्वमान्य चीजें कहना चाहता हूं, जिस पर सरकारी लोगों को भी कोई एतराज न ीं होना चाहिये। उन में से एक है सफाई के बारे में। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस योजना के करने वाले लोग, लिखने वाले लोग सारा इन्तजाम चलाने वाले और सारे सरकार के दफ्तर के लोग आदी हो गए हैं कि अपने दोष की सफाई दे दिया क , दोष को दूर करने का तरीका कोई नहीं निकालता। नतीजा यह होता है कि उन की जितनी भी फाइलें आप देख लें, उन के हाशिये में लिखा रहता है कि मेरा ोष नहीं था, किसी और का दोष था। हमेशा लिखा रहता है कि दोष उस का था, मेरा नहीं था। इस का नमूना भी इस सदन में हम देख चुके हैं। जिस दिन गुड़ वाला मामला उठा तो ब्रह्म प्रकाश जी ने कह दिया कि मेरा दोष नहीं था, रेलवे मंत्रालय का दोष था, उन्होंने लोगों से घूस ले लिया। रेलवे मंत्रालय वाले चाहते तो कह सकते थे कि स में हमारा दोष नहीं है, जो प्रधान मंत्री हैं वह इतनी ज्यादा विलासिता और फैशन का युग चला रहे हैं कि हम क्या क । तो दोष टाल देने का तरीका चलता रहता है। मैं सब से पहली सिफारिश करूंगा कि दोष को टालो मत, उस को ढूढ़ो, उस को दूर क ो, और उस को दूर करने में अगर दोषी को सजा देनी पड़े तो दो, लेकिन वह दूसरे दर्जे की बात है।

इसी तरह से मैं लक्ष्य के बारे में कहना चाहता हूं। इस में सब से अव्वल चीज़ है खर्च, दूसरी चीज़ है चीजें और तीसरी चीज़ है मनुष्य। खर्च के बारे में मुझे यह कहना है कि जब आप रकम देते हैं कि इतना खर्च होगा, फलां मद में होगा तो साल के आखीर में, मार्च या अप्रैल में जब वह समय नजदीक आने लगता है तो हर एक महकमा सोचने लगता है कि जल्दी से इस में से को खर्च करो, और फजूलखर्ची अपने आप हो जाती है। तो खर्चे का लक्ष्य न रख के चीजों का लक्ष्य ज्यादा रखना चाहिये, और सब से ज्यादा लक्ष्य रखना चाहिये मनुष्य का जिस को कि यह सरकार बिल्कुल भुला बैठी है। हिन्दुस्तान में मनुष्य की मसलियां पिघल चुकी हैं। यहां का मनुष्य मेहनत नहीं कर सकता, फावड़ा नहीं चला सकता, मिट्टी नहीं काट सकता, बन्दूक की बात तो छोड़ दीजिए। मुझे पता चला है कि बीस आदमियों में से खाली एक आदमी बन्दूक को यों तान सकता है, बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते। खैर मुझे बन्दूक से तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है। वही बात फावड़े पर भी लागू होती है। तो हिन्दुस्तान का मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। तो आप ऐसी योजना बनाइए कि जो उस मनुष्य को मेहनत के लायक बनाए।

अब मैं दिशा की बात कहना चाहता हूं। दिशा अगर इस योजना में लागू की गयी तो क्या करना ोगा ? मिसाल के लिये खेती है। बहुत लम्बा चौड़ा किस्सा है खेती का। यह ठीक है कि कोशिश करनी चाहिये खेती को सुधारने की। लेकिन उस सुधार में भी एक योजना में किसी एक चीज़ को पकड़ लेना चाहिये कि उसको तो हम हर हालत में हासिल कर ही लेंगे। जैसे खेती के मामले में लिखा है कि हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे, नदी से जो मिट्टी कटती है उसका, और जो जलमग्न जमीन है उसको खेती योग्य बनायेंगे। तो जहां तक सर्वांगीण सुधार करने की बात है, वह जरूर करो, लेकिन साथ में एक खास दिशा ले लो कि हिन्दुस्तान में जितनी भी जलमग्न जमीन है उसको

[डा० राम मनोहर लोहिया]

हम ठीक करके खेती योग्य बनायेंगे चाहे वह तीन करोड़ एकड़ हो या चार करोड़ एकड़ हो। उसके लिए यह निश्चय कर लो कि उसको हम ठीक करके छोड़ेंगे।

इसी तरह से शिक्षा के बारे में मैं दूसरी मिसाल देता हूं। शिक्षा को लेकर सर्वांगीण परिवर्तन समें है। ीक है उनको रखें। लेकिन एक योजना में एक चीज ले लो कि हम हिन्दुस्तान को इस योजना के अन्दर पूरी तरह साक्षर बनायेंगे और ऐसा करके छोड़ेंगे कि इस योजना में हर आदमी साक्षर हो जाय। तो इस तरह से साक्षरता की दिशा ले लो।

सी तरह से एक और दिशा ले सकते हो स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में सर्वांगीण सुधार करो। लेकिन एक चीज ले लो कि हम इस योजना में हिन्दुस्तान के गावों में और शहरों में भी पीने के साफ पानी की नल द्वारा व्यवस्था कर देंगे।

तो मैंने कहा कि सर्वांगीण चीजों के अन्तर्गत किसी एक बीज को पकड़ कर उसे हासिल करने की कोशिश करो।

अब इस योजना में खर्च ज्यादा है और आमदनी है कम। करीब करीब हर मुहकमें में मैं यह बात पाता हूं। इस समय मैं केवल उद्योग और खान को लेता हूं। इसमें निर्माण के लिये सन् १६६०-६१ में थोड़ा सा अन्दाजा दिया गया था कि समें निर्माण पर ४ अरब और ५० करोड़ पया खर्च होगा। लेकिन वह बढ़ कर ६ अरब ६० करोड़ हो गया। कोई पौने दो गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से पूरी योजना में १८ अरब से २३ अरब हो जाएगा। तो खाली उद्योग और खान में ५ अरब का खर्चा निर्माण में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? मैं बतलाता हूं कि कैसे बढ़ गया। बरौनी में तेल शोधन कारखाना बनाया गया, उसके लिये जो जमीन ली गयी वह इतनी नीची थी कि उसमें बरसात का पानी भर जाता था और इसके लिये कोशिश की गयी कि करोड़ों रुपये खर्च करके उस को पाट दिया जाय।

इसी तरह से आप ट्राम्बे को लें। वहां उरबरक का कारखाना बनाया गया इसलिये कि वहां तेल शोधक कारखाने की गैस आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वहां जमीन का दाम ज्यादा देना पड़ा। गैस तो सस्ती जमीन में भी पाइप द्वारा मिल सकती थी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सरकार का पैसा है इसलिये उसको बेरहमी से खर्च किया जाता है। उसको चाहे जितना खर्च करते चले जाओ।

इसी तरह से मैं आमदनी के बारे में कहना चाहता हूं। इस योजना में सरकारी धन्धों से साढ़े चार अरब का मुनाफा दिखाया गया है। मैंने यह अन्दाजा लगाने की कोशिश की कि सरकारी उद्योगों में कुल कितना पैसा लगा है। जब से यह सरकार आयी है उससे पहले भी कुछ सरकारी उद्योग थे। ो मैं कुछ अन्दाजा लगाना चाहता था कि इन पर कुल कितना रुपया लगा है ताकि यह मालूम किया जा सके कि कितने रुपये पर इतना मुनाफा आता है। लेकिन मैं इसका पता नहीं लगा पाया। पता नहीं यह चीज इस में हैं भी या नहीं और होगी भी तो इस ढंग से जैसे जंगल में सुई, जिसको ढूंढ़ा न जा सके। लेकिन इस मुनाफे को साढ़े चार अरब बताया गया है। मैं समझता हूं कि इसको आसानी से दस अरब तक पहुंचाया जा सकता है। जो खर्चा बताया जाता है उसमें चार पांच अरब की बचत हो सकती है और जहां मुनाफा बताया गया है वहां चार पांच अरब की बढ़ती हो सकती है। स प्रकार केवल उद्योग धन्धों और खान में इस योजना में दस अरब की मुनाफे से और बचत से बढ़ती हो सकती है।

और जहां तक पूरी योजना का सवाल है जो कि एक खरब रुपए वाली है, मैं ठीक अन्दाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि ३० या ४० अरब रुपया इस योजना में फिजूली और फिजूलखर्ची में चला जाता है। आप समझें कि एक तो फिजूली है और एक फिजूलखर्ची है। फिजूल तो वह जैसे मैंने बरौनी के तेल शोधक कारखाने के बारे में बतलाया और फिजूलखर्ची यह कि अय्याशी, ठाठ बाट, शान शौकत और यूरोप की नकल।

और इसी तरह आप पूरा खर्चा लें जो कि कुल खर्चा सरकार का है एक खरब इस योजना का होगा। ढाई खरब का खर्च है पांच साल में। मेरा ख्याल है कि इस ढाई खरब में से एक खरब रुपया फिजूली और फिजूल खर्ची में चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें बड़ी दृष्टि रखें। छोटे छोटे मामलों में न फंस जाएं। अगर हम कोई छोटी मोटी चीज निकाल लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमको बड़ी दृष्टि लेनी चाहिए।

औरों से तो मैं क्या कहूं, मैं उनके सरदार से कहना चाहता हूं जो कि यहां बैठते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक मेरी यह बात पहुंचा दी जाए। वह औसत उम्र की डींग अक्सर मारते हैं कि हिन्दुस्तान की औसत आयु ४० या ४२ साल हो गयी है। मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह के आंकड़े बिल्कुल गलत हुआ करते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान में बच्चों की मौत में कुछ फर्क आया है इसलिए औसत उम्र में बढ़ाव हो गया है, यह नहीं है कि मालवीय जी की तरह लोगों की उम्र ज्यादा होने लगी हो।

इसी तरह से यहां जिक्र कर दिया जाता है बाइसिकलों का या रेडियो का। हमको अपने सामने योजना के मामले में तीन कसौटियां रखनी चाहिए। एक कसौटी तो यह हो कि हमने कितनी तरक्की की है भूत के मुकाबले में, दूसरी कि हमने अपने पड़ौसियों,और दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में कितनी तरक्की या तनज्जुली की है और तीसरी यह कि हमारी आशाएं क्या हैं।

तो मैं कह देना चाहता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी—पढ़ा लिखा मैं विश्वविद्यालय के हिसाब से नहीं कहता उन लोगों की तुलना में कहता हूं जो कि बाइसिकिल या रेडियो का जिक्र कर दिया करते हैं—यह मान लेना कि भूत की तुलना में हम थोड़ा सा आगे चाहे रेंगे होंगे, लेकिन पड़ौसियों और दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में हमारी तरक्की बहुत कम हुई है। और उसके साथ साथ जो हमारी आशाएं थीं उनको देखते हुए तो हम इन १५ बरसों में पीछे ही गए हैं आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चीन जो था १५ बरस पहले उसकी तुलना में वह आज बहुत आगे बढ़ा है। और चीन को तो छोड़ दो। एक मामूली सा देश घाना बहुत आगे बढ़ा है। हम जरा सा रेंग कर आगे बढ़े जरूर हैं लेकिन और देशों के मुकाबले में हम पीछे हट गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बड़ी दृष्टि रखनी होगी।

और इसी बड़ी दृष्टि को मैं सदन के सामने रखना चाहता था जबकि मैं ने कहा था कि २७ करोड़ आदमी इस देश में ऐसे हैं जो रोजाना तीन आना रोज पर जिन्दगी काटते हैं। यह अंक ऐसा है कि जिस पर किसी को बहस करने की गुंजाइश नहीं रह गयी है। उस समय नन्दा जी इस पर बहुत ताव से बोले थे, आज भी हम लोग उनका ताव से बोलना सुन चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की थी कि वह गैर खेतिहर धंधों की आमदनी की गिनती दो बार कर गए। उन्होंने १५०० करोड़ का फर्क बताया था। तो इस तरह की गलती उन्होंने उस वक्त की थी, लेकिन इस समय में उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने जो कहा कि इस देश में २७ करोड़ आदमी रोजाना तीन आने पर जिन्दगी बसर करते हैं, उसमें मेरा उद्देश्य सरकार का नंगा चित्र आपके और

[श्री राम मनोहर लोहिया]

हिन्दुस्तान के सामने रखने का था। लेकिन मेरा खाली यही इरादा नहीं था। मैं चाहता था कि जहां मैं रोग को दिखाऊं वहीं रोग का इलाज भी दिखा दूं। रोग के दरस में इलाज का परस शामिल था। रोग क्या है? रोग यह है कि २७ करोड़ आदमी तीन आने रोज पर जिन्दगी काटते हैं, साढ़े १६ करोड़ आदमी एक रुपया रोज पर जिन्दगी काटते हैं। मैं यह औसत बता रहा हूं, और ५० लाख आदमी ३३ रुपए रोज खर्च करते हैं। तो जब यह रोग है तो बिल्कुल साफ है कि इसका इलाज क्या हो सकता है। जो लोग ३३ रुपया रोजाना खर्च करते हैं उनको—मैं यह नहीं कहता कि उनको तीन आने रोज पर ले आया जाए—१५ या १६ रुपए रोज पर ले आया जाए, तो आसानी से आमदनी में २५ अरब रुपया और सरकार के करों के आंकड़ों के हिसाब से १५ अरब रुपया बच जाएगा जो एक पंचवर्षीय योजना में ७५ अरब से लेकर एक खरब तक पहुंच जाएगा और उससे योजना ठीक ठाक चल सकेगी।

यह रोग और इलाज मैंने पहले भी सदन के सामने रखा था और आज फिर रखा है। जब तक यह इलाज नहीं किया जाएगा समस्या हल नहीं हो सकती। हमने जो हिन्दुस्तान में अमरीका, रूस और यूरोप के ढंग पर ढांचा बिठा रखा है, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक योजना किसी तरह पूरी हो ही नहीं सकती। खाली यह कह देना कि यह सरकारी योजना है और सरकारी धन्धों और करोड़ पतियों के धन्धों का जो झगड़ा उसको बता देना काफी नहीं है, क्योंकि ये दोनों धंधे एक ही ढंग पर चलते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही उनका ढंग है, एक से ही मैनेजर और तनख्वाहें हैं और एक सा ही रहन सहन का ढंग है। इसलिए उनकी तुलना करने से कोई मतलब नहीं निकल पाता हमें इसमें फर्क करना चाहिए और यह तभी हो सकेगा जब हम इस बुनियादी बात को पकड़ेंगे कि जो पचास लाख आदमी ३३ रुपया रोज खर्च करते हैं उनको १५ या १६ रुपए पर लाया जाए। इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे वे तिलमिला जायेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इनमें भी बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं। इतनी सीढ़ियां हैं, एक दो सीढ़ी नहीं। दो तीन सीढ़ी होतीं तो अब तक मामला ठीक हो गया होता। ग़रीबी में भी लाखों सीढ़ियां हैं और अमीरी में लाखों सीढ़ियां हैं, अगर लाखों नहीं तो हजारों सीढ़ियां तो जरुर हैं। इन सीढ़ियों के सबब से कोई भी समाज की पुनर्रचना मुश्किल हो गयी है। जो बुनियादी खराबी है हमारी आर्थिक व्यवस्था की है वह इस योजना में भी आ जाती है। और वह यह कि हमारी उपज, पैदावार तो है मध्यकालीन, हमारे किसान वही हल चलाते हैं जो कि १५०० वर्ष पहले चलाते थे। एक, आध जगह कहीं ट्रैक्टर्स आ गये हों तो मैं कहता नहीं लेकिन आम तौर पर हमारे वही पुराने साधन अभी तक चले आ रहे हैं। वही पुराने करघे चले आ रहे हैं जो कि दो हजार वर्ष पहले या हजार वर्ष पहले चलते थे। यह सही है कि कुछ मिलें भी आ गयी हैं लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी उपज और पैदावार की नींव तो मध्यकालीन है और उसके ऊपर खपत की जो इमारत हमने खड़ी की है वह है आधुनिक, आधुनिक भी नहीं आधुनिकतम। अब बिल्कुल अमरीका और रूस की नक़ल करने वाली कब तक यह भारी इमारत जोकि अमरीका व रूस की खपत वाली है वह हमारी इस नींव पर रह सकेगी? यह पंचवर्षीय योजना जो अभी आपके सामने आई है यह साबित करती है कि यह मामला ज्यादा चल नहीं सकता है . .

सभापति महोदय : तीन मिनट और।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उसमें समाप्त करने की कोशिश करूंगा लेकिन सभापति महोदय, अभी तो आधी बात भी नहीं कह पाया हूं। बहुत जल्द जल्द अपनी बातों को कहे देता हूं। मैं ज्यादा वक्त न लेकर खाली एक, एक तर्क दे रहा हूं और मैं शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा।

जनता सरकार के अभिमुख है उसी तरीक़े पर से सरकारी अफसर अभिमुख है । मेरा यह कहना है कि हिन्दुस्तान के ५००० बड़े अफ़सरों के लिए ही एक लाख सरकारी नौकर रक्खे गये हैं । सरकारी नौकरों की कुल तादाद एक करोड़ है । अगर इस तरीक़े से देखा जाय तो बड़े लोगों की सिर्फ सेवा सुश्रुषा, ठाठ बाट और शानशौक़त के लिए सरकार का एक बड़ा भारी अमला चलता रहता है । आख़िर को उसका बोझा इस सरकार की खच की योजना पर पड़ता है । फिर इस योजना के बनाने वालों के दिमाग़ में एक धारणा यह रही है कि अगर हम आर्थिक ढंग से देश को बदल देंगे तो बाक़ी सब चीज़ें अपने आप बदल जायेंगी, यह चीज़ बड़ी गलत है । इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी समस्या पिछले १५ वर्ष में हल नहीं हो पाई ।

एक और विचित्र तरह की कैंची हर समस्या पर चल गयी । उसको मैं कांग्रेस कैंची कहता हूं जिसकी कि मिसाल यह है कि राजा, महाराजाओं को जो पैसा दिया जाता है उसके बारे में एक तरफ़ तो कहा जाता है कि यह पैसा, प्रिवी पर्स बहुत ख़राब चीज़ है लेकिन दूसरी तरफ़ उन्हीं के द्वारा यह कह दिया जाता है कि हम क्या करें ? हमें तो जो वचन उनको दिया गया है उसे निभाना पड़ रहा है और इसलिए यह प्रिवीपर्स उनको देनी पड़ रही है । कैंची का एक फल है जो कि कहता है कि यह पैसा देना बहुत बुरा है, दूसरे फल से ये कह दिया कि हम वचनबद्ध हैं और इस कारण देना ही पड़ता है । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जिन्होंने यह वचन दे रक्खा है वह गद्दी से हट क्यों नहीं जाते ? अपनी जगह दूसरे लोगों को आने दो जो कि यह पैसा देना बन्द करदें । आखिर यह कोई तर्क है बात करने का ? यह कैंची हर चीज़ पर चलती है, भाषा पर चलती है, सम्पत्ति पर चलती है ।

इसी तरीक़े से अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में सरकारी नौकरियों के बारे में आपको जानना चाहिए कि इस देश में ५ रुपया महीना पर काम करने वाले गांवों के चौकीदार हैं । अब मैं सबसे ऊंची तनख्वाहों का जिक्र नहीं करूंगा, फिर से लोग चिल्ला उठेंगे ।

उसके बाद मैथोन डैम को देखिये जो कि एक सरकारी धंधा है । उसमें सरकारी नौकरों की तादाद बढ़ती चली गई क्योंकि एक तरफ तो बंगाली, बिहारी में होड़ चलती गई और दूसरी तरफ ब्राह्मण और और कायस्थ में होड़ चली कि कौन अपने आदमियों को ज्यादा भर्ती करता है । वह चीज ऐसे है कि जब तक एक मंत्री जिनको कि कामराज योजना की लात जब तक नहीं लगी, श्री मुराजी देसाई, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा बातें करते हो, जो योग्य है वह तो आख़िर जगह पायेगा ही । मैं आप से यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह खुद प्रधान मन्त्री हुए होते तो अब तक हिन्दुस्तान में सबसे योग्य अनामिल ब्राह्मण ही समझे गये होते और दूसरे न समझे गये होते । यह देश ही इतना सड़ चुका है कि यहां पर जो आदमी बैठता है वह अपनी बिरादरी वालों को योग्य बना ही देता है ।

इसी तरह योजना के बारे में एक बहुत ग़लत बात बतलाता हूं दिखावा । दिखावा कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बतलाऊं कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जोकि अभी ५० वर्ष अच्छे तरीक़े से चल सकता था, एक करोड़ रुपये के खर्च से तोड़ कर नया बनाया गया, क्योंकि उसको अच्छा दिखाना है । इसके बरअक्स जो इलाक़ा ग़रीब और अविकसित है, जहां गंगा और रामगंगा का पुल बन सकता है जहां से पलटनी सामान उत्तर पिथौरागढ़ को जाता है चीन से सामना करने के लिए, वहां पर अगर पुल बना दिये जाय, ४, ५ करोड़ रुपये के खर्च से तो आज जो दस घंटे का सफ़र है वह तीन घंटे में तय हो जायगा ।

[श्री राम मनोहर लोहिया]

इसी तरीक़े से अगर इस योजना के बारे में कुछ जानना हो तो दिल्ली योजना के बारे में सोच लीजिये। दिल्ली के ऊपर तो ७ अरब रुपया खर्च करके योजना बनाई गई है और बाक़ी का क्या हाल है। इसी तरीक़े से इस योजना का एक और नमूना लेना हो तो ख़ाली अहमदाबाद जाकर देख लें कि वहां जो १५-२० हज़ार .....

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं पांच मिनट में अपनी बात ख़त्म किये देता हूं। अहमदाबाद के बंगलों को देखने से पता चलता है कि कोई १०-१५ हज़ार बंगले साहबों वाले अहमदाबाद में बने हैं। यह कोई जनता की योजना नहीं ह बल्कि योजना तो यह है कि किस तरीक़े से ५० लाख बड़े लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ाई जाय। हर साल हिन्दुस्तान में दो, तीन लाख साहबों का निर्माण होता है। अब यह तो समाजवाद के रास्ते में रुकावट है क्योंकि जब कभी हिन्दुस्तान समाजवादी क्रान्ति के लिए तैयार होगा तो इस योजना के द्वारा जो भी बंगलीयवाले नये नये साहब लोग तैयार हुए हैं इसके खिलाफ जायेंगे।

मैं ने सुना तिवारी महाराज ने एक बात कही। बढ़िया बात थी, बिहार के खिलाफ़ पक्षपात हुआ लेकिन वह उसको एसी सीमित जगह पर ले गये कि वह सही चीज़ ग़लत हो गयी। असल में क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है, किस के खिलाफ़, जो ग़रीब हैं, उनके खिलाफ़। मिसाल के लिए मैं आपको बतलाऊं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार आदि के इलाक़े, यह हिन्दुस्तान में फी आदमी औसत आमदनी २०० रुपये साल वाले हैं और बाक़ी जो इलाका है, जिन में अंग्रज़ों ने अपने विदेशी व्यापार की जूठन छोड़ी थी, जैसे बम्बई और कलकत्ता आदि, वहां पर फ़ी आदमी औसत आमदनी जाकर ४०० रुपये पड़ती है।

फिर जहां का एक बड़ा आदमी होता है वह अपने इलाके को खबसूरत बना लेता है। अगर कोई मंत्री होता है तो वह अपने इलाक़े को ठीक ठाक कर लेता है बाक़ी इलाक़े का सत्यानाश कर देता है इसी तरीक़ से सहकारी खेती के बारे में .....

†**सभापति महोदय** : समय समाप्त है।

डा० राम मनोहर लोहिया : बस मैं और अधिक समय विशेष न लूंगा। जल्दी जल्दी कह कर मैं ख़त्म किये देता हूं। केवल दो, तीन चीज़ें ही बाक़ी रहती हैं। २ लाख ४० हज़ार एकड़ ज़मीन पर सहकारी खेती हुई है। चुनावों के दिनों में इतना ज्यादा ढोल पीटा गया सहकारी खेती का लेकिन असलियत यह रही है कि ३० करोड़ एकड़ की खेती में से मुश्किल से २ लाख ४० हज़ार एकड़ पर खेती हुई है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में ढोंगी वायदे और सरकार की असलियत दोनों बिलकुल अलग अलग हैं।

भ्रष्टाचार का तो कहना ही क्या? खादी और ग्रामोद्योग में ५२ करोड़ रुपये योजना में खर्च किये गये हैं। नतीजा होता है कि गज ६ करोड़ ४० लाख से बढ कर ७ करोड़ ७० लाख तक पहुं जाता है जब कि पूरी पैदावार अरबों गज पर जाती है। किस लिए है? मैं यह साफ़ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने इस योजना को बनाया है। उस के कई तात्पर्य

†मूल अंग्रेज़ी में

रहे होंगे। एक यह भी है कि किस तरीक़ से सच का मुंह सोने के बर्तन से ढंक दिया जाय। हिन्दुस्तान में न जाने कितने समुदायों को, सेवकों को, साधुओं को, सुधारकों को या विद्या वाले लोगों को केवल नौकरी के धंधे में, जब मंत्री बना नहीं सकते या मंत्री बनाना नहीं चाहते तो उनको इस तरह से फंसा रक्खा गया है। इस तरीक़े से सारी योजना भ्रष्ट हो गयी है। अब इसको बदलने का केवल एक ही उपाय रह जाता है कि कोई संगठन ऐसा बने। मैं सरकार से इसकी उम्मीद नहीं करता। इस सरकार के पास तो संगठन है नहीं, तैयार भी नहीं कर सकती, खेती और कारखानों को सुधारने वाला, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम भी वह संगठन तैयार नहीं कर पाते हैं जो इस सरकार के कूड़े को उठा कर फेंक दे आज देश इसी पेंच में पड़ गया है कि सरकार कोई संगठन बना नहीं पा रही है जो खेती और कारखानों को सुधारे, जनता वह संगठन बना नहीं पा रही है जो इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। उसका एक मात्र कारण यह है कि हर एक की दृष्टि संकुचित हो गयी है, अपने समूह की हो गयी है अपने क्षेत्र की हो गयी है : आपसे मैं सही कहता हूं कि मेरा मन तड़पता है जब से यहां दिल्ली में आया हूं, मैं सोचता हूं कि किस जहन्नुम में मैं आकर फंस गया हूं ? रोज मेरे पास लोग दुखड़ा लेकर आते हैं, रेडियो वाले आते हैं, तार वाले आते हैं, खेत मज़दूर आते हैं, वह सब अपनी अलग अलग टूटी हुई वृत्ति लेकर आते हैं लेकिन एक जमकर सारे देश की राष्ट्रीय तबियत पैदा हो, एसा हो नहीं पा रहा है। उस का सब से बड़ा कारण यह है कि इस योजना से सरकार ने देश से विश्वास का ख़ात्मा कर दिया है। लोग कहते हैं कि आज जो कूड़ा गद्दी पर बैठा हुआ है, इस बात की क्या गारन्टी है कि कल तुम भी उसी जगह जब बैठोगे तो तुम भी कूड़ा न हो जाओगे ? मैं यह समझा नहीं पाया कि जिस तरीक़े से आज इस वर्त्तमान सरकार के कूड़े को हटा सकते हैं उसी तरह से कल उनकी जगह बैठने वाले भी यदि कूड़ा हो जायं तो जनता उनको भी हटा सकती है, जिस तरह से घर में रोज़ाना झाड़ू दे कर कूड़ा घर के बाहर किया जाता है। लेकिन वैसा संगठन बन नहीं पा रहा है। मैं इस योजना पर टीका करते हुए अपनी नालायक़ी कह देना चाहता हूं कि वह संगठन हम बना नहीं पा रहे हैं। फैलाव वाली वह मनोवृत्ति, आर्थिक जीवन में वह चौड़ाव वाली मनोवृत्ति कि तीसरे दर्जे में जो मुसाफ़िर घुसते हैं और जो उसमें पहले से बैठे हुए हैं, उनमें कुछ लोग ताकतवर हैं वह अपना फैल कर बैठ जाते हैं जब कि बाक़ी लोग सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि किस तरीक़ से मुल्क में जीवन में यह फैलाव वाली मनोवृत्ति फैले तभी कहीं जाकर यह योजना वगैरह हो पायगी।

†**श्री हनुमन्तया** :(बंगलौर नगर) : योजना के मूल्यांकन करते हुए माननीय सदस्य को रचनात्मक सुझाव देने के लिए कहा गया था। परन्तु विभिन्न दलों ने अपनी अपनी बात करने का प्रयत्न किया है। स्वतन्त्र दल वाले तो यह कहने लगे कि योजना को छोड़ ही दिया जाय। यह संतोष की बात है कि समाजवादी दल ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं और यह दल योजना को कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेरे दिल में समाजवादी नेताओं के लिए आदर के भाव हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

समाजवादी दल की ओर से प्रधान मंत्री भवन के व्यय को कम करने के सुझाव दिये हैं। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि प्रजा समाजवादी दल के नेता वे योजना आयोग में पद ग्रहण कर लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने जनता में काम किया है और उसके मनोविज्ञान को समझने की उनमें क्षमता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हनुमन्तैया]

इसे संदभ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूल्यांक रिपोर्ट में सचाई के साथ योजना की क्रियान्विति की असफलताय बनाई गई हैं। किन्तु वर्तमान चर्चा से देश की आयोजना की सक्रिय छानबीन के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होता । सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि आवश्यक चार्टों और अन्य उपकरण के साथ एक नियंत्रण कक्ष संसद भवन में स्थापित करे, जहां योजना की दिन प्रति दिन की प्रगति और वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्मों के बारे में सरकार के विविध मंत्रालयों की सफलताएं दर्शाई जा सकें । योजना आयोग के कार्य तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल और राज्य सरकारों के कामें दोषबुक्त हैं, क्योंकि छोटे मामलों पर भी निर्णय करने में विलम्ब होता है ।

मैं इस बात की ओर योजना आयोग का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा प्रशासनिक ढांचा ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा । अफसरों की संख्या बहुत अधिक है और उनमें से सब फाइलों पर टिप्पणियां देना चाहते हैं, जिससे फाइलें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं । प्रशासन व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है और योजना आयोग तो सेवानिवृत्ति अफसरों को भी नियुक्त कर रहा है ।

योजना आयोग में मंत्री मण्डल के सदस्य होने चाहिये, आयोग के वर्तमान सदस्य सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं । इसे एक उच्च मंत्री मंडल के नाते काम नहीं करना चाहिये और शीघ्र ही निर्णय करने चाहिय । राज्यों के मुख्य इंजीनियरों को मिला कर एक बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता जो निर्माण कार्य की निगरानी करे । मंत्रियों को विविध योजनाओं की क्रियान्विति के काम का पर्यवेक्षण करना चाहिये और इस काम को करने वाले कर्मचारीगण मंत्रालयों के अंग होने चाहिये । संसद में आयोग के प्रतिनिधि प्रधान मंत्री स्वयं हो या उसके बाद का वरिष्ठ मंत्री ।

अपने भाषण को समाप्त करते हुए मैं एक और सुझाव भारत सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं, वह यह है कि उसे सामुदायिक विकास मंत्रालय को तुरंत सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये ।

क उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी । बजट अधिवेशन में उन्होंने अपने कार्यों का प्रतिवेदन देते हुए कहा था कि रसायनिक उर्वरक के वितरण के अलावा खाद के गढ़े खोदे गए थे । यह पूछने पर कि इन गढ़ों से कितनी खाद तैयार की गई यह कहा गया कि इसके आंकड़े नहीं रखे जाते । सामुदायिक परियोजनाओं की यह स्थिति है ।

प्रायः आधी शताब्दी पूर्व सभा के अंग्रज वित्त सदस्य ने इस देश में कहा था कि भारत को मानसून पवनों के साथ जुआ खेलना पड़ता है और आज यद्यपि साम्राज्यवाद समाप्त हो चुका है और पूंजीवाद को त्याग समाजवाद की स्थापना के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं फिर भी सरकार का तर्क वही है । अब तो देश में इतने बोझ तालाब बनाये जा चुके हैं और सिचाई सम्बन्धी बड़े तथा छोटे निर्माण किये जा चुके हैं तो क्या अब भी प्रकृति की विलम्बना पर काबू नहीं पाया जा सका ।

†डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : तीसरी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अत्यंत निराशा जनक है । १३ वर्ष की योजना के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति डावांडोल है । विश्व का सब से दरिद्र देश होते हुए भी लोग १० प्रतिशत आय कर के रूप में दे रहे हैं । किन्तु आर्थिक विकास की यह स्थिति

†मूल अंग्रेजी में

है कि मूल्यों में ८ प्रतिशत वृद्धि हो गई है और उसके साथ ही मुनाफाखोरी और काला बाजार का बोलबाला है। जितनी पूंजी लगाई जा चुकी है उसके अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा। यदि यही स्थिति रही तो समस्या को हल नहीं किया जा सकेगा। इस मूल्यांकन से यह पता लगा है कि योजना को कार्यान्वित करने वाले प्रशासन में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है और भूमि सुधार तथा मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि नहीं हो पाई उसके लिये कौन अपराधी है। गहन विकास से ५ प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये थी किन्तु २.५ प्रतिशत वृद्धि हो पाई है। राष्ट्रीय उत्पादन में कमी का यही कारण है कि कृषि कार्य सफल नहीं हुए। १९६२-६३ में कृषि उत्पादन में २२ लाख की कमी हुई है। इसका अभिप्राय यही है कि लोगों में योजना के प्रति उपेक्षा भाव है।

सिंचाई क्षमता में कमी के दो कारण बताये गए हैं। एक तो यह कि तीसरी योजना के लक्ष्य बहुत ऊंचे थे और दूसरे कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हो गया था। सिंचाई क्षमता यदि पूरी तैयार भी हो जाए और उसका उपभोग भी किया जाय तब भी कृषि उत्पादन के लिये कुछ सहायक कार्य जैसे प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शन फार्मों की स्थापना, भूमि सर्वेक्षण, फसल पद्धति का निर्धारण आदि करने होंगे तभी उत्पादन बढ़ेगा

गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का उत्पादन भी पिछड़ा रहा है यद्यपि सरकारी क्षेत्र काफी सफल हुआ है।

प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता आश्चर्य की बात है। कार्य भार बढ़ने के साथ ही इस व्यवस्था का भी विस्तार होता है और उसके कौशल में धीमापन पैदा होता है। इस की चेतावनी योजना आयोग ने तीन वर्ष पहले कर दी थी। सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि कहीं तो निश्चित समय पर उत्पादन नहीं हुआ कहीं लागत सम्बन्धी अनुमान गलत रहे हैं और कहीं उत्पादन प्रत्याशित मात्रा में नहीं हो पाया। कार्य के मानदण्ड तैयार नहीं किए गये। यदि कहीं कोई गलती होती तो अपराध के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यही कारण है कि राज्य भिन्न प्रयोजन के लिये राशि का व्यय कर देते हैं।

"ब्रिटिश पोलिटिकल क्वार्टरली" में यह कहा गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना सफलता पूर्वक की गई है और उसमें योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। किन्तु फिर भी हमें जिस संकट का सामना करना पड़ा है उसका कारण क्या है। इस सम्बन्ध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हमारी योजनाओं में यह अतिशयपूर्ण आशा की गई है कि लोगों की प्रवृत्तियां बदली जा सकती हैं और यह ध्यान नहीं रखा गया कि उनकी वर्तमान प्रवृत्तियों को किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिये जमीदारी को समाप्त करने से ग्रामीण बूर्ज्वा वर्ग की स्थापना हो गई है। एक कारण यह भी है कि लक्ष्य ऐसे ऊंचे रखे जाते हैं कि जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती।

तीसरी योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय आय में ३४ प्रतिशत नहीं तो ३० प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिये जिसका अभिप्राय है कि प्रति व्यक्ति आय ३३० करोड़ या ३८५ करोड़ रुपये होनी चाहिये। किन्तु वर्तमान परिस्थिति के अनुसार क्या ऐसा हो सकता है।

आशा की जाती है कि चौथी योजना के आखीर में हमारा निर्यात व्यापार दुगुना हो जायेगा। इसके लिये आवश्यक है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था आत्मनिर्भर होनी चाहिये। तीसरी योजना भारत की पंचवर्षीय योजना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है अतः योजना निर्माताओं को मध्यावधि

[डा० मा० श्री० अणे]

मूल्यांकन पर ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिये और देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई सभाओं में डा० लोहिया साहब की स्पीचेज सुनी हैं । इस में कोई शक नहीं है कि वह एक विद्वान आदमी हैं । उनके लिये मेरे दिल में आदर है । लेकिन उनकी स्पीच से मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि जैसे जिन्दगी में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं कि जिन के सारे पुरुषार्थ और जिन के सारे प्रयत्न जब असफल हो जाते हैं तो उनके सामने केवल निराशा और अंधकार को छोड़ कर कोई चीज नहीं रहती है, उसी तरह से उनके सामने भी इसके सिवाय और कोई चीज नहीं है । मैं उनके जैसा विद्वान नही हूं । लेकिन सभी लोग इस देश के उन से यह आशा रखते हैं कि वे कुछ करें । यह ठीक है कि प्लान इंसान की बनाई हुई चीज है, फिर चाहे कितने ही इंसानों ने उसको मिलकर बनाया हो, जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है, उसके अन्दर गलती का होना स्वाभाविक है । मैं इसको मानता हूं । लेकिन जरूरत आज देश को यह है कि अगर हमारी गलती है तो बताया जाय कि किस तरीके से चलने से गलती होती है और कौन सा चलने का तरीका ठीक है, जिससे गलती न हो । डा० लोहिया साहब का एक मामला मैंने देखा है और सभी ने देखा होगा । उत्तर प्रदेश में हिन्दी आन्दोलन चलाते हुए उन्होंने हिन्दी को लाने का कौन सा तरीका अखत्यार किया और अंग्रेजी को हटाने का कौन सा प्रयास किया, यह आप सब को विदित है । जितने भी माइलस्टोन थे और जिन पर अंग्रेजी में नम्बर लिखा हुआ था, उनको उन्होंने तारकोल से पुतवा दिया । यह चीज़ इस बात का सबूत है कि किसी विद्वान आदमी के सामने जिस को अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं आ गई हो और इस कद्र आ गई हो कि वह यह भी न बता सकता हो कि उसके आगे का क्या पग है, क्या उसका आगे का प्रोग्राम है, किस तरह से वह चलना चाहता है, तो मामला ज़रा बिगड़ जाता है । मैं अधिक इस सम्बन्ध में और कुछ कहना नहीं चाहता हूं । अमूमन हम ने उनकी तो तीन स्पीचेज में तीन आने और २७ करोड़ आदमियों की बात को सुना है । उनकी बात को हम मान लेते हैं । लेकिन वह यह भी तो बताते कि उन की आमदनी दो रुपया हो जाय जो हम भी चाहते हैं और यह कैसे हो सकता है । मैंने कोई ऐसी चीज़ जो कि सुझाव के तौर पर कही गई हो, उनकी स्पीच में नहीं पाई है . . .

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री राम सेवक यादव : सुझाव दिये हैं ।

श्री काशीनाथ पांडे : आप चुप रहिए ।

श्री राम सेवक यादव : आप चुप रहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे चुप रहें ? उनको मैंने बोलने के लिये कहा है और उनको इजाजत दी है ।

श्री राम सेवक यादव : आप थोड़ा ध्यान दें । उन्होंने सुझाव दिये हैं और वह कहते हैं कि सुझाव ही नहीं दिये हैं । यदि कोई आंख मूंद कर चले तो क्या कहा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप उस तरफ न जायें ।

श्री काशीनाथ पाण्डे : मैं आप की तरफ जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां लोहिया साहब बैठे थे उस सीट की तरफ आप देख रहे हैं ।

श्री काशीनाथ पांडे : मैं यह कह रहा था कि दुनिया में चाहे कोई भी काम आप करें, कुछ न कुछ फालोअर आपको मिल जायेंगे, कोई भी आप का विचार क्यों न हो, आपको फालोअर जरूर मिल जायेंगे । मैं एक बात कहता हूं कि जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसे एक दिन मरना है चाहे वह कोठियों में रहता हो या मामली झोंपड़ी में रहता हो, चाहे उसके पास कोई बहुत बड़ा महल हो, आसाइश के सब सामान हों और चाहे सड़क पर चलने वाला इंसान हो । अगर हम यही विचार और यही प्रचार करते रहें कि हमें तो मर जाना है तो हमारे सामने खाली निराशा के और कुछ नहीं आ सकता है और इसका मतलब इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है कि दुनिया में कोई प्रगति ही न हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी विद्वान देश के हैं और जो अपने आप को लीडर कहते हैं और जिन को देश के लोग इज्जत की दृष्टि से देखते भी हैं, उन से आज देश के नागरिक यह आशा लगाये बैठे हैं कि वे देश के सामने एक आल्टरनेटिव, देश के सामने कोई एक ऐसा सुझाव रखें जिससे देश प्रगति कर सकता हो । इतना ही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, अधिक नहीं ।

दूसरी बात मैं एम्प्लायमेंट के सिलसिले में कहना चाहता हूं । इस पर मैं खास तौर से रोशनी डालना चाहता हूं । प्लानिंग कमिशन ने इस के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उसके लिए मैं उसका कड़ा मशकूर हूं, बड़ा कृतज्ञ हूं। कम से कम उन्होंने एक रूपरेखा तो हमारे सामने रखी है, फिर चाहे उस में दोष ही क्यों न हों, चाहे हमारी असफलतायें ही क्यों न दिखा दी गई हों । कम से कम उनकी हिम्मत तो हुई है हाउस के सामने एक चीज रखने की । प्रजातंत्र के अन्दर उन से अपेक्षा की जाती है कि वे तमाम बातें चाहे वे अच्छी हों या हमारी समझ में कुछ बुरे तरीके से हुई हों, बुरी हों, अप्रिय हों, हिम्मत करके हमारे सामने रखें । मैं समझता हूं कि मौलिक तरीके से गलती प्लानिंग कमिशन करता है । मैं ने किताबों को पढ़ कर देखा है और उन में कहा गया है कि हम ने यह इंडस्ट्री लगा ी है, यह सुधार कर दिया है, एग्रिकलचरल फील्ड में इतनी प्राजक्ट्स शुरू कर दी हैं और इन सब से इतने एम्प्लायमेंट के अवसर पैदा हो सकते हैं और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो कह दिया जाता है कि जितने टारगट फिक्स कि गये थे, वे पूरे नहीं हुए, वे कम रह गए । मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देश को आगे बढ़ना हो या उसको बरबाद होना हो तो उसको परखने का एक ही आसार हुआ करता है कि उस देश में बेकारी कितनी है। हमारे देश में बेकारी की समस्या बहुत गम्भीर है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से प्लानिंग हो रहा है और जिस तरह से बेकारी की समस्या को हम बहुत सीधे तौर से ले रहे हैं, उससे हम कोई ज्यादा आशावादी नहीं हो सकते हैं । दरअसल बेकारी के सम्बन्ध में प्लानिंग यह होना चाहिये कि आपको रूपरेखा एक मालूम हो जाए कि हमारे यहां बेकार कितने हैं और कितने भविष्य में बेकार आदमी बढ़ सकते हैं और फिर हम लोक तय कर लें कि प्रतिवर्ष इतने आदमियों को हम को काम देना है । अगर इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे तो हम बेकारी की समस्या को हल कर सकेंगे और अगर हम बोझ इकट्ठा करेंगे और हम दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे कि हम ने इतने अवसर पैदा कर दिये हैं लेकिन उतने आदमियों को हम काम नहीं दे सके क्योंकि प्लानिंग में या प्लान में

[श्री काशीनाथ पांडे]

यह खराबी हो गई, वह खराबी हो गई है तो इससे बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकेगी। एक अंग्रेजी कहावत है कि घोड़े के पैर के अनुसार नाल ठीक हो सकता है। हमको घोड़े के पैर के अनुसार नाल ढूंढना चाहिए न कि नाल के अनुसार घोड़े को ढूंढना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेकारी के सम्बन्ध में हमारी एक निश्चित नीति होनी चाहिए और एक खास प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है।

जो आंकड़े बेकारी के सम्बन्ध में दिए जाते हैं वे पूरे नहीं हैं। हम इन आंकड़ों के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों पर निर्भर करते हैं लेकिन उनमें शहरों के लोग ही अपने को रजिस्टर करवाते हैं जो कि आसानी से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गांवों के लोग इतनी दूर से सफर करके यहां तक नहीं आ पाते और अपने को रजिस्टर नहीं करा पाते। इसलिए उनके आंकड़े मुहय्या नहीं हो पाते और इस तरह पूरी समस्या हमारे सामने नहीं आती। और जब तक आपको पूरी समस्या नहीं मालूम होगी उस समय तक उसका समाधान कैसे हो सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए कोई मैशिनरी कायम की जाए जो इस सारी समस्या को हमारे सामने उपस्थित करे।

एक चीज में कम्युनिटी डवलेपमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। जो इस बारे में श्री हनुमंतैया जी ने कहा है उससे मैं सहमत हूं। जब यह विभाग कायम किया गया तो इससे बड़ी आशाएं की जाती थीं और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम ने सारे देश में कम्युनिटी डेवलेपमेंट ब्लाक फैला दिए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन से क्या काम हुआ। इन से हमारी खेती का उत्पादन बढ़ाने में क्या प्रगति हुई? खेती की पैदावार बढ़ाने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि सरकार सारी जमीन खुद ले ले और अगर ऐसा नहीं करती है तो किसानों को व्यक्तिगत रूप से सुविधाएं दे जिससे उत्पादन बढ़ सके।

मैं पूछता हूं कि जो आपने कोआपरेटिव फार्म बनाए हैं उन से कितना प्रोडक्शन बढ़ा। यह कह देना कि हमने इतने कम्पोस्ट के गड्ढे खोदे, इतना खाद दिया और यह किया वह किया, ससे काम नहीं चल सकता। हम देखते हैं कि सन् १९६०-६१ में चीनी का उत्पादन २७—२ लाख टन हुआ था और इस कम्युनिटी डेवलेपमेंट के रहते आज इस देश में २१—६ लाख टन चीनी पैदा हो रही है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के रहते यह हमारी तरक्की हुई है।

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग का सवाल है, हमारे विरोधियों की तरफ से यह प्रचार किया जाता है—इलेक्शन के समय मैं ने यह प्रचार देखा था—कि सहकारी खेती का मतलब है सरकारी खेती और लोगों में यह भ्रम पैदा किया गया कि सहकारी खेती का नतीजा यह निकलेगा कि सरकार सारी जमीन ले लेगी।

श्री कछवाय (देवास) : सही बात है।

श्री काशीनाथ पांडे : आप जैसे लोग ऐसा सोचते हैं।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन्होंने कौन सा धन ले लिया व्यापारियों का। मैं मानता हूं कि सोसाइटीज में दोष हो

सकते हैं, लेकिन इनमें तमाम शेयरहोल्डर हैं, उनकी ये सोसाइटीज हैं, वही इनके मालिक हैं । ये सोसाइटियां सारे देश की नहीं हो गयीं । यही चीज कोआपरेटिव खेती के बारे में है । जो उन सोसाइटीज के सदस्य होंगे वही उन जमीन के मालिक होंगे और वह जमीन उनके ही कंट्रोल में रहेगी । लेकिन लोगों में यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सरकार उस जमीन को ले लेगी ।

यह बात साफ है कि जब तक किसान गरीब हैं और उनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं तब तक सरकार भी उनको सहायता न दे सकेगी और अगर देगी तो उसका पूरा फल नहीं निकल सकेगा । इसलिए कोआपरेटिव खेती बहुत जरूरी है । मैं जानना चाहता हूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट विभाग ने कोआपरेटिव खेती के मामले में क्या प्रगति की है । केवल यह कह देना कि इतनी सोसाइटियां बन गयी हैं काफी नहीं है । हम चाहते हैं कि तुलनात्मक आंकड़े हमारे सामने आएं कि इस जोन में इतनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं, और उनके पहले इतनी पैदावार होती थी और आज कोआपरेटिव सोसाइटीज बन जाने के बाद इतनी पैदावार बढ़ गयी है । अगर यह चीज लोगों के सामने आवे तब तो लोगों का इन पर विश्वास हो सकता है और किसान उन में शामिल हो सकता है । लोगों को कोआपरेटिव्स की तरफ लाने के लिए जगह जगह डिमांस्ट्रेशन फार्म कायम करने चाहिएं । किसानों की जमीन उनके ही पास रहने दी जाए और उनको सुविधाएं दी जाएं और उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को मालूम हो कि कैसे उत्पादन बढ़ता है । जब ऐसा किया जाएगा तो इसका असर लोगों पर होगा और तब कोआपरेटिव खेती हो सकेगी । लेकिन अगर आप केवल यह समझ कर बैठ जाएं कि विरोधी प्रचार करते हैं इसलिए हम इस काम को आगे नहीं बढ़ायेंगे, तो यह तो हास्यास्पद होगा ।

मैं दूसरी चीज इंडस्ट्रियल हाउसिंग के बारे में कहना चाहता हूं । आप इंडस्ट्रीज तो लगाते चले जाते हैं लेकिन मजदूरों के लिए घर नहीं बनाते । जब से सरकार ने घर बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया है तब से मालिक लोग यह समझने लगे हैं कि यह तो सरकार का काम है । इसलिए सरकार को मजदूरों के लिए मकान बनाना भी साथ साथ जरूरी है । अगर मजदूरों को अपने ऊपर छोड़ दिया जाए कि वे अपने लिए मकान का प्रबन्ध करें तो जिस मकान का सरकार १३ रुपया लेती है उसका प्राइवेट आदमी उन से ३० रुपया लेगा और इस तरह मजदूर के ऊपर किराए का इतना बोझ पड़ेगा । जब तक सरकार यह प्रोग्राम नहीं बनाएगी कि उसे हर साल इतने क्वार्टर बनाने हैं तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । जब तक सरकार यह नहीं करेगी तब तक मजदूरों पर आर्थिक बोझ बढ़ता रहेगा और उनकी पर कैपीटा आमदनी नहीं बढ़ सकेगी ।

एक बात मैं अन-एम्पलायमेंट के बारे में और कह देना चाहता हूं । सन् १९५० में जब जर्मनी आदि देशों की आर्थिक अवस्था बहुत खराब थी उस समय भी वहां बेकार लोगों के लिए एक अन-एम्पलायमेंट फंड था जिसके जरिये से बहुत से बेकारों को सहायता मिलती थी । लेकिन यहां बेकारों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है । बहुत से लोग इंडस्ट्रीज में से बेकार हो कर निकल रहे हैं । मेरा सुझाव है कि जिस तरह एम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, उसी तरह से बेकारों के लिए एक फंड कायम किया जाना चाहिए, जिसमें जो मजदूर एम्पलाइड हैं वे भी कुछ पैसा दें, एम्प-लायर भी कुछ दें और कुछ स्टेट भी दे जिससे बेकारों को सहायता मिल सके ।

[श्री काशीनाथ पांडे]

और आपको अगर किसी योजना के लिए आदमियों की जरूरत हो तो इन लोगों को आसानी से उसमें लगाया जा सकता है। इससे बेकारों की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय आय बढ़ी है उसका प्रभाव सब प्रदेशों में बराबर नहीं पड़ा है। हम सुनते हैं कि ३० फीसदी राष्ट्रीय आय बढ़ी है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में पर कैपीटा इनकम नहीं बढ़ी। इसका कारण क्या है। उन जगहों की पर कैपीटा आय नहीं बढ़ी है जो कि खेती की पैदावार पर ही निर्भर करती हैं। इन प्रदेशों में जब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती और नहरों और ट्यूब वैल्स द्वारा समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती तब तक इन प्रदेशों के लोगों की पर कैपीटा आय नहीं बढ़ सकती जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अवस्था है। आपने इन प्रदेशों में हैवी इंडस्ट्री लगायी हैं लेकिन इसमें तुलनात्मक रूप से कम आदमियों को काम मिला है। आप देखें कि पहले जो उद्योग लगाये गये थे उनमें कितना रुपया लगा था और उनमें कितने आदमियों को काम मिला था। टैक्सटाइल इंडस्ट्री में १० या १२ लाख आदमी काम करते हैं। लेकिन जो आपने कई सौ करोड़ रुपया लगा कर हैवी इंडस्ट्रीज़ कायम की हैं उनमें कम आदमियों को काम मिल पाया है। हमारा खयाल है कि अगर स्माल इंडस्ट्रीज़ लगायी जायें तो ज्यादा लोगों को काम मिल सकता है। पंजाब में छोटे उद्योग लगाये गये और वहां के लोगों की पर कैपीटा इनकम बढ़ी है। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े उद्योग लगाये जिनमें कम लोगों को काम मिला और पर कैपीटा इनकम भी नहीं बढ़ी।

इसके अलावा जहां जहां सरकार ने उद्योग लगाये वहां लोगों का बड़ा विरोध हुआ। सरकार को उन उद्योगों के लिए ज़मीन लेने में बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि लोगों ने समझा कि ज़मीन हमारे हाथ से गयी और हमको कोई लाभ इस उद्योग से नहीं होगा। अगर आप लोगों को विश्वास दिला दें कि उनको जहां तक हो सकेगा उन उद्योगों में खपाया जायेगा तो उनका विरोध कम हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि टैक्निकल लोगों को तो आप ऐसे उद्योगों के लिए बाहर से लावें, लेकिन और जगहों पर जहां तक हो सके उसी एरिया के लोगों को रखें। इससे उस एरिया के लोगों के दिल में उस काम के प्रति जोश पैदा होगा।

एक दूसरी चीज मैं आप से कहना चाहता हूं। यह ब्लाक डेवलपमेंट जो हैं इन को लेकर अभी तक काफ़ी चर्चा होती है और यह एक बड़ी भारी चर्चा का विषय है कि इन ब्लाक्स में क्या काम होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए भी एक इनक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी कि देश में इन डेवलपमेंट ब्लाक्स ने क्या काम किया। मैं आप को सही बात बतलाना चाहता हूं कि जो आप अन-इम्प्लायेड अर्थात् बेकार आदमियों के आंकड़े इम्पलायमेंट एक्सचेंज से लेते हैं, उसके बदले अगर इन ब्लाक्स के जिम्मे यह काम कर दिया जाय कि वे बेकारों की संख्या बतायें तो यह अच्छा काम होगा। इनके जिम्मे यह काम भी दिया जाय कि सरकार से मिल कर स्थानीय लोगों को कुछ सहायता या कुछ रोज़ी दी जा सकती है तो उस बारे में वे

सरकार को सुझाये। इस तरह से इनको कुछ ठोस काम दिया जाये। कम से कम एक ठोस काम तो यह ब्लाक्स करें। बस मुझे इतना ही कहना है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तिबिया कालेज के विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार

†**अध्यक्ष महोदय**: योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर कल चर्चा होगी। अब क्या गृह-कार्य मंत्री कोई अनुपूरक वक्तव्य देंगे?

†**श्री नन्दा**: माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा था कि जांच आयोग के पद-निर्देश क्या होंगे।

केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग नियुक्त किया है जिसमें दिल्ली के जिला तथा सेशन जज श्री पी० आर० साहनी हैं। उन्हें १ फरवरी, १९६४ तक प्रतिवेदन देना है। पद-निर्देश ये हैं कि किन परिस्थितियों में तिबिया कालेज के भूख हड़ताल करने वाले छात्रों को तिबिया कालेज से हटा कर तिहाड़ जेल ले जाया गया। ६ दिसम्बर को ओरिजीनल रोड पर क्या घटना घटी जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों और अन्य लोगों को चोटें आईं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस ने कितनी शक्ति का प्रयोग किया और क्या वह स्थिति के लिए अपेक्षित शक्ति से अधिक थी।

श्री बागड़ी: श्री नन्दा ने अभी जो अंग्रेजी में पढ़ कर सुनाया उसका अगर वह हिन्दी में कुछ खुलासा कर दें तो अच्छा होगा।

श्री नन्दा: इस में यह कहा गया है कि यह जो कमीशन ऑफ़ इनक्वायरी मुकर्रर की जाती है उसको इन बातों की जांच करनी है। एक तो यह कि दो विद्यार्थी किन हालात में वहां से उठा कर ले जाये गये जो कि हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो भी वाक़यात हुए, पुलिस स्टेशन के सामने और जिसके दरमियान कुछ विद्यार्थियों को चोट लगी और कुछ पुलिस फोर्स वालों को ये चोट लगी या और लोगों को भी चोट लगी है तो उसके सम्बन्ध में वह जांच करें। तीसरी बात यह है कि जो भी फोर्स इस्तेमाल की गई क्या वह ज़रूरत से ज्यादा थी, इसके बारे में पूरी जांच की जाये।

†**श्री प्र० र० पटेल**: तिबिया कलेज में लाठी चार्ज के बारे में क्या है?

श्री बागड़ी: यह तो थाने का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन पुलिस वालों ने लड़कों को जो तिबिया कालिज में पीटा उसका तो जिक्र नहीं है . . . .

अध्यक्ष महोदय: वह सारी चीजें आ जाती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अभी टर्म्स आफ रैफ्रेंसर जो बताये गये वह इसलिए बताये गये हैं कि लाठी चार्ज और लाठी चार्ज के बाद जो वाक़यात हुए हैं . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि इस तरह से सब लोग बोलने लगते हैं। मैं चाहूंगा कि जो सवाल करने वाले मैम्बर साहबान हैं उनको अपने सवाल करने दें। जिन्होंने भी नाम दिये हैं उन सब की धीरे धीरे बारी आ जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : जो भी वाक़यात लड़कों के ले जाने के बाद हुए हैं उन पर जांच पड़ताल हो रही है। कौलिंग एटैंशन जो शुक्रवार के दिन दिया गया था उसमें इस घटना का भी उल्लेख किया गया था कि कोई एक ऐसी वजह थी जिसकी कि वजह से हड़ताल वहां चल रही थी। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह जांच तो लड़कों को ले जाने के बाद जो वाक़यात हुए, उनकी होगी लेकिन उससे पहले की जो घटना थी जिससे कि यह परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, हैल्थ मिनिस्टरी और एजुकेशन मिनिस्टरी आखिर कोई इस दिल्ली शहर में जिम्मेदार है जोकि इसकी जांच करे . . . .

अध्यक्ष महोदय : ए० में वह आ जाता है जोकि सरकमस्टान्सेज़ रिलेटिंग टु दी रिमूवल आफ़ दी स्टूडैंट्स के बारे में है। वह क्यों भूख हड़ताल पर थे वह सब उस ए० में आ जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि भूख हड़ताल शुरू हुई है उसके पहले हड़ताल की बात थी। सारे दरवाज़े उन्होंने इंसाफ़ के लिए खटखटाये। चूंकि वह बंद मिले तब उन्होंने वह भूख हड़ताल शुरू की। इसलिए मेरा तो सवाल सिर्फ यह है कि पहले की जो घटनाएं हैं जिनकी कि वजह से हड़ताल हुई थी क्या उसकी भी जांच करने के लिए हैल्थ मिनिस्टरी या होम मिनिस्टरी कार्यवाही करेगी ?

श्री नन्दा : मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक इस इनक्वायरी का सम्बन्ध है वह तो एक ख़ास मर्यादा है उसकी। उनका जो दूसरा सवाल है उसके बारे में मैंने पहले ही बतला दिया था कि लड़कों की जो शिकायतें थीं, जो उनकी तक़लीफें थीं उनके बारे में बातचीत हो रही है और कल फिर मैं, उनके प्रेसीडैंट और मेयर साहब सब मिल कर बातचीत करने वाले हैं और जो भी किया जा सकता है वह उनके लिए जल्द से जल्द किया जायगा।

†**श्री दाजी :** ये आरोप लगाये गये हैं कि इन तीन छात्रों के अलावा अन्य जिन छात्रों को पकड़ा गया उन्हें थाने में बहुत पीटा गया जिससे कई छात्रों की हड्डियां टूट गई थीं। पद-निर्देश के अनुसार इन बातों की जांच नहीं हो सकती।

†**श्री नन्दा :** यदि इन आरोपों का उल्लेख किया गया तो उनकी जांच की जायेगी।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) :** मेरा निवेदन है कि पद-निर्देश में जो यह उल्लेख है कि पुलिस ने इन मामलों में कितनी शक्ति का प्रयोग किया है उससे पद-निर्देश व्यापक हो जाता है। उसमें वे घटनाएं भी आ जाती हैं जो बाद में घटी हैं।

†**श्रीमती विमला देवी :** कितने लड़के और लड़कियां ज़ख्मी हुए हैं और लड़कियों के सम्बन्ध में महिला पुलिस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** इर्विन अस्पताल के सुप्रिन्टेंडेंट के प्रतिवेदन के अनुसार ज़ख्मियों के बारे में सर्वोतम व्यवस्था मेरे अनुरोध पर कर दी गई थी जहां तक चोटों का सम्बन्ध है प्रतिवेदन में सभी तथ्य दिये गये हैं। मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। इसमें ज़ख्मियों की संख्या दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न दो हैं पहले तो ज़ख्मियों की संख्या कितनी है और दूसरे महिला पुलिस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री नन्दा :** अस्पताल में ५० छात्र दाखिल हुए थे जिनमें ११ लड़कियां थीं। महिला पुलिस का प्रयोग नहीं किया गया।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** क्या सरकार को पता था कि तिबिया कालेज में बहुत समय से कुप्रबंध के बारे में असंतोष था और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की मांग विचाराधीन थी ? सरकार ने इस परिस्थिति के बारे में क्या कार्यवाही की थी ?

†**श्री नन्दा :** ऐसी परिस्थितियां भरसक प्रयत्न करने पर भी पैदा हो जाया करती हैं। मैंने छात्रों के साथ २½ घण्टे तक बातचीत की है। महापौर भी वहां थे और मुझे पता लगा कि वे इस मामले पर विचार कर रहे थे और विश्वविद्यालय के साथ पत्र-व्यवहार कर रहे थे। छात्र, उप कुलपति और स्वास्थ्य मंत्री से मिले और निरन्तर कार्यवाही हो रही थी।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि माननीय गृह मंत्री महोदय पहले पीटने वाले अफ़सरान के यहां मिज़ाज-पुर्सी के लिए गये और पिटी हुई बच्चियों की फ़रियाद सुनने के लिए बाद में पहुंचे ?

श्री नन्दा : यह बिल्कुल ग़लत बात है। जैसाकि मैंने कहा है, जैसे ही मुझे ख़बर मिली, मैं वहां गया, तिब्बिया कालेज में, हास्पिटल में। एक-एक बच्चे-बच्ची से मिला, देखा, बात की और डाक्टरों से पूछा। उसके बाद सारे स्टुडेंट्स की मीटिंग की। उनके पास घंटा डेढ़ घंटा बैठा और उसके बाद कमेटी मुकर्रर की, जोकि मुझ से आकर बात करे कि क्या-क्या करना चाहिए। जहां तक पुलिस वालों की बात है, दूसरे दिन मैं गया और वहां मैंने देखा कि सुपरिन्टेंडेंट आफ़ पुलिस को बड़ी चोट लगी है और वह बोल नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहबान को भी चाहिए कि वे वाक़ये की सही ख़बर ले लें और फिर एलीगेशन लगायें।

†**श्री स्वैल :** माननीय मंत्री ने वक्तव्य में कई बातों का उल्लेख नहीं किया। क्या इस बात की भी जांच की जायेगी कि एक पत्रकार को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसे पीटा था ?

†**श्री नन्दा :** पहले तो मैंने किसी एक पक्ष की घटनाओं का उल्लेख करना नहीं चाहा क्योंकि ज़िला दंडाधीश का प्रतिवेदन मुझे मिल गया है और प्रेस विज्ञप्ति में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इन बातों का उल्लेख किया जा चुका है। किसी अन्य व्यक्ति को पीटा गया यह बात पद-निर्देश के अन्तर्गत आ जाती है। अन्तिम जानकारी के अनुसार सभी छात्र अस्पताल में हैं। लड़कियों में से तीन वहां थीं जो अब भी वहां हैं

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह गलत-बयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे तालुक नहीं है कि मैं इस वक्त यह बहस छेड़ दूं। वह कहते हैं कि हमने इतना किया।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने भी अपनी आंखों से देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से तो यह सवाल नहीं कर रहा हूं कि वह अपनी इन्फ़ार्मेशन दें।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या सरकार इस बात का अनुमोदन करती है कि पुलिस निहत्थी लड़कियों पर न्यूनतम शक्ति का प्रयोग कर सकती है और यदि नहीं तो क्या इन अधिकारियों की सेवाएं तुरंत निलम्बित कर दी जायेंगी ?

†**श्री नन्दा :** मैंने यह बात प्रातः स्पष्ट कर दी थी कि किसी को निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता। यह तो पूर्व निर्णय की बात होगी। पुलिस लोगों की रक्षा के लिए है। हम उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकते कि बिना निर्णय लिये उन्हें दण्ड दे दें।

†**श्री कपूर सिंह :** मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका उत्तर प्रतिवेदन मिलने पर दिया जा सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह गलत तरीका है कि पुलिस वाले तो गलती करते रहें और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही करने के बजाये मंत्री महोदय उनकी रक्षा करते रहें।

†**श्री कपूर सिंह :** मेरा प्रश्न तथ्यों से सम्बन्धित नहीं बल्कि प्रशासनिक सिद्धांत से सम्बन्धित है कि क्या निहत्थी लड़कियों पर नियंत्रण के बिना लाठी प्रहार किया जा सकता है।

†**श्री नन्दा :** हम कहीं भी लाठी प्रहार का अनुमोदन नहीं करते जब तक पुलिस इसके लिए बाध्य न हो जाये।

†**श्री वें० वेंकटासुब्बय्या :** जब छात्रों ने ओरिजिनल रोड के थाने पर आक्रमण किया तो क्या आत्म रक्षा के लिए न्यूनतम शक्ति का प्रयोग किया गया और जख्मियों के डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह जांच आयोग को निर्णय करना है कि न्यूनतम शक्ति का प्रयोग किया गया या आत्म रक्षा के लिए ऐसा किया गया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या छात्रों की स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी शिकायतों की भी जांच की जा रही है ?

†**श्री नन्दा** : मैं इसका पूरा उत्तर दे चुका हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन पद-निर्देशों के अन्तर्गत यह आरोप भी आ जायेंगे कि जेल अस्पताल में छात्रों को भेजने के उपरांत उनकी चिकित्सा उपचार की व्यवस्था नहीं की गई।

†**श्री नन्दा** : इसकी सूचना हमें नहीं मिली। बल्कि मेरी सूचना के अनुसार भूख हड़ताली बहुत सहायक रहे और उन्होंने तुरंत दूध पी लिया था।

†**श्री प० र० पटेल** : तिबिया कालेज में कितने छात्रों को गहरी चोटें आई थीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के पास अस्पताल की रिपोर्ट है अतः वे कैसे बता सकते हैं कि चोटें तिब्बिया कालेज में आईं या बाहर।

†**श्री नन्दा** : कुल ५० ज़ख्मी छात्रों की जांच की गई है। १७ के ज़ख्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है यद्यपि वे कहते हैं कि उन्हें कुछ स्थलों पर दर्द होता है। ३२ छात्रों को साधारण चोटें आई हैं केवल एक छात्र का बायां हाथ टूट गया है और उसे गम्भीर चोट आई है।

श्री बड़े : जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त गर्ल्स स्टुडेंट्स को भी उन कांस्टेबल्ज़ ने उठा कर जैसे सिमेंट के थैले डालते हैं, उस तरह से डाल दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह चीज़ इनक्वायरी में आयेगी।

श्री शशिरंजन (पपरी) : सुबह अपने बयान में मिनिस्टर साहब ने कहा कि दो लड़के भूख हड़ताल कर रहे थे और उनकी हालत खराब हुई और पुलिस को आदेश दिया गया कि उनको उठा कर ले जाया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने पुलिसमैन गये दो भूख हड़तालियों को लाने के लिए और लाठी चार्ज करने के पहले क्या पुलिस ने कोई वार्निंग दी, टीयर गैस इस्तेमाल की ?

अध्यक्ष महोदय : पहले पार्ट का ही सिर्फ जवाब दिया जाये।

श्री शशि रंजन : सब लोगों को दो दो सवालों का जवाब दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका जो दूसरा सवाल है वह नहीं हो सकता है। कमीशन आफ इनक्वायरी उसको देखेगा।

श्री शशिरंजन : टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : कितनी पुलिस गई, यह इनफार्मेशन है तो बता दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नन्दा : यह जानकारी ५० छात्रों के बारे में है ।

श्री बागड़ी (हिसार) : तिबिया कालेज का गांधी जी ने उद्घाटन किया था । यह कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसकी कोई इंतजामिया बाडी न हो. उसका प्रिंसिपल भी है, मैनेजर भी है । इधर मंत्री के कथन के मुताबिक भूख हड़तालियों की हालत नाजुक थी । मैं जानना चाहता हूं कि उसके अहाते के अन्दर से भूख हड़तालियों को हटाने की बाबत किसी मैनेजर ने या प्रिंसिपल ने सरकारी अधिकारियों को या पुलिस को या किसी मैजिस्ट्रेट को या गृह मंत्री को कहा था कि हालत खराब है, और पुलिस आकर दखल दे? जैसा मैं वहां जाकर देख कर आया हूं ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी और मुझे इत्तिला भी यही मिली है । फिर जब पुलिस वहां पर गैर-कानूनी तौर पर गई है और वहां जाकर उसने एक मुजरिमाना गिरोह . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कमेंट न करें । सवाल पूछिये ? आप कैसे यह फैसला कर लेते हैं कि मुजरिमाना तौर पर . . . .

श्री बागड़ी : इस तरह से कि सरकार के कानून के तहत उनको अखत्यार है लाठी चार्ज करने का . . . .

अध्यक्ष महोदय : सवाल करना चाहते हैं या . . . .

श्री बागड़ी : वर्ना एक जरायम पेशा सा गिरोह . . .

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं कही . . .

श्री बागड़ी : मैं मोटी अक्ल का आदमी हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यह है कि आप मोटी अक्ल के आदमी नहीं हैं, बहुत बारीक अक्ल के आदमी ये और काफी मुझे आपको समझने में मुश्किल आ जाती है । जितना सवाल इसमें आ सकता है मैं उतने ही की इजाजत दे सकता हूं । बाकी यहां स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है । जो सवाल आपने किया है, उतने हिस्से की ही मैं इजाजत दे सकता हूं कि आया प्रिंसिपल या और जो अधिकारी कालेज के थे, उन्होंने कोई शिकायत की थी कि वहां ो लड़कों की हालत नाजुक है ।

श्री बागड़ी : उसके अन्दर एक अंग बीच में रह गया . . .

अध्यक्ष महोदय : एक ही अंग रहने दीजिये । इसका ही जवाब दे दिया जा ।

श्री बागड़ी : भाग (ख) के बारे में मैं कहता हूं । मैं मौके पर खुद गया हूं और मैंने देखा है कि तेरह लड़कियां वहां पर दाखिल हैं और अब मन्त्री महोदय उससे मुनकिर हो गए हैं । . . .

अध्यक्ष महोदय : आप गए हैं तो वे भी गए होंगे । ोनों सच्चे हो सकते हैं । जब आप गए होंगे तो वे भी गए होंगे ।

श्री बागड़ी : उस वक्त नहीं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप एक वक्त गए और वह दूसरे वक्त गए हों ।

श्री नन्दा : लड़कियों की जो बात है, मुझे यह इनफार्मेशन दी गई है कि कुछ लड़कियां वहां से चली गई हैं एक्जैक्ट नम्बर इस वक्त मुझे याद नहीं है । अब सवाल यह है कि किस के कहने से यह

सब कुछ हुआ। मैंने इसको जानने की कोशिश की है। पुलिस ने खुद-ब-खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। चीफ कमिश्नर के आर्डर से हुआ है और उन्होंने सब बातों को देखा और यह किया।

श्री राम सेवक यादव : इसी प्रश्न के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न कुछ किया जाए और जवाब कुछ और दे दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। मैं निवेदन करूंगा. . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है. . .

श्री राम सेवक यादव : एक सैकिंड में मेरी बात सुन लीजिये। कालेज के किसी अधिकारी ने पुलिस को बुलाया या कमीशन ने? सवाल यह था कि कालेज के किसी अधिकारी ने मंगाई और कोई इत्तिला दी या कमीशन के कहने पर चली गई. . .

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी जिद्द करके इतना बोले और मेरे कहने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा है कि पुलिस खुद-ब-खुद गई। अब आपका जवाब आ जाता है या नहीं आ जाता है।

श्री ओंकार लाल बेरवा: (कोटा) : जिस अफसर के आर्डर से यह लाठी चार्ज हुआ उस अफसर को क्या इतना अधिकार था कि वह लाठी चार्ज का आर्डर दे सके और अब जो इनक्वायरी बिठाई जा रही है, तो क्या उस अफसर को ससपेंड कर दिया गया है या करने का विचार है या उसको रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब आ गया है कि उसको मुअत्तिल नहीं किया जा रहा है और यह देखना है कि उसको अधिकार था या नहीं था। यह कमीशन आफ इनक्वायरी देखेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं प्रधान मन्त्री जी से एक बात यह पूछना चाहता हूं। क्या इस सरकार की जो सारे देश का शासन चलाती है आदत हो गई है कि जब कोई प्रश्न इतना बिगड़ जाए, इतना बिगड़ जाए कि पुलिस में और विद्यार्थियों में हाथापाई हो, सिर फटें लाठियां चलें, पत्थर फेंके जायें तब उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही की जाए ? आपके पास कई महीने पहले यह विद्यार्थी आए थे और हैल्थ मिनिस्टर के पास भी गए थे। बजाय इसके कि आप हैल्थ मिनिस्ट्री की जांच करते कि क्यों इतनी लापरवाही के साथ अब तक वह इस प्रश्न को टालती रही ? आप दूसरों की जांच क्यों करते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि स सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी का क्या कहना है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे याद है मेरे पास कोई स सिलसिले में आया नहीं. . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विद्यार्थी आपके पास आए थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : शायद आये हों, बहुत से मुझ से मिलते हैं। आप गौर फरमायें इस सवाल पर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ यह कालेज एफिलियेट हो। यह निहायत पेचीदा सवाल है, निहायत मुश्किल सवाल है। उसकी सारी पढ़ाई दूसरी किस्म की है। उसमें सवाल है कि क्या पढ़ाया जाए। माडर्न मैडीसिन या शुद्ध आयुर्वेद या शुद्ध युनानी। तरह तरह के सवाल इसमें उठते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इजाजत देना है, उनको मंजूर करना है, उनको तय करना है कि अगर लिया जाए तो कैसी पढ़ाई हो। एक बड़ी बहस हो रही है आजकल कि खाली शुद्ध आयुर्वेद सिखाया जाए या कुछ माडर्न मैडीसिन। यह पेचीदा बात है और उस सवाल से ज्यादा बड़ी बात है। एक दम से बिना उन बातों को तय किये हुए तो यह नहीं हो सकता है। काफी मुश्किल बात है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रधान मन्त्री जी को उन्होंने ज्ञापन भी दिया था।

श्री राम सेवक यादव: क्या यह सही है कि पिछले पांच छः वर्षों से कालेज की मान्यता, यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता और साथ ही साथ वहां की जो प्रबन्धक समिति है और वहां के जो प्रधानाचार्य हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप विद्यार्थियों की ओर से लगाये गये हैं ? जैसा आपने स्वीकार किया आज सुबह कि ऐसे आरोप लगाये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों से जब यह चीज़ चली आ रही है तब क्यों इस पर बहुत पहले कार्रवाई नहीं की गई और प्रधानाचार्य के खिलाफ कौन से आरोप थे ?

श्री नन्दा : यह सवाल दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं मेयर साहब से भी मिला था और उन्होंने कहा कि इन बातों पर गौर होता रहा है और एकशन भी लिया जाता रहा है। लेकिन कोई चीज़ हुई या नहीं, इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है. . .

श्री बागड़ी : डा० राम मनोहर लोहिया का नाम. . .

अध्यक्ष महोदय : ठहरिये, अगर मैंने गलती की है। इनका नाम मुझे कहीं नज़र नहीं आया।

श्री बागड़ी : यादव साहब के साथ था. .

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो नहीं आया।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर इजाज़त दें तो. . .

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३/१९ अग्रहायण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३

---

१८ अग्रहायण, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८५८–८१
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
४४४	लंका में भारतीय व्यक्ति .	१८५८–६०
४४५	सैनिक गुप्तवार्ता निदेशालय	१८६०–६५
४४६	पटसन मजूरी बोर्ड	१८६५–६७
४४७	युद्ध-पोत	१८६७–६८
४५०	आगरा के निकट विमान दुर्घटना	१८६८–७१
४५१	युद्ध सेवा रियायतें	१८७१–७३
४५२	शक्तिमान "ट्रक" .	१८७३–७७
४५३	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड .	१८७७–७८
४५४	उत्तर प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण	१८७७–८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८८१–१९१९
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
४४८	अमरीका से बुलडोजर .	१८८१–८२
४४९	नई दिल्ली में विज्ञापन के बोर्ड आदि	१८८२
४५५	अल्प-विकसित प्रदेशों का विकास	१८८२
४५६	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल .	१८८३
४५७	सरकारी उपक्रमों में मजदूर सम्बन्धों के बारे में सम्मेलन .	१८८३–८४
४५८	बिहार में कोयला खान	१८८४
४५९	भारत-चीन सीमा विवाद .	१८८४–८५
४६०	औद्योगिक विवाद अधिनियम	१८८५
४६१	गोआ में शिक्षा प्रणाली	१८८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

	विषय	पृष्ठ
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४६२	लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति . . .	१८८६
४६३	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . . .	१८८६
४६४	खनिकों के लिये शिरस्त्राण .	१८८६–८७
४६५	प्रेस के लिये आचार संहिता .	१८८७
४६६	तिब्बत में नजरबन्द भारतीय	१८८७
४६७	गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड . .	१८८७–८८
४६८	मोजाम्बीक में भारतीय . . .	१८८८
४६९	गोदी कर्मचारी . .	१८८८
४७०	छावनी क्षेत्र	१८८८–८९
४७१	राजनयिक अधिकारियों को प्राप्त उन्मुक्तियां .	१८८९–९०
४७२	कराची में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन . .	१८९०
४७३	आर्थिक विकास . .	१८९१
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१२६९	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड .	१८९१
१२७०	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	१८९१–९२
१२७१	उड़ीसा के रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जीवद्ध व्यक्ति	१८९२
१२७२	उड़ीसा में श्रमिक शिक्षा केन्द्र . . .	१८९३
१२७३	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र . . .	१८९३
१२७४	बड़े बन्दरगाहों के कर्मचारियों सम्बन्धी जीजीभाई समिति	१८९३–९४
१२७५	अपंजीबद्ध गोदी कर्मचारियों की योजना	१८९४
१२७६	मद्रास कपड़ा मिलों में श्रम कल्याण अधिकारी .	१८९४
१२७७	स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स ग्वालियर . .	१८९५
१२७८	मद्रास में शिक्षित बेरोजगार . . .	१८९५
१२७९	योजना आयोग के कर्मचारियों को विदेश यात्रायें	१८९५–९६
१२८०	तिब्बती शरणार्थी . .	१८९६
१२८१	शेख अब्दुल्ला की रिहाई	१८९६
१२८२	नागा विद्रोही . .	१८९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२८३	प्रतिरक्षा उत्पादन के महा नियन्त्रक का कार्यालय	१८९७
१२८४	नेफा में भूतपूर्व सैनिक	१८९८
१२८५	चीन के लिये इंग्लैण्ड के 'कोमेट' विमान	१८९८
१२८६	मंगला बांध	१८९८–९९
१२८७	हिमालय अभियान में विदेशी	१८९९
१२८८	कोयला और लौह अयस्क खानों में दुर्घटनायें	१८९९–१९००
१२८९	राजस्थान में योजना पर व्यय	१९००
१२९०	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	१९००–०१
१२९१	भारत सेवक समाज	१९०१
१२९२	इलेक्ट्रोनिकस कम्पलेक्स	१९०१
१२९३	सेना के अधिकारियों तथा जवानों को सुविधायें	१९०१–०२
१२९४	सेना कमीशन के लिये असैनिक अधिकारी	१९०२–०३
१२९५	अन्तरिक्ष अनुसन्धान	१९०३
१२९६	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज	१९०३
१२९७	एमरजेंसी कमीशन	१९०३
१२९८	कोटा में वायु सेना के लिये भर्ती	१९०४
१२९९	खाली कारतूसों का पुनः भरा जाना	१९०४
१३००	आणविक चाकू	१९०४–०५
१३०१	उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में पंजीबद्ध तकनीकी व्यक्ति	१९०५
१३०२	'नेट' विमान	१९०५
१३०३	हथियारों का प्राप्त करना	१९०६
१३०४	क्यूबा में बवण्डर	१९०६
१३०५	प्रतिरक्षा उत्पादन तथा अनुसन्धान	१९०६–०७
१३०६	ट्रकों और जीपों का निर्माण	१९०७
१३०७	पंजाब में कृषि पर वृत्त चित्र	१९०७–०८
१३०८	नेफा तथा आसाम में प्रचार	१९०८
१३०९	अफ्रीकी एशियाई देशों में प्रतिरक्षा कर्मचारी	१९०८
१३१०	बिहार में शिक्षित बेरोजगार	१९०८–०९
१३११	तेजपुर में धन का गायब होना	१९०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१२	सेना में कमीशन	१९०९
१३१३	भारत के लिये पाकिस्तानी तीर्थयात्री	१९१०
१३१४	फिल्म 'मेरे महबूब' पर आपत्ति	१९१०
१३१५	असैनिक क्षेत्र, दिल्ली छावनी	१९१०
१३१६	सागर छावनी	१९११
१३१७	कनाडा से विमान	१९११
१३१८	पेंशनों में वृद्धि	१९११
१३१९	'आन्तरिक रेखा' विनियम	१९१२
१३२०	आकाशवाणी पर प्रधान मन्त्री के सम्वाददाता सम्मेलन सम्बन्धी समाचार	१९१२–१३
१३२१	राष्ट्रीय रक्षा कोष	१९१३
१३२२	नई पत्रिका "वैडिंग बैल्स"	१९१४
१३२३	"प्लेबाय" पत्रिका में, प्रकाशित प्रधान मन्त्री से भेंट	१९१४
१३२४	राम नगर कोयला खान में औद्योगिक विवाद	१९१५
१३२५	न्यू जेमेहारी खास कोयला खान औद्योगिक विवाद	१९१५
१३२६	ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में मजदूर	१९१६
१३२७	बेरुबाड़ी	१९१६
१३२८	खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	१९१६
१३२९	कुत्तों की प्रदर्शनी	१९१६–१७
१३३०	उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता	१९१७
१३३१	रोजगार तथा व्यवसाय स्वास्थ्य का अध्ययन	१९१७
१३३२	चौथी पंचवर्षीय योजना	१९१७–१८
१३३३	१९६४–६५ के लिये योजना परिव्यय	१९१८
१३३४	नागालैण्ड में विकास योजनाएं	१९१८
१३३५	देवलाली में असैनिक राडार मेकेनिक	१९१८–१९
१३३६	पेंशनों के मामले	१९१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १९१९–३१, १९७१–७८

(एक) श्री एस० एम० बनर्जी ने ६ दिसम्बर, १९६३ को तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(दो) श्री जशवन्त मेहता ने काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर तनाव पैदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा नागरिकों को कथित शस्त्र दिये जाने की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(तीन) श्री होमी एफ० दाजी ने पूर्वी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय गांव दुमाबारी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिये जाने के समाचार की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९३१

(१) २८ जुलाई, १९६३ को जम्मीकोण्डा हिल रोड धातु खदान, जिला विशाखापटनम्, आन्ध्र प्रदेश की घातक दुर्घटना के बारे में मुख्य खान निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति।

राज्य सभा से संदेश १९३१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९६३ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६२ में लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९६३ को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है।

(चार) कि राज्य सभा अपनी ५ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९६३ को पारित किये गये अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १९३२

सचिव ने १८ नवम्बर, १९६३ को सभा को दिये गये गत प्रतिवेदन के बाद वर्तमान अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक १९६३ को सभा पटल पर रखा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित १९३२

तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १९३२

समवाय (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना १९३२

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय १८ दिसम्बर, १९६३ तक बढ़ा दिया गया ।

सभा का कार्य १९३३–३५

विधेयक पुरस्थापित १९३५

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित किया गया ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १९३५–७१

५ दिसम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९६३/१९ अग्रहायण, १८८५ (शक) के बारे में कार्यावलि

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	१९३१–३५
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	१९३५
तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१९३५–७८
श्री दी० चं० शर्मा	१९३५–३६
श्री अ० चं० गुह .	१९३६–३८
श्री सेझियान	१९३८–३९
श्री भागवत झा आजाद . .	१९३९–४०
श्री बड़े . .	१९४१–४७
डा० गोविन्द दास .	१९४७–५२
श्री नी० श्रीकान्तन नायर .	१९५२–५३
श्री के० दे० मालवीय . .	१९५३–५५
डा० राम मनोहर लोहिया .	१९५५–६३
श्री हनुमन्तैया .	१९६३–६४
डा० मा० श्री अणे .	१९६४–६६
श्री काशीनाथ पांडे .	१९६६–७१
नेक संक्षेपिका . . .	१९७९–८४

PLS 41. XXIII. 16: 63.
100

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।